


Volume 2, Issue 3 & 4. July-December 2016 ISSN : 2395-7468

UGC Approved Journal No. 48457

THE Equanimist

A peer reviewed journal



Volume Editor

Nisheeth Rai

The Equanimist

... A peer reviewed journal

Chief Editorial Board

Dr. Manoj.Kr.Rai (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr.Virendra.P.Yadav (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Nisheeth Rai (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Roopesh.K.Singh(Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Mr. Ravi S. Singh (Post Doctoral Fellow. Delhi University)

Editorial Board

Prof. S. N. Chaudhary (Barkatullah University, Bhopal)

Prof. R. N. Lohkar (University of Allahabad)

Prof. U.S. Rai (University of Allahabad)

Prof. D.P.Singh (TISS,Mumbai)

Prof. V.C.Pande. (University of Allahabad)

Prof. Anand Kumar (J.N.U.)

Prof. Nisha Srivastava (University of Allahabad)

Prof. Siddarth Singh (Banaras Hindu University)

Prof. Anurag Dave (Banaras Hindu University)

Dr. H. S. Verma (Lucknow)

Dr. Vijay Kumar (An.S.I. Jagdalpur)

Mr. Rajat Rai (State Correspondent, U.P. India Today Group)

Dr. Pradeep Kr. Singh (University of Allahabad)

Dr. Shailendra.K.Mishra (University of Allahabad)

Dr. Ehasan Hasan (Banaras Hindu University)

Mr. Dheerendra Rai (Banaras Hindu University)

Mr. Ajay Kumar Singh (Jammu University)

Assistant Editorial Board

Shiv Kumar (Res. Sch. M.G.A.H.V.) Abhisekh Tripathi (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Shreekant Jaiswal (Res. Sch. M.G.A.H.V.) Shiv Gopal (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Vijay.K. Kanaujiya (Res. Sch. M.G.A.H.V.) Jitendra (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Managerial Board

Mr. K.K.Tripathi (Managing Editor) (M.G.A.H.V.)

Mr. Uma Shankar (M.G.A.H.V.)

Mr. Rajesh Agarkar (M.G.A.H.V.)

Mr. Manoj Kumar (M.G.A.H.V.)

Mr. Arvind Kumar (M.G.A.H.V.)

The Equanimist

Volume 2, Issue 3 & 4. July-Dec 2016

S.NO.	Content	Pg. No.
	Editor's Note	III-IV
	Research Articles	
1	Dynamics of the movement for bihar as a separate state from Bengal: the role of Dip Narayan Singh G .C. Pandey	1-5
2	An Active Judiciary Anjani Kumar	6-12
3	A Note on the Administrative Structure of Ancient Vikramshilā University Vandana Singh	13-18
4	Caste Analysis Through Holistic Methodology Of Dr. B.R. Ambedkar. Nisheeth Rai	19-28
	पुस्तक समीक्षा	
5	दुबे, श्यामचरण. (2000). समय और संस्कृति. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन. विकास के दौर में संस्कृति और परम्परा पर एक विमर्श शिव शंकर पटेल	29-37
	शोध आलेख	
6	मधेशी समुदाय की समस्या और भारत-नेपाल संबंधों पर आर्थिक प्रभाव का अध्ययन रत्नेश कुमार यादव	38-46
7	गंगा स्वच्छता और सामाजिक प्रयास अभिषेक कुमार राय	47-55
8	भारतीय इतिहास लेखन परंपरा की नारीवादी दृष्टि से पड़ताल आरती कुमारी	56-61
9	धोबी की सांस्कृतिक पहचान के रूप में धोबिया गीत शिव कुमार	62-72
10	भारतेन्दु और हिंदी पत्रकारिता : समय, साहित्य और समाज शैलेन्द्र कुमार शुक्ल	73-79
11	नवगीतों में अभिव्यक्त महानगरीय जीवन और उसकी विसंगतियाँ अंजना दुबे	80-90
12	हिंदी संरचनात्मक संदिग्धता विश्लेषक हेतु संगणकीय मॉडल प्रवेश कुमार द्विवेदी	91-98
13	अंगचित्र (गोदना) महिलाओं का शृंगार और नट जाति विजय कुमार कन्नौजिया	99-105
14	विज्ञापन की भाषा और अनुवाद विशेष कुमार श्रीवास्तव एवं स्वर्णलता सिन्हा	106-112

The Equanimist

Volume 2, Issue 3 & 4. July-Dec 2016

- | | | |
|----|---|---------|
| 15 | कुबेरनाथ राय के निबन्धों में गाँधीवादी चिन्तन
अजय कुमार राय | 113-115 |
| 16 | भारत से जी. सी. सी. के देशों में होने वाले श्रमिक प्रवासन की प्रवृत्ति
अभिषेक त्रिपाठी | 116-124 |
| 17 | महात्मा गाँधी का संस्कृति-दर्शन
देवेश रंजन | 125-127 |

Editors' Note

Dear readers,

This issue of The Equanimist was planned to be based upon North East India. It's culture, demography, problems and other issues. Due to enormous response and our guest editor being busy in some other responsibilities we apologise that it has been postponed for its' betterment. It is said that nothing goes as per plan or when things goes according to plan feel happy and if things doesn't goes according to plan

feel more happy as it is going according to God's plan. So, following the God's plan, our chief editorial board has decided to bring a general issue. I present you the volume 2, issue no. 3 and 4 June-December, 2016 issue of The Equanimist.

The Equanimist is the person who possesses the quality of Equanimity. Equanimity is, "the quality of having an even mind". As an English word, it has been used in the context of fairness, or weighing things in the balance, as if it were synonymous with "equity", a word often offered as a substitute for it.

The word equity, however, has an altogether different Latin root, *aequitas*, meaning "reasonableness". Equanimity has a Latin counterpart as a root word, *aequanimitas* which has its own roots in Latin: *aequus* meaning "even" and *animus*, meaning "soul, mind". In Latin, soul and mind are one word with one and the same meaning. In Latin, *aequanimitas* refers to a state of the mind and soul, a balanced state of peace, clarity, health, wisdom and insight.

The issue consist of one book review and 17 research articles out of which 4 are in English and rest in Hindi. The first research article highlights the role of Deep Narayan Singh in the movement which led to the separation of Bihar as separate state from Bengal. The role and need of active Judiciary is highlighted in the second research article. It shows that "justice delayed is justice denied but justice in haste is justice in waste." The Administrative structure of ancient Vikramshila University is succinctly highlighted with supporting facts in the third research article. The fourth research paper analyses the caste system of India by using the holistic methodology (socio-cultural and biological aspect) of Dr. B. R. Ambedkar.

The book review is of one of the classical book of Late Dr. S. C. Dubey, '*Samay aur Sanskriti*' the reviewer has beautifully reviewed this book highlighting the important issues and concept raised in the book. The reviewer

believes that this book is relevant in this period for understanding the roots of the culture and tradition in the midst of the development.

The first research article in Hindi studies the economic impact of the Indo-Nepal relationship vis-a-vis the problems of Madhesi community. The past, present and future social endeavour of sanitising the rivers Ganga is highlighted in the second research article. The Indian history is beautifully analysed with the feminist perspective providing proper text and facts in the third research article. The descriptive account of Dhobiya songs with the respect to its cultural identity is represented with empirical data in the fourth research article. The Hindi Journalism of Bhartendu and its socio-cultural and temporal aspects are described in fifth research article. The sixth research article describes the complex dilemmas of urban life style by the help of songs. The computational model for analysing ambiguity in Hindi language structure with examples is dealt in the seventh research article. The beliefs and traditions of tattooing among the women of Nat community are described with the help of secondary sources in eight research article. The ninth research article deals with the very critical issues related to language and translation of advertisement. Next research article critically analyzes the data of various ministries and organisation related to labour migration from India to G.C.C. countries. The last two articles are like icing on the cake which beautifully elaborates the Gandhian philosophy in the essays of Kuber Nath Rai and Cultural Philosophy of Gandhi.

The responsibility for the content and the opinions expressed and provided in the Research articles and articles published in this issue of the journal are exclusively of the author(s) concerned. The publisher/editor is not responsible for errors in the contents or any consequences arising from the use of information contained in it. The opinions expressed in the research papers/articles in this journal do not necessarily represent the views of the publisher/editor of journal. Its Chief editors/ editors/Assistant editors and Managing Editor are not responsible for any of the content provided/ published in the journals.

I hope that this issues will provided some useful literature and information related to vivid area from formation of Bihar to Indo-Nepal relations; from culture and tradition to active Judiciary; from the Folk Songs of Dhobi to new songs depicting complexity of urban living; from Bhartendu

to Gandhi; from feminist to tattooing among women of Nat community and from computational model to social endeavour of sanitising river Ganga.

We are getting enormous suggestions and appreciation from our readers which were incorporated in the previous issues. However, if the readers feels that there are scope for improvement please email us at theequanimist@gmail.com

Dr. Nishheeth.Rai

(Volume Editor)

Dynamics Of The Movement For Bihar As A Separate State **From Bengal: The Role Of Dip Narayan Singh**

Dr. G .C. Pandey¹

Among the eminent people of Bihar of late nineteenth and early twentieth century's very few have, so far, received historians' attention. Among these forgotten men most striking is Dip Narayan Singh of Bhagalpur who, arguably, was one of the most important leaders from Bihar who represented Bihar's case during the crucial Bihar-Bengal divide phase. He was a leading Congress leader and before Srikrishna Sinha emerged he was the most acceptable leader of Bihar Congressmen who had been acceptable to all leading factions- Muslim, Kayastha, Rajputs, Brahmins and Bhumihars. He was a very well informed man with wide external contacts and he had wide exposure to the outside world and knowledge. Using his background related prosperity he was instrumental in established a range of institutions and initiatives which were historically significant. This paper seeks to prepare an account of his life and works as a nationalist and modern man.

Dip Narayan Singh was born in a famous zamindar, Jaiswal family of Bhagalpur in Bihar on 26th of January, 1875. He was the son of one of the broadest minded men of Bihar Late Rai Bahadur Tejendra Narayan Sinha, who had given generous donations enabling the foundation of famous Tej Narayan Jubilee College (of Banailly). Tej Narayan was a famous zamindar who was involved with indigo cultivation. He was quick to see the growing importance of Congress as an organization and he became one of the early and an important member of All India Congress Committee. Due to his father's interest in Congress politics, Dip Narayan could attend the Allahabad session of Congress along with his father in 1888 at the age of 13. In this session he met Sachchidanand Sinha, famous leader who later became the leader of the movement which is called movement for separation of Bihar. Their friendship grew deeper in England and in spite of differences of opinions, lasted for life.¹ Dip Narayan was influenced by Mahatma Gandhi and Dr. Rajendra Prasad. After finishing his school-education in India, at the age of 17, he went to England for higher studies. He took admission in Trinity College of Cambridge and after passing the Law examination, became a Barrister in 1898. He was highly influenced by his father, who inspired him to work in the public field among the masses. He did not indulge himself in his law practice and he was well into public works. It is noteworthy that in 1897 he declared that T.N.J. College would be the chief beneficiary of his property and thus made the institution financially strong. After returning from Britain, he was appointed Honorary Magistrate and

¹ T. M. Bhagalpur University, Bhagalpur

became the Government visitor of Bhagalpur Jail. He was also made the member of District Board.

In the next decade he was a well known politician of Bihar. In 1901, he presided over the Bengal Provincial Conference held at Bhagalpur. He played an important role in the politics of 1905, and became deeply involved in Swadeshi movement. In 1906, he was elected as a member of All India Congress Subject Committee and remained a member for a few years. In 1907, he addressed the Bihar Congress at Barhampur and Second Bihar Congress and Third Bihar Congress were held in 1909 at Bhagalpur and Muzaffarpur respectively. By this time he had matured as an orator. He was given a chance to deliver a lecture at Madras Congress in 1908.

In 1909, Dip Narayan Singh was elected Secretary of Bihar Provincial Congress and worked as Secretary of the Welcome Committee of Second Bihar Provincial Conference. During the same time he was also elected a member of Bengal Legislative Council and he attended the Delhi Durbar. This was not a simple affair as in 1909 when the elections were made after intense lobbying after the regulations were framed under the Reforms Act of 1909.²

During the making of Bihar as a separate province Dip Narayan was an important man whose views were widely accepted. He was seen as a moderate leader and the Bengali moderate leaders selected Dip Narayan Singh to preside over the Bengal Provincial Conference in 1907.³ Singh, however, was realistic enough to sense that the time had come to assert the claims of the people of Bihar. In his presidential speech he said, “(if his) compatriots in Bihar object to this word (boycott), it is my opinion, that this conference should not insist on the boycott being taken up.”⁴ According to a historian this speech “struck a heavy blow and reflected the real attitude of Biharis towards the Bengalis.”⁵ Mrinal Basu has traced a widening of gulf between the Bengal Congress and Bihar Congress during this time and “the foundation of the Bombay-Bihar camaraderie”⁶

Dip Narayan Singh’s role as a leader of Bihar is also very evident in 1910 when he presided over the third session of Bihar Provincial Congress Conference. He was trying to forge a middle ground by saying that the young leaders of Bihar are behind the Bihar movement and the old leaders had not much to do with this.⁷ By saying this Dip Narayan Singh had wanted to communicate that the emerging voices were with this demand. He attacked the boycott movement and demanded more and justifiable opportunities for Bihari educated people in spite of some resentment of the domiciled Bengalees of Bihar. He criticized the excessive representation of the Europeans in the district boards and justified the regional movement.

He was criticized by Bengali papers especially *Amrit Bazar Patrika* and *The Bihar Herald*. This was too much for Dip Narayan Singh and he wrote, “It behooves the independent spirit of Bengal to ‘grumble’ or ‘frown’ at us.”⁸

Dynamics Of The Movement For Bihar As A Separate State From Bengal: The Role Of Dip Narayan Singh

During this phase, Dip Narayan Singh's role as a leader whom both the Hindu and the Muslim leaders listened was important. He took pride in mentioning that it was Bihar alone which had supported the separate electorates but he was also of the view that "the reforms have fulfilled (promises) ...partially as reforms have not protected interests of the Hindus where they were in minority."⁹

In 1921, he was elected a member of Reception Committee of the Bihar Provincial Congress and he toured extensively in different parts of the state to promote propaganda work of Non-cooperation movement. He elaborately toured the districts and organized the Congress and established 'Tilak-Swarajya-Kosh' in Bihar. During this period, Professor Prem Sundar Bose and a B.A. final year student of T.N.J. College, Shashinath Kanth was his chief allies. They stayed in the Madhepura for some time and strengthened the Congress in the area.

Dip Narayan was appointed member of Board of Control of Bihar National Volunteer Corps. He participated in the Non-cooperation movement. It was only for his influence that total strike on 26th February of 1921 at Bhagalpur could be successfully organized. He was a staunch supporter of all creative programme of Congress. He addressed the Champaran District Political Conference on 12th November, 1921. The meeting of Provincial Congress Committee was held on May, 1922 at Gaya under Dip Narayan Singh's Presidentship. It was decided there that the Annual session of Congress of 1922 would be held in Gaya. In the Gaya Congress of 1922, Dip Narayan proposed to establish a labour union. He opposed against entry in the Council. In the same year he contested as a candidate for the Chairmanship of Bhagalpur and was elected the Chairman. In 1924, he was elected as one of the secretaries of Bihar Provincial Congress. In the same year, his wife Leela Singh presented herself as a representative of women to the enquiry committee established by the Government, to enquire about the work of the Reform Act.

Deep Narayan's second wife¹⁰ Leela was the daughter of a renowned Bengali gentleman, Sri Tarak Nath Palit of Bengal. He had donated a big amount of money for the establishment of the Calcutta University. His daughter Leela was born in London in 1879. She was a dignified, cultured, capable women and a woman of character, who always stood by all of her husband's political decisions. When T.N.J. College was in great financial crisis, Leela came forward to help it out.

Dip Narayan Singh was very fond of travelling and spent a long time of his life in it. He had travelled almost all over the world. For him travelling was another form of education. First he went to England in 1891 to come back in 1898. Once again, in 1912, he sailed to Europe and spent five years in travelling. Apart from this again in 1919 and in 1935, last time before his death. Once again he set-out for world-tour.

Leela was a great supporter of women's rights and she was had demanded voting rights for women and advocated in favour of women's right to contest as

candidate in all government institutions including the State Assembly. In 1928, Dip Narayan Singh was nominated Secretary of Bihar Provincial Congress Committee. Apart from this, he was made a member of the National Council of Education established to control the National Educational Institutions¹¹.

In the Salt Satyagraha of 1930, he delivered all lectures in Arrah and Buxar. After the arrest of Dr. Rajendra Prasad, he had to shoulder all responsibilities for continuing Salt Satyagrah movement in Bihar. Dip Narayan Singh was arrested and released after four months of imprisonment as punishment. After he was released from jail he was elected in the Indian Legislative Assembly and was there till he breathed his last in 1935. In 1934 he became the Secretary of Bhagalpur Central Earthquake Committee. All his life he remained the Secretary of T.N.J. College, Bhagalpur and fellow of Patna University.

Dip Narayan Singh was considered a very cultured man and his sense of dress was exemplary. He was considered among the best dressed men of the country of his time. But, in 1921 he denounced foreign clothes and began wearing khadi. The influence of Gandhi had brought changes in many leaders' life styles and Dip Narayan was one of them. He started to interact with people of all classes and status. He was well known for his broad mindedness and cultured outlook. In the then Congress, there were very few people of his like. His foreign trips were not only limited in understanding the condition and situation of Indians residing there, but behind his intention was to present India's nationalist views (in its true sense) to the British and other foreigners. He advised to appoint an independent enquiry committee for finding out the condition and position of non-resident Indians living in British colonies outside India. He supported Gokhle's proposal regarding Indians in Transvaal in the 21st session of Congress. He studied the education systems of foreign lands and after returning from Japan, he started to establish technical institution. To meet the expenses for the above, he established a fund from the income of his own zamindari. He was a supporter of Swadeshi as this could be a way out to save the Indian industries.

He studied about the national movements of all the nations of the world and was deeply impressed by that of Egypt. He was an ardent admirer of western knowledge but he was against imitation of western education-system. Due to his long stays in foreign country, he was very much well informed about leading British political thinkers.

He was a great advocate of Primary education for one and all and wanted economic progress of the masses. He observed that if India had to learn the most from the west, India had to be educated. He also believed that a nation can be rebuilt through nationalism only. In 1907, he demanded that India is a union of sovereign provinces and in the best interest of every province it should be developed as a

Dynamics Of The Movement For Bihar As A Separate State From Bengal: The Role Of Dip Narayan Singh

United State of India. At first, he was in favour of Dominion status, but after his world tour for the second time, he became in favour of complete freedom.

Dip Narayan Singh was considered the epitome of culture and an established measure of beauty, etiquette and courtesy. He was born in princely glamour with every kind of comfort and pleasure available to him but, Dip Narayan renounced all these in national interest and adopted a life of service, sacrifice and dedication. He was considered one of the finest orators of his time. He also worked for the development of agriculture and industry. “Deep Narayan- Leela Institute” of Bhagalpur is a loving example of his interest in technical education. He emphasized on self-reliance, self respect and open mindedness. He sympathised with the Swaraj Party but extended financial help to Aparivartanvadis. He was famous for his serious and untiring efforts.

Endnotes:

¹ Sachchidanand Sinha wrote in his *Some Eminent* that Sinha had many differences but he was too good a person to get affected by these and he continued to have a close relationship with Sachchidanand Sinha.

² For more details of this see Basu, M. K. (1909). ‘A Study of the Bengal General Election: *The Quarterly Review of Historical Studies*. (no. 4), 1974-75.

³ Being the son in law of a distinguished Bengali Tarak Nath Palit, who had donated a huge amount to Calcutta University, Singh had a good rapport with the Bengali leaders of Bihar.

⁴ *The Bengalee*, (1907, April 13),.

⁵ Basu, Mrinal. Kumar. (1977, January). ‘Regional Patriotism: A study in Bihar politics’, *The Indian Historical Review* Vol III Number 2, pp. 289.

⁶ *Ibid*, p. 290. Basu has mentioned that, at Allahabad, Dip Narayan Singh moved an amendment to Ashutosh Choudhury’s resolution to the effect that only delegates who subscribe to the Congress “creed” should be invited to attend the session. This was, in Basu’s view Bihar going Bombay way in Congress politics.

⁷ Basu, Mrinal. Kumar. (1910, April 19). Quoted in *The Bengalee*. cited in *Op. cit.*, pp. 301.

⁸ Basu, M. K. (1910, May 7). *The Behar Herald*. cited in *Op. cit.*

⁹ Basu, M. K. (1910, April 22). *The Mussalman*, cited in, *Op. cit.* , pp. 301.

¹⁰ As was the norm in those days he was married at a very young age. Dip Narayan’s first wife’s name was Ramanandi Devi. Bhagalpur’s ‘Ramanandi Devi Hindu Orphanage’ was named after her.

¹¹ Singh, Eqbal. (1988). *Indian National Congress: A reconstruction*. New Delhi: pp. 420.

An Active Judiciary

Anjani Kumar¹

India, after attaining independence, became Republic on Jan 26th, 1950 and adopted parliamentary system. A new and independent constitution for an Independent India was accepted. The main sources of law in India are the constitution, statutes legislation), customary law and case law. To strengthen the democracy independence of judiciary is most essential.

In a democratic country like India, an independent judiciary, with the Supreme Court at the top, as also modelled on the British and the American system, is the custodian of people's right and to protect the interests of the people of India. It is well known fact that all laws are formulated by the parliament, but judiciary is the body which prevent the parliament to proceed beyond the constitutional limit. Generally, judiciary in India is separated from legislature and executive. The three tier judicial system has been adopted by the makers of the constitution-district court at lower level, high court at state level and Supreme Court at national level. Besides, the panchayat court also operates at village level in different nomenclature in different states.

It is onerous duty of the judiciary to protect the individual liberty, rights of the people against exploitation, harassment, injustice by any one of the bodies/organizations etc. Thus people have faith in judiciary.

Justice has been mentioned in the preamble of constitution in preferential order along with other principles of Liberty, Equality and Fraternity. The interpretation of justice, neither narrowed nor confined, has been very wide. After all, our courts are called "courts of law". So, the concept of Justice means Social, Political and Economic and is elaborated through the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy. The basic principle of human value, therefore, is that all should be happy, healthy and free from fear etc.

Legal System and Constitutional Guarantee:

Constitution in Indian system is the supreme body. All organs of the government are under the purview of the constitution. Every organ of the government, within the constitutional framework, discharges their duties within respective jurisdiction. Indian courts are empowered by the constitution to declare invalid the laws passed by the parliament at central level and the legislatures at state level, if they are beyond the provisions of constitution.

¹Lecturer (Senior Scale) Political Science, T S College, Hisua (Nawada), Bihar, Email-anjanikumarnawada@gmail.com, Mobil-9472037450

During last six decades the country has witnessed judiciary at loggerheads with the executive and sometimes with legislatures. It has often been seen Parliament trying to nullify the supreme court judgment through constitutional amendments when apex court, through its power of judicial review, sets aside the improper and unconstitutional legislation made by parliament. The Supreme Court has the right to interpret the constitution of India and other laws, and help in ensuring that the citizens enjoy the fundamental rights that are conferred to them.

Article 13 of the Indian constitution lays down that all laws in force at commencement of the constitution shall be declared null and void if they are inconsistent with the provisions of Part-III dealing with Fundamental Rights. Therefore, judiciary, while protecting the interests/ rights of the people, has been facing sharp criticism from the legislatures and executive. There is an exemplary evidence of Keshvanand Bharati case which was a historical judgment pronounced by the Supreme Court on April 24th, 1973 wherein the primacy of the executive was struck down. The rest is history. As a result Justice A N Ray, superseding the three senior most judges, was appointed the Chief Justice of India by the then central govt led by Mrs Indira Gandhi. As a mark of protest against the ill will of the executive all the three senior most judges, who were superseded, promptly resigned. This act of Mrs Gandhi was vehemently condemned by all sections of society and protest meetings were organized throughout India. In this context, Chief Justice Hidayatullah's immortal phrase is worth recalling wherein he said "One will have Judges Looking Forward, rather than Forward Looking". Other than this episode, Mrs Gandhi's govt again tried to hijack the power of judiciary. During emergency, in 1975, her govt reduced the power / power of judicial review of Supreme Court and High Court. The fundamental rights of the citizens were suspended and were also restricted to go to judiciary. But after the debacle of Mrs Gandhi's govt in 1977, the autonomy and power of judicial review were restored, through 44th constitutional amendment, by the then Prime Minister Mr Morarji Desai.

We know that Indira Gandhi in 1980, after the fall of Janata Govt., repeatedly attempted to transfer High Court judges at enmasse. It is very much obvious, therefore, that the executive always tried to show primacy over judiciary.

Public Interest Litigation:

It is true that the factors such as fast growing new challenges, new circumstances, excessive harassment, exploitation and injustice etc have played greater role to strengthen the Judiciary. That is why, now –a- days, judicial intervention is increasing in day-to-day affairs. People's expectations and hopes have been raised by the political and ruling class of the country through their competitive propaganda but ruling class has not been able to satisfy the public completely. People, as a result, are looking up to judiciary and resorting to the use of Public

Interest Litigation (PIL) to achieve their expectations. Though controversy propped up over the PILs filed by the persons not directly involved for redressal of grievances of third party who cannot approach court because of poverty or any other reasons. The court held that ‘any member of public having “sufficient interest” can approach court for enforcing constitutional and legal rights of such persons or group of persons even through a letter (S.P. Gupta and others vs President of India and others AIR 1181 SC 149).

These days judiciary is over flooded in the matters of arrears and with new PILs. Besides, huge number of other cases are pending in the courts. The latest survey shows that the pendency of cases in Supreme Court, various High Courts and Subordinate Courts are 60,745 (as on 30/4/2017), 37, 64,565 and 2.81 crore respectively along with shortage of 500 judges (1 July 2015- 30 June, 2016). The data proves the popular proverb “Justice delayed is justice denied”. However, it is also a fact the PILs have, on many occasions, been misused by the so-called public spirited individuals. Following cases in point will corroborate misuse of PILs-

- (a) To block India’s entry into the World Trade Organization (WTO)
- (b) To impose restricted labor practices
- (c) To remove state govts under article 356
- (d) To remove the Prime Minister and the Home Minister

It has also been noticed in many of the cases that PILs were filed by the activists for their personal benefit by using the rights of the poor as masks in such campaigns. Justice S. R. Pandian remarked “These public spirited individuals wear the mask of public interest and file vexatious and frivolous petitions”.

Judicial Accountability:

Now the question arises whether judges are accountable or not. It is evident that most of the people are in favor of judicial activism, but it does not mean that judges are beyond scrutiny or accountability. They are also public servants like public servants in civil administration. Accountability of the elected representative is always discussed, but what about judiciary? The court’s promptness to entertain the varieties of PILs did increase access to justice. The judiciary takes decision on behalf of the two organs- legislature and executive – which should have otherwise taken decisions pertaining to their domains. It seems, therefore, that accountability has been usurped from the executive. Though it is obvious that the power to make law, as laid down in the constitution, vests with legislature, the transgression by the judiciary in other’s domain is against the spirit of the constitution. We are proud of the fact that judiciary has a long tradition of upholding the rule of law in very difficult situations and the entire legal luminary plays a decisive role in enforcing maintenance of accountability. Now, we must also admit that the delay in delivery of justice or

politicization of judicial process has far reaching consequences. For example Satish Sharma case is reference point. The Supreme Court declares that “it is high time the public servants should be held responsible personally for malafide acts in the discharge of their functions as public servants”. Taking into account the above observation judges are also public servants under section 21 of the Indian Penal Code. They cannot escape from accountability.

Judiciary, as a matter of last resort, uses the tool of “contempt”, a provision to be used in rare circumstances. The court can exercise this power to punish anyone for disobedience of its directive. And, for that matter, nobody can criticize judges for their act.

Prestige of Judiciary:

Undoubtedly judiciary, particularly higher, through its judgments has played active role on many occasions and earned accolades. But, with the corruption charges the judiciary (higher) has lost a bit its sheen denting the prestige of judges and, therefore, is a signal for onset of malaise in the judicial system. Generally speaking, corruption is fast becoming institutionalized as a way of life. In the era of globalization, the judges, who are also human being and belong to the same society of common people, have not remained insulated from the vices of the society. Despite of this fact people have great expectations from judiciary as the judges sit in the temple of justice. Because people revere the judges, they cannot tolerate either partiality or corruption in courts in comparison to the other officers. Therefore, the system of discipline for the judges should be like the civil servants. The following examples are enough to give an insight into the losing prestige of judiciary-

- (a) Case of corruption against four judges of Bombay High Court in 1990
- (b) Charges against Justice V. RamaSwamy of Supreme Court against whom impeachment proceedings got initiated but failed.
- (c) Justice Saumitra Sen of Kolkata High Court indicted and recommended for impeachment proceedings by the then Chief Justice of India K.G. Balakrishnan (2008)
- (d) Alleged involvement of the sitting judge of Punjab and Haryana High Court in the Ghaziabad Provident Fund Scam (15 lakh)

Besides, there are several charges of corruption levelled against several Judicial Officers in subordinate courts of the country. However, the then CJI Mr K.G. Balakrishnan said in an interview that actions, on charges of serious allegations of corruption, have been taken against tainted Judicial Officers of the country either by removing them or compulsorily retiring them.

The reputation, therefore, of the higher judiciary is at stake. In an article “Judging the Judges” published in the English daily “The Hindu” (Dec 05, 2002) it

was quoted that “Unless vigorous in-house action is taken by the judiciary to repair the damage, public opinion will call for legislative intervention by parliament. A legislative mechanism, unless properly framed, may be subversive of Judicial Independence-Every adversity is an opportunity”.

In this context the then union law minister Mr Hans Raj Bhardwaj, in an interview to The Hindustan Times (Sept 25, 2008) is reported to have said: “There was time when the judiciary was above suspicion and people had great respect for it. The same cannot be said today, serious allegations of corruption against judges are in the public domain.it needs to be corrected”. However, he offered a solution wherein a committee of judges would recommend names which should be finalized after discussion between CJI and the President of India. The decision of the President should be final on the advice of the union cabinet. It seems that the then law minister tried to restore the primacy of the executive over judiciary which does not seem to be healthy for our democratic institutions.

It is pertinent to note here that the Supreme Court, on several occasions through its judgments, has done commendable jobs to protect the people’s human rights and poor and downtrodden groups of the society. Supreme Court has, in the larger interest of the people, been taking suo moto cognizance. In cognizance of the vandalism and destruction of properties by agiagtaors during Gujjar agitation in Rajasthan the Supreme Court constituted two judicial committees- one headed by retired Justice K.T.Thomas and the second headed by senior advocate Fali S. Nariman- to suggest measures to tighten laws and to make political parties accountable for organizing violence and for damage. Bothe the committees submitted the report and suggested for stern action against those who are involved in the movement. Subsequently, the apex court issued the notice to the center and state concerned and sought response from both the parties on January 16th, 2009. Thus, judiciary has again earned reputation for its active role. Though one controversy cropped up within the judiciary which started in January 2017 when Justice Karnan wrote a letter to PM demanding investigation against the misconduct and corruption charges levelled against judges of the madras High Court and the apex court.

But apex court, instead, took it seriously and served the show cause notice to Justice Karnan and sought explanation. But Justice Karnan ignored this notice. Consequently, Supreme Court initiated a contempt proceeding and issued aailable warrant against Justice Karnan. Again Justice Karnan ignored the SC order. Finally CJI (Justice J S Khehar) admitted that this is a gross violation of SC order and, therefore, SC ordered for immediate arrest and six months jail. Awarding six months imprisonment to a sitting High Court judge is an extraordinary and historical step by SC in independent India. However, legal experts differ on this issue.

But general feeling of the people is that the subordinate courts do not function satisfactorily. However, courts only cannot be blamed. The bars are also responsible for this. The civil and criminal laws and their procedures, to some extent, are also responsible. The lawyers of the litigants (both parties) to prolong the case enabling them to mint money. This trend adversely affects the trial and delay justice. There are allegations of serious and rampant corruption against judges of lower courts. An NGO Transparency International, in a survey in 2008 published a data placing judiciary at second, police at first and revenue at third place, in the index of corruption. It is not difficult to change this state of affairs believing in “Where there is a will there is way”.

In the light of above facts following are some suggestions for legal luminaries and eminent jurists to ponder over:

- (a) The bar member of a high court should not be appointed as judge of the same high court because it may adversely affect the integrity of the appointed judge.
- (b) The need for removal can be avoided if appointments are made as per proper procedure.
- (c) A need if felt to have an All India Judicial Service for judges, like IAS and IPS, to ensure impartiality and to inspire full confidence.
- (d) The vacation in higher judiciary should be curtailed, for which parliamentary panel has also recommended, so that long pending cases could be disposed of at the earliest.
- (e) To discourage corrupt practices there should be an All India Judicial Pay Commission which can recommend better / lucrative pay scale for judicial officers.
- (f) Both seniority and merit should be given weightage while considering promotions to the top ranks.
- (g) The lawyers should not be allowed to charge daily appearance fee in civil suit instead minimum percentage should be fixed.
- (h) Number of counsels and judges should increase proportionately.

Based on the experience of six decades, to sum up, it can be said that for the good governance of the country all the three wings- legislature, executive and judiciary- should work shoulder to shoulder within the ambit of the constitutional provisions. Neither of the bodies should cross “Lakshman Rekha”. To instill confidence people should be educated about their duties and rights and to use judiciary in a proper manner so that the judiciary could be held by people in higher esteem.

References:

1. Paul, O. Carrese. (2003). *The cloaking of Power: Montesquieu, Blackstone and The Rise of Judicial Activism*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Sathe, S. P. (2003, December). *Judicial Activism In India*. OUP Publishers. pp. 406.

A Note on the Administrative Structure of Ancient Vikramshilā University

Vandana Singh¹

Vikramshilā University, in addition to Nalanada University, signifies the glory and wisdom of ancient Indian organized educational structure. This university was situated on the banks of Ganga in Northern Magadh. The site of Vikramshilā has been identified with Sultanganja area in Bhagalpur district of Bihar.

Vikramshilā was regarded as the sister University of Nālandā. It represented the Mahāyāna and Hinayāna form of Buddhism. Taranatha describes Vikramshilā as a Mahāvihāra with a surrounding wall which is said to have been built by one Buddhajñāna – pratisthā : outside this circuit wall and probably set all round it were 108 temples; within the enclosure were 58 samsthas (institution) in which 108 pandits (professors) lived¹. He also refers to its six gates each of which was kept by an eminent pandita², some ācāryas and creators of sāstras who are said to have held the leadership of the establishment. The head of the institution was called the Kulapati or Chief Abbot. The Kulapati as a rule used to be a man of high moral character. He would observe the religious rules and ordinances with the greatest strictness. He was possessed with the highest intelligence and happened to be acquainted with all the points of a true discipline. His talents were eminent, his spiritual powers exalted and his disposition affectionate.

Next to the Kulapati was an officer called Karmadāna or Deputy Abbot. He was the person who regulated the activities of the Mahāvihāra. He was in-charge of superintending the buildings, regulating time, arranging the order of precedence at a congregational feast etc. Vikramshilā monastery was decorated with the holy images of Buddha, Bodhisattvas, Caityas containing the relics of saints and the images of other deities such as Tārā, Hariti and Mahākālā. The monks bathed and wiped the images of Buddha every morning and offered incense and flowers and lighted lamps in adoration.

In the forenoon, when the monks were to bathe and worship the Buddha image, the Karmadāna of the monastery announced the time by striking a gong or by beating a drum. After stretching a jewelled canopy over the court of the monastery and arranging perfumed water jars in rows at the side of the temple, an image of Buddha either of gold, silver, copper or stone, was put into a basin of the same material while a band of girls played music there. The image was duly anointed with multiple scents and bathed in perfumed water; having wiped it with a clean white

¹UGC Post-doctoral Fellow, Malaviya Centre for Peace Research, UNESCO Chair for Peace, Banaras Hindu University (B.H.U.) Varanasi, U.P.

cloth, it was set up in the shrine, amidst all sorts of beautiful flowers. The entire ceremony was performed by the resident monks under the supervision of the Karmadāna.³

The Chief Abbot or Kulapati used to be assisted by two councils, one of academics and another of administration⁴. The academic council consisted of 6 members and a chief abbot who was its president. Eminent teachers were the members of the academic council. Different members of the board were assigned different administrative duties like the ordination of the novices, supply and supervision of servants, distribution of food and fuel, assignment of monks etc. Monk professors led a simple life, the cost of maintaining one of them being equal to the cost of supporting four ordinary monks.

The head of the academic council was called Adhyaksa, who, as well as the Dvāra – Pāla, held their post from the king. Of the Adhyaksas, as Tārānātha states, Buddhajñānapala was the first Adhyaksa of Vikramshilā's academic council.⁵ Jetari, who was at first a Dvara- pala of Vikramshilā, afterwards rose to be the Adhyaksa. Among the adhyaksas of Vikramshilā university, eminent were – Abhyakaragupta, Dipankara Srijñāna, Atisa, Sākysribhadra etc. The degree of teachers was Pandita (learned) or Mahāpandita (vastly learned) and was conferred by the king. A professor of the institution was called Ācārya⁶. The picture of the most eminent among the panditas and mahāpanditas used to be decorated the walls of the learning centres.

6 Dvārapanditas were also the members of the academic council. Tārānātha refers to six gates each of which was kept by an eminent pandita⁷. The most erudite sages were appointed to guard the gates of the educational institution. They were designated as “Gate – keepers (called in Tibetan go – srung); corresponding, perhaps to our Dvārapandita). The function of the Dvārapanditas was to test the scholarship of those seeking admission to the university.

During the reign of king Kanaka (955 – 983AD), the below mentioned eminent logicians acted as gate – keepers at Vikramshilā⁸.

- i) At the eastern gate: Ācārya Ratnākara Shānti.
- ii) At the western gate: Vāgisvara – kirti of Benaras.
- iii) At the northern gate: The famous Naropa.
- iv) At the southern gate: Prajñākaramati.
- v) At the first central gate: Ratna – vajra of Kashmir.

vi) At the second central gate: Jñāna – Sri Mitra of Gauda.

The academic council used to regulate admission, determine courses of study assign work to different teachers and controlled examinations. Students from all parts of India and also from distinct foreign countries were keen to get the benefit of instruction in Vikramshilā. According to Hiuen – tsang, “foreign students would come to the university to put an end to their doubts so that they could become celebrated.” Hence, there was a great rush for admission and the registration and admission was tightened up.⁹

The academic council controlled the examination of Vikramshilā. The students closed their scholastic career with a public examination at which they were required to defend some thesis.¹⁰ Difficulties were proposed against their viewpoints and their passing of examination depended upon solving them to the satisfaction of the learned audience and then, says I-tsing “their fame makes the five mountain (of India) vibrate, and their renown flows, as it were over the four borders. They receive grants of land and are advanced to a high rank; their famous names are, as a reward, written in white on their lofty gates. After this, they can follow whatever occupation they like.”¹¹

The rank of resident monks was determined on the basis of their extensive rather than intensive knowledge. It was dependent on the range of their studies rather than upon the depth of their knowledge of a particular subject. Access to Chancellor was not made cheap or easy. Interviews with him were the nature of formal and ceremonial functions. It is said that Vikramshilā awarded degrees of Pandita to successful graduates.¹²

It seems that the rooms to resident scholars were distributed on the basis of their rank. Before the varsha season or the rain set in, as described by I-tsing, “rooms are assigned to each member; to the sthaviras better rooms are given and thus gradually the lowest”.¹³ Redistribution of rooms took place every year.

The great assembly of priests had authority of the allotment of rooms of boarding and lodging. This democratic method had a double advantage, as pointed by I-tsing “for it removes one’s selfish intention, and the rooms for priests are properly protected.”¹⁴

The administrative council was in-charge of the general administration and finance. Construction and repairs of buildings, securing and supply of food to inmates, arrangements of cloths and medicine, allocation of rooms to students and teachers according to their standing and assignment of monastic work fell within its purview. Above all, it was in-charge of finance and used to take steps to realize the revenues of the estates given as endowments to institution¹⁵. The council was required

to pay attention to the landed estates belonging to the sanghas and leasing out the land to farmers, collecting and storing of coin received from tenants and the distribution among various masses. Large staff were employed for these works¹⁶.

The academic council of Mahāvihāra had the responsibility of library and besides the collection of books, which used to do the work of copying also. Ācāryas and their disciples were given the task of copying the manuscripts. The academy used to make the entire arrangement for converting the old, shattered and destroying manuscripts into new ones and fulfilling the continuous demand of outsiders particularly Tibetans for the books of their collection. In Kanjur and Tanjur, the piles of the copies of Tibetans translations done from the text written in Sanskrit language at Vikramshilā are its good evidences. The translation work in Tibetan language was done not only by Tibetans but by Indian scholars too. In Vikramshilā Ācārya Dipankar translated some of his texts in Tibetan language with the help of a monk scholar named Viryasimha. Usually the work of copying was done by monk Ācāryas and students but in order to fulfil the increased demand the clerks/writers were also appointed.¹⁷

It is said that the famous Buddhist king, Dharmapāla, built a monastery at Vikramshilā. Due to high moral character of its monks and the first donor being a king, Vikramshilā was known as the Royal University.¹⁸ Dharmapāla is said to have founded the famous Sri Vikramshilā Vihāra on the top of hill on the bank of Ganga in northern Magadha in the 9th century.

The buildings at Vikramshilā were well planned and accommodative. King Dharmapāla constructed it after a good design. It is assumed that there were 108 temples and six colleges in the monastic establishment of Vikramshilā. There was also a large open space which could hold an assembly of 3800 persons. There was a central hall called the house of science. The central monastery was adorned with Mahābodhi images. Out of 108 chambers (temples), 53 smaller temples were meant for esoteric practices and fifty four for general use of the monks. Each of six colleges had spacious halls for lectures. Dharmapāla, the temporal head of this university was known to have awarded the title of pandita to its able scholars.¹⁹

Dharmapāla is reported to make provision for teaching by the appointment of 108 teachers and other staff comprising “an Ācārya for wood offering, an Ācārya for ordination, another for fire offering, a superintendent of works, a guard of pigeons and a supplier of a temple servants.” It is stated that the cost of maintaining of each of these 114 members of the staff was equal to that of four men.²⁰

King Dharmapāla, founder of Vikramshilā furnished it with four establishments, each consisting of 27 marks belonging to the four principle sects. King Dharmapāla gave liberal endowments to Vikramshilā so as to provide free

boarding and lodging to resident and non-resident monks studying at the place. The successors of King Dharmapāla like his son Devapāla continued to give bountiful donations to Vikramshilā upto 1203 AD when muslims invaded it²¹.

Endnote:

¹ Chattopadhyaya, Debiprasad. (Tr.). (1990). *Lāmā Tārānātha: History of Buddhism in India*. Delhi: Motilal Banarasidass. pp. 234-235.

² Joshi, Lal Mani. (1977). *Studies in the Buddhistic Culture of India*. Delhi: Motilal Banarasidass. pp. 275.

³ Altekar, A. S. (1948). *Education in Ancient India*. Banaras, pp. 76.

⁴ Ibid.

⁵ Chattopadhyaya, Debiprasad. (Tr.). (1990). *Lāmā Tārānātha: History of Buddhism in India*. Delhi: Motilal Banarasidass. pp. 234-235.

⁶ Bose, P. N. (1923). *Indian Teachers of the Buddhist Universities*. Madras: Theosophical Publishing House. pp. 92.

⁷ Chattopadhyaya, Debiprasad. (Tr.). (1990). *Lāmā Tārānātha: History of Buddhism in India*. Delhi: Motilal Banarasidass. pp. 232.

⁸ Vidyabhusana, S. C. (1909). *History of the Mediaeval School of Indian Logic*. Calcutta: Bagachi & Co. pp. 157.

⁹ Dutt, Sukumar. (1988). *Buddhist Monks and Monasteries of India*, Delhi: Motilal Banarsidas. pp. 332.

¹⁰ Virji, Krishna., & Kumari, J. (1952). *Ancient History of Saurashtra*, Bombay: Konkan Institute of Arts & Sciences. pp. 205.

¹¹ Takakusu, J. (Tr.). (1966). *I-tsing: A Record of Buddhist Religion in India and Malaya Archipelago*. Delhi: MRML. pp. 178.

¹² Mookerjee, Radha. Kumud. (1989). *Ancient Indian Education*. Delhi: Motilal Banarsidass. pp. 568.

¹³ Takakusu, J. (Tr.). (1966). *I-tsing: A Record of Buddhist Religion in India and Malaya Archipelago*. Delhi: MRML. pp. 86.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Altekar, A. S. (1948). *Education in Ancient India*. Banaras. pp. 77.

¹⁶ Apte, D. G. (1973). *Universities in Ancient India*. Baroda: Maharaja Sayaji Rao University of Baroda Press. pp. 33.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Samaddar, J. N. (1927). *The Glories of Magadha*. Patna: K P Jaysawal Inst. pp. 147.

¹⁹ Apte, D. G. (1973). *Universities in Ancient India*. Baroda: Maharaja Sayaji Rao University of Baroda Press. pp. 48.

²⁰ Mookerjee, Radha. Kumud. (1989). *Ancient Indian Education*. Delhi: Motilal Banarsidass. pp. 587.

²¹ Apte, D. G. (1973). *Universities in Ancient India*. Baroda: Maharaja Sayaji Rao University of Baroda Press. pp. 47.

Caste Analysis Through Holistic Methodology Of Dr. B.R. Ambedkar.

Dr. Nisheeth Rai ¹

Introduction:

Dr. B. R. Ambedkar was a great Anthropologist as he utilized the holistic approach of Anthropology to its best. The glimpses of his holistic approach may be seen in his first ever research paper "Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development" at an Anthropology seminar (1916)¹. In which he started with the following statement: *"I need hardly remind you of the complexity of the subject I intend to handle. Subtler minds and abler pens than mine have been brought to the task of unraveling the mysteries of Caste; but unfortunately it still remains in the domain of the "unexplained," not to say of the "un-understood." I am quite alive to the complex intricacies of a hoary institution like Caste, but I am not so pessimistic as to relegate it to the region of the unknowable, for I believe it can be known. The caste problem is a vast one, both theoretically and practically. Practically, it is an institution that portends tremendous consequences. It is a local problem, but one capable of much wider mischief, for "as long as caste in India does exist, Hindus will hardly intermarry or have any social intercourse with outsiders; and if Hindus migrate to other regions on earth, Indian caste would become a world problem." Theoretically, it has defied a great many scholars who have taken upon themselves, as a labour of love, to dig into its origin. Such being the case, I cannot treat the problem in its entirety. Time, space and acumen, I am afraid, would all fail me, if I attempted to do otherwise than limit myself to a phase of it, namely, the genesis, mechanism and spread of the caste system. I will strictly observe this rule, and will dwell on extraneous matters only when it is necessary to clarify or support a point in my thesis.* Dr. Ambedkar surveyed the existing data on the **physical anthropology** of the different castes in his book **The Untouchables**². He found that the received wisdom of a racial basis of caste was not supported by the data.

This research paper tries to analyze caste using the methodology of Dr Ambedkar i.e. Holistic Approach. This paper analyzes caste **historically, socio-culturally** and **genetically**. This paper concludes that caste is a matter of fact both in traditional and contemporary India. Genetically ancestors of all caste are same. We are son and daughter of common mother and father. Every upper caste person has some genetic material or trait from lower caste and *vice-versa*.

¹ Assistant Professor, Department Of Anthropology, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, Maharashtra.

Historical Analysis of Caste:

It is perhaps true that the most frequently mentioned peculiarity of the traditional Hindu society is the institution of caste called as the caste system. The origin of caste is a subject, which has given rise to a great deal of speculation. The Indian caste system which is an age-old institution yet, there is no unanimity with regards to its origin. The caste structure is so complex that in spite of large number of researches done by social scientists no suitable explanation with regard to its origin could come out.

The word is derived from the Latin word '*Castus*', which means 'pure'. The Portuguese word '*Casta*' which means race, lineage or pure stock³. But 'Caste' was not used in its Indian sense till the seventeenth century. The Indian usage is the leading one now, and it has influenced all other uses. As the Indian idea of caste was but loosely understood, this word was loosely applied to the hereditary classes of Europe resembling the caste of India, who keep themselves socially distinct. The Portuguese used this word to denote the Indian institution, as they thought such a system was intended to keep purity of blood⁴. On one hand it is used to describe in the broadest sense the total system of social stratification, peculiar to India, on the other hand, it is used to denote four more or less distinct aspects of this total system. i.e. *varna*, *jati* and *gotra*.

Careless use of the English word 'caste' has been the source of considerable confusion⁵. Manu distinctly says that there are only four *varnas*, *Brahman*, *Kshatriya*, *Vaisya* and *Shudra* & there is no fifth *varna*, while he admits of over fifty *jatis*. *Varna*, according to Manu is four divisions into which the castes are grouped. But later scholars point out that even Manu confuses *jati* with *varna*. The confusion is due to the fact that the Brahmin can be called both a *varna* and *jati*.

Rig Vedic society was basically tribal in character. According to Keith⁶(1925), the Vedic Indians were primarily pastoral, and this holds good for the Aryans known from the early parts of the Rig Veda. The Aryans encountered the urban population of Harappa society and ultimately conquered them in war. Social adjustment between the Aryans and survivors of Harappa society and other people naturally led to the rehabilitation of some of the surviving priests and chiefs into corresponding positions, possibly of inferior nature in the new Aryan society. Early literature throws hardly any light on the process of assimilation between the Aryan commoners and those of the survivors of earlier societies. It is likely that most of them were reduced to what came to be known as the fourth *varna* in the Aryan society.

In essence, the Rig Vedic Aryan society and perhaps the society described in the *Atharva Veda*, was characterized by the absence of sharp class diversions among

its members, a feature, which is usually found in early societies. The Shudras appear as a social class only towards the end of the period of the Atharva Veda.

The Aryans, white skinned, good featured, making sacrifices and worshipping gods like *Agni*, *Indra*, *Varun* etc were distinguishable ethnically and culturally from the *Dasyus*, who were black skinned (*krishanthvach*), flat nosed (*anas*), of unintelligible speech (*mridhravach*), not sacrificing (*ayajnan*), worshipping no god (*adevayu*) and following strange customs (*anyavrata*). Gradually the *Dasyus*, instead of being exterminated were taken as slaves. 'Das' became in the later literature synonymous with slave and the people were employed in menial jobs. It is most likely that *Dasyus* (slaves) and Shudras were originally the names of prominent tribes conquered and reduced to slavery by the Aryans. By the time the *Purusha Sukta* was composed the Dasa slaves of the Aryan conquerors had begun to be called Shudras. The idea of ceremonial impurity of the Shudras involving prohibition of physical and visual contact with him appeared towards the close of the Vedic period (1000-600 B.C.)

The first notice of such a marked degradation is found in the *Satapatha Brahmana*. Around the 600 B.C.—300 B.C., the difference between the Vaisayas and Shudras was getting narrower day by day. The occupations of the two castes were practically interchangeable. The Vedic society now advanced from tribalism to feudalism. The proud higher castes — Brahmin and Kshatriya began to adopt a more exclusive policy towards them. The social position of Shudra underwent a change for the worse. Shudra ceased to have any place in the work of administration. The law givers emphasized the old fiction that the Shudra was born from the feet of the God and thus imposed on him numerous social disabilities in matters of company, food, marriage and education. The idea that food touched by the Shudra is denied and cannot be taken by a Brahmin is first expressed in the *Dharmasutras* (500B.C.-300 B.C.). Shudra could not take part in Vedic sacrifices and sacraments. He came to be excluded from the Vedic sacrifices to such an extent that in the performance of certain rites, even his presence and sight were avoided.

The *Nishadas*, *Chandalas* and *Paulkasas*, the earliest mention of them is found in *Yajurveda*. Out of these chandalas and Nishadas were considered as untouchables in later Vedic Society. In *Dharmasutras* and Pali texts Chandalas are clearly depicted as untouchables and the Vedic texts kept the fifth caste altogether out from the four-fold division of society. During this time the Varna divided Brahminical society was undermined by the activities of profane sects and the inclusion of foreign elements such as the Bactrian Greeks, *Sakas*, *Pathans* and *Kusanas*. Manu desperately tries to preserve Brahminical society, not only by ordaining rigorous measures against the Shudras, but also by inventing suitable genealogies for the incorporation of foreign elements into varna society. In order to

assimilate numerous aboriginal tribes and foreign elements Manu made a far greater use of the fiction of *Varnasamkara* (intermixture of varnas) than was done by his predecessors. In the majority instances the mixed castes were lumped with the Shudra in respect of their hereditary duties gives a list of Jatis, many of whom have changed in name and some of them have ceased to exist.

Sharma⁷ (2012) thinks that one of the reasons for the origin of untouchability was the **cultural lag** of the aboriginal tribes, who were manly hunters and gatherers, in contrast to the members of the Brahminical society, who possessed the knowledge of metals and agriculture and were developing urban life. Gradually, Brahmins and Kshatriyas withdrew more and more from the work of primary production and tended to be hereditary in their positions and functions.

Socio- Cultural Analysis of Caste:

The caste divided Hindu society which ensured employment and protection to its various caste groups, could not effectively challenge the British policy. For the first time caste system faced a serious challenge from its foreign rules. Western education and social reforms, brought abolition of untouchability. These movements had an aim of cleansing the Hindu social order of some of its undesirable features, narrowing down the caste distinctions, changing the attitude of high caste people towards the untouchables. Growth and town, establishment of industries in urban areas, introduction of railways, led to relaxation of caste prejudice new economic activities taken by the state gave birth to numerous non caste occupations. A process was set into motion, which began to attack the importance of caste as ritual cum occupational division of society. The establishment of civil and criminal courts robbed the caste system and the caste panchayats of authority they once had even the members of particulars castes. But the same time the British policy was not for fostering unity and cohesion of the various sections of people of India. Its policy was directed towards dividing and sub-dividing. People at whatever level possible it be religion, region, language or caste. Introduction of separate electorates or special recognition accorded to non-Brahmins castes in the south not only contributed to the disruption of whatever solidarity India once possessed and fostered jealousy between provinces, creeds, also hardened the caste distinctions.

Thus the process of continuous adjustment and wider integration was always at work. It is clear from the above discussion that caste system becomes more and more rigid over centuries. The forces which led to origin of caste are also the forces, which led to sustainability of the caste system as such.

What is important to note is the fact that the rigidity with which the upper caste people maintained casteist restrictions is on the decline due to several factors. Out of these, at least three seem to be particularly significant. One factor is the increase in mobility of people more so in public transport as trains, buses etc. in

which people of several castes are compelled to travel together. Since defilement is so common in such situations that its removal is neither always possible nor convenient. The second factor is the spread of education which dispels superstitions and beliefs in unfounded explanations such as the one that the untouchables are impure by birth and therefore, need to be kept away from. The third factor is the initiatives taken by the government in overcoming untouchability. It is widely popularized that anybody found guilty of practicing untouchability is liable to be punished. Moreover, the government offers reservation in educational and vocational institutions as also jobs in the public sector. In addition, several NGOs are engaged in the endeavor of abolishing untouchability and all kinds of discrimination on the basis of caste. The chief concern is with strengthening the economic and social base of the lower caste people who have remained marginalized and peripherised in society.

Interestingly, overthrowing the place assigned to them and the sanctions imposed on them in the sacred texts, the people—particularly those belonging to the lower castes aspire to acquire a place in the upper rungs of the caste hierarchy. In order to achieve this, they begin with adopting the customs and lifestyle of the upper castes. M.N. Srinivas coined the term ‘**Sanskritisation**’ to explain this phenomenon. In the words of Srinivas (1952), *‘A low caste was able, in a generation or two, to rise to a higher position in the hierarchy by adopting vegetarianism and teetotalism (abstaining from alcohol) and by sanskritising its ritual and pantheon. In short it takes over, as far as possible, the customs, rites and beliefs of Brahmin and the adoption of Brahmanic way of life by a low caste seems to have been frequent, though, theoretically forbidden. This process has been called ‘sanskritisation’...’* A jati sanskritising itself may begin to assert itself as a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya over a span of one or two generations. While the lower caste people adopt the lifestyle and code of conduct of the upper caste people, the upper caste people themselves are tremendously influenced by Western thought and Western way of life. This is explained as the process of westernization.

Joan Mencher⁸ (1974) brought out the viewpoint of the lower caste people on the caste system and said that, (i) the caste system does not merely provide every caste with special privileges, rather it leads to and strengthens economic exploitation of the lower castes; (ii) it kept the people in the lower wings of the caste hierarchy so isolated that they could not unite with each other for bringing about change in the system, and improving social and economic condition. On the other hand, the high caste people with greater wealth and political power could readily unite and establish inter-regional communication networks which the lower caste people could not even think of.

Social institutions that resemble caste in one respect or the other are not difficult to find elsewhere. The caste system has survived in a perfect form in India than elsewhere, but Hocart⁹ (1950) shows that the Indian caste system is not an

isolated phenomenon as it is thought to be. Comparable forms, still exist in Polynesia and Melanesia and that clear traces of them can be seen in ancient Greece, Rome and Modern Egypt.

Hutton¹⁰ (1961) finds analogous institutions, which resemble caste in one or other of its aspects in various parts of the world like Ceylon, Fiji, Egypt, Somali, Rwanda and Burundi in modern Africa and Burma.

Ghurye¹¹ (1950) traces elements of caste outside India like Egypt, Western Asia, China, Japan, America, Rome and Tribal Europe. In ancient Persia there were the *Atharvas* (priests) *Aathaesthas* (warriors) *Vastriya* (cultivators) and *Huitis* (patricians). The only important difference lay with regard to fourth class, which was the artisan class in Persia, and the servile or Shudra class in India. In Western Roman Empire, there were occupational hereditary groups as created by the theodisian code. Such groups would have been created only if there were elements of social segregation in the society. In Sweden, in the 17th century, marriages outside the class were punished.

According to the German law the marriage of a man belonging to the high mobility with a woman is not entitled to the rank of her husband nor is the full right of inheritance possessed by her and her children. The upper caste Muslims namely the Sheikhs, Saiyads, and the Pathans are intensely cautious of their lineage and avoid weaving marital relations with the low caste muslims like Ansaris and Julahas.

Genetic Analysis of Caste:

In order to analyze the contemporary Indian caste populations, Bamshad et al¹² (1998) compared mtDNA and Y-chromosome variation in ~265 males from eight castes of different rank to ~750 Africans, Asians, Europeans, and other Indians. Collectively, all datasets revealed a trend toward upper castes being more similar to Europeans, whereas lower castes are more similar to Asians. These relationships are further puzzled by the wide geographic dispersal of caste populations.

The study revealed that firstly, genetic affinities among caste populations are, in part, inversely correlated with the geographic distance between them (Malhotra and Vasulu 1993)¹³, and it is likely that affinities between caste and continental populations are also geographically dependent (e.g., different between North and South Indian caste populations). Secondly, castes of different rank may have originated from or admixed with different continental groups (Majumder and Mukherjee 1993)¹⁴. Thirdly, the size of caste populations varies widely, and the effects of genetic drift on some small, geographically isolated caste may have been substantial.

To investigate the origin of contemporary castes, the genetic affinities of caste populations of differing rank (i.e., upper, middle, and lower) was compared to worldwide populations. mtDNA and Y-chromosome variation in ~265 males from eight different caste populations from the state of Andhra Pradesh in South India (Bamshad et al. 1998). Comparisons were made to ~400 individuals from tribal and Hindi-speaking caste and populations distributed across the Indian subcontinent (Mountain et al. 1995¹⁵; Kivisild et al. 1999¹⁶) and to ~350 Africans, Asians, and Europeans (Jorde et al. 1995¹⁷, 2000¹⁸; Seielstad et al. 1999¹⁹).

MtDNA genetic distances between caste populations and Africans, Asians, and Europeans are significantly different reveal that, regardless of rank, each caste group is most closely related to Asians and is most dissimilar from Africans. The genetic distances from major continental populations (e.g., Europeans) differ among the three caste groups, and the comparison reveals an exciting pattern. As one moves from lower to upper castes, the distance from Asians becomes progressively larger. The distance between Europeans and lower castes is larger than the distance between Europeans and upper castes, but the distance between Europeans and middle castes is smaller than the upper caste-European distance. These trends are the same whether the Kshatriya and Vysya are included in the upper castes, the middle castes, or excluded from the analysis.

Among the upper castes the genetic distance between Brahmins and Europeans is smaller than that between either the *Kshatriya* and Europeans or the *Vysya* and Europeans. Assuming that contemporary Europeans reflect West Eurasian affinities, these data indicate that the amount of West Eurasian admixture with Indian populations may have been proportionate to caste rank. Upper castes are more similar to Europeans than to Asians; and upper castes are significantly more similar to Europeans than are lower castes. This result appears to be owing to the union of two different patterns of sex-specific genetic variation.

A higher proportion of proto-Asian mtDNA is found in lower castes compared to middle or upper castes, whereas the frequency of West Eurasian is positively correlated with caste rank, that is, is highest in the upper castes. For Y-chromosome the upper castes exhibit greatest similarity with Europeans, whereas the lower caste groups are most similar to Asians. Genetic distances from Asian populations become larger as one moves from lower to middle to upper caste populations.

The most likely explanation for these findings, and the one most consistent with archaeological data, is that contemporary Hindu Indians are of proto-Asian origin with West Eurasian admixture. However, admixture with West Eurasian males was greater than admixture with West Eurasian females, resulting in a higher affinity

to European Y chromosomes. This explanation is consistent with either the hypothesis that proportionately more West Eurasians became members of the upper castes at the inception of the caste hierarchy or that social stratification preceded the West Eurasian incursion and that West Eurasians tended to insert themselves into higher-ranking positions. The frequency of West Eurasian haplotypes in the founding middle and upper castes may be underestimated because of the upward social mobility of women from lower castes (Bamshad et al. 1998²⁰). These women were presumably more likely to introduce proto-Asian mtDNA haplotypes into the middle and upper castes.

The high affinity of caste Y chromosomes with those of Europeans suggests that the majority of immigrating West Eurasians may have been males. As might be expected if West Eurasian males appropriated the highest positions in the caste system, the upper caste group exhibits a lower genetic distance to Europeans than the middle or lower castes. This is underscored by the observation that the Kshatriya (an upper caste), whose members served as warriors, are closer to Europeans than any other caste .

For maternally inherited mtDNA, each caste is most similar to Asians. In contrast, for paternally inherited Y-chromosome variation each caste is more similar to Europeans than to Asians. Moreover, the affinity to Europeans is proportionate to caste rank, the upper castes being most similar to Europeans, particularly East Europeans. These findings are consistent with greater West Eurasian male admixture with castes of higher rank. It was concluded that Indian castes are most likely to be of proto-Asian origin with West Eurasian admixture resulting in rank-related and sex-specific differences in the genetic affinities of castes to Asians and Europeans

In **conclusion** it can be considered that caste is a matter of fact both in traditional and contemporary India. However, native form and genesis at outcomes of caste in contemporary India is a testimony to the fact that there is a contest between cultural prescriptions of hierarchy with constitutional prescription of equality. There is a contest between cultural prescriptions of heredity status to contemporary search for achievement orientation and individualism. Articulation of sub-alteration groups manifestation of protest by sub-alteration group indicates that how traditional India is slowly inching towards equality, liberty and inclusiveness. Genetically ancestors of all caste are same. We are son and daughter of common mother and father. Every upper caste person has some genetic material or trait from lower caste and Vice-versa. So, its time, to forget the difference based on birth and to replace it with difference based on '*Karma*'.

Endnotes:

¹ Anthropology Seminar of Dr. A. A. Goldenweizer at The Columbia University, New York, U.S.A. on (1916, May 9th). Source: Indian Antiquary. Vol. XLI.

² Ambedkar, B. R. (1948). *The Untouchables: Who Were They? and why They Became Untouchables*. Bombay. Amrit Book Company.

³ Pitt-Rivers, Julian. (1971). "On the word 'caste'", in T O Beidelman, *The translation of culture essays to E. E. Evans-Pritchard*, London, UK: Tavistock,

⁴ Scott, John., & Marshall, Gordon. (2005). "caste", *A Dictionary of Sociology*. Oxford, UK; New York, NY: Oxford University Press. pp. 66.

⁵ Winthrop, Robert. H. (1991). "Caste", *Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology*. New York, NY: Greenwood Press.

⁶ Keith, Arthur. Berriedale. (1925). *The Religion And Philosophy Of The*. London: Yeda And Upanishads Oxford University Press.

⁷ Sharma, T. (2012). *Origin of Untouchability B. R.* New Delhi: Publishing Corporation.

⁸ Mencher, Joan. P. (1974). The Caste System Upside Down. *Current Anthropology*. (Vol. 15), No.4.

⁹ Hocart, Arthur. Maurice. (1950). *Caste: A Comparative Study*. London: Methuen & Co., Ltd.

¹⁰ Hutton, J. H. (1961). *The Position of the Exterior Castes,* in J. H. Hutton, *Caste in India*, London: Oxford University Press, Third Edition, Appendix A, taken with some abridgement from Appendix I to Hutton's report in the Census of India, 1931.

¹¹ Ghurye, G. S. (1950). *Caste and Race in India*. Bombay: Popular Prakashan.

¹² Bamshad, M. J., & Watkins, W. S, Dixon. M. E Bhaskara. B. R. Naidu JM, Rasanayagam A, Hammer ME, Jorde LB. (1998). Female gene flow stratifies Hindu castes. *Nature*. 395:651–652.

¹³ Mlhotra, K. C., & Vasulu. T. S. (1993). *Structure of human populations in India*. In: Majumder PP, editor. *Human population genetics*. New York: Plenum Press. pp. 207–233.

¹⁴ Majumder. P. P., & Mukherjee, B. N. (1993). *Genetic diversity and affinities among Indian populations: An overview*. In: Majumder PP. editor. *Human population genetics*. New York: Plenum Press. pp. 255–275.

¹⁵ Mountain, J. L., & Hebert, J. M. Bhattacharyya, S. Underhill, P. A. Ottolenghi, C. Gadgil, M. Cavalli-Sforza, L. L. (1995). Demographic history of India and mt DNA-sequence diversity. *Am J Hum Genet.*56:979–992.

¹⁶ Kivisild, T., & Bamshad, M. J. Kaldma, K. Metspalu, M. Metspalu, E. Reidla, M. Laos, S. Parik. J. Watkins, W. S. Dixon, M. E. et al. (1999). Deep common ancestry of Indian and western Eurasian mtDNA lineages. *Curr Biol.*9:1331–1334

¹⁷ Jorde, L. B., & Bamshad, M. J. Watkins, W. S. Zenger, R. Fraley, A. E. Krakowiak, P. A. Carpenter, K. D. Soodyall, H. Jenkins, T. Rogers, A. R. (1995). Origins and affinities of modern humans: A comparison of mitochondrial and nuclear genetic data. *Am J Hum Genet.* 57:523–538.

¹⁸ Jorde, L. B., & Watkins, W. S. Bamshad, M. J. Dixon, M. E. Ricker, C. E. Seielstad, M. T. Batzer, M. A. (2000). The distribution of human genetic diversity: A comparison of mitochondrial, autosomal, and Y-chromosome data. *Am J Hum Genet.* 66:979–988.

¹⁹ Seielstad, M., & Bekele, E. Ibrahim, M. Toure, A. Traore, M. (1999). A view of modern human origins from Y chromosome microsatellite variation. *Genome Res.* 9:558–567.

²⁰ Ibid.

पुस्तक समीक्षा


पुस्तक: समय और संस्कृति

लेखक: श्यामचरण दुबे

प्रकाशन वर्ष: प्रथम संस्करण (1996), द्वितीय संस्करण (2000)

प्रकाशन: वाणी प्रकाशन, 21 ए, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

मूल्य: 175 रुपये



विकास के दौर में संस्कृति और परम्परा पर एक विमर्श

शिव शंकर पटेल¹

आज वैश्वीकरण एवं पूंजीवाद के दौर में विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। विकास के इस दौर में जटिल प्रश्न यह है कि, क्या विकास के नाम पर परम्पराओं की बलि दी जा रही है? क्या हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था विघटित हो रही है? यदि हाँ तो क्या विकास के नाम पर परम्पराओं एवं संस्कृति की बलि देना समाज के लिए उचित है? जिस परंपरा और संस्कृति को बनाने और विकसित होने में हजारों वर्ष लग गए, क्या वे अपनी छाप को विकास के नाम पर मिटाने देंगी? क्या विकास के साथ परंपरा एवं संस्कृति का समन्वय नहीं हो पाएगा? क्या संस्कृति परंपरा एवं विकास साथ-साथ नहीं चल सकते? आज यह विमर्श का विषय बना हुआ है। इसी विमर्श को लेकर वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक श्यामाचरण दुबे ने समय और संस्कृति पुस्तक प्रस्तुत की। समय और संस्कृति में श्यामाचरण दुबे ने भारतीय समाज में विभिन्न समयों में परम्परा और संस्कृति की स्थिति, उसकी उत्पत्ति विकास एवं उसके कार्यों तथा उसमें हो रहे बदलाव और विघटन पर ध्यान आकर्षित किया है। परम्परा एवं संस्कृति का समाज में योगदान तथा समाज द्वारा इसे किस रूप में देखा जाता है आदि का विश्लेषण है। इस पुस्तक में दो खण्ड हैं, प्रथम खण्ड में परम्पराओं का विश्लेषण किया गया है, जो कि विभिन्न विद्वानों के लेख अभिभाषण एवं विचारों का संग्रह है। जिसमें परंपरा की परिधि, परम्परा: कुछ विचार, कुछ प्रश्न, भारतीयता की तलाश, इतिहास बोध अध्याय है। जबकि दूसरा खण्ड संस्कृति एवं अपसंस्कृति है। जिसमें समय और संस्कृति: बीसवीं सदी के हस्ताक्षर, आदिवासी धरोहर, लोक कलाओं का भविष्य, संस्कृति और सत्ता, विष का लावा कहा से फूटा? संचार एवं सांस्कृतिक विकास, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय संस्कृति परिवर्तन की चुनौतियाँ, त्रिशंकु संस्कृति का उत्कर्ष, समन्वय एवं सहयोग की परम्परा, सांस्कृतिक एवं राजनितिक एकता की परम्परा, अस्मिताओं का संघर्ष, हिन्दू अस्मिता के प्रश्न, विघटन का दौर, कमजोर नींव चरमराता ढाँचा, महाराज, हस्तिनापुर में विचारों की कमी है..., संस्कृति, प्रतिसंस्कृति, अपसंस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति, आज की समाज दृष्टि, परम्पराओं व संस्कृतियों का सहअस्तित्व: नये आधार की तलाश अध्याय है।

¹शोधार्थी, म. गां. अं. हिं. वि., वर्धा, महाराष्ट्र, ईमेल- pat.shiv1232@gmail.com,
दूरभाष- 8896418031.

प्रत्येक सांस्कृतिक समूह, समुदाय एवं राष्ट्र का अपना इतिहास होता है, और अपनी अलग छवि होती है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक वह जो स्वयं के बारे में विकसित करता है, दूसरा वह जो दूसरी संस्कृतियाँ देती है। पहले को आत्म क्षवि तथा दूसरे को प्रदत्त क्षवि कहते हैं। ऐतिहासिक तथ्य इन क्षवियों को आकार, निखार एवं विस्तार देती है। भारत के क्षवि में समय के साथ अनेक बदलाव आये, हमारे पूर्वज जनजातीय कबीले थे, जो अफ्रीकी नीग्रो, मंगोलायड, आस्ट्रिक, द्रविड़ समूह से थे। यहाँ आर्य, यूनानी, शक, कुषाण, अभिर, गुर्जर और हुड आये, सभी ने अपना स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यक्तित्व बनाये रखा और फिर सामान्य भारतीय समाज में मिल गए। भारतीय परम्परा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का उदय हुआ। ये भारतीयता से पृथक् नहीं रह सकी। मुस्लिम शासन एवं ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय परम्परा को एक नया आयाम दिया। भारतीय परम्परा में अध्यात्मिक पक्ष के साथ भौतिक पक्ष को भी महत्त्व दिया। यहाँ लघु परम्परा एवं दीर्घ परम्परा का सह अस्तित्व बना रहा। संस्कृतिकरण की अवधारणा यहाँ की परम्परागत ढाँचों में परिवर्तन लाया। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से परम्पराओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसे तोड़ा भी जा सकता है। भारतीय परम्पराओं में कुछ भ्रम भी है, हमारी समाज व्यवस्था आदर्श है, उच्च आदर्श और लक्ष्य हमारे अनमोल खजाने हैं। इस भ्रम को समाप्त कर हमें समसामयिक दशा के साथ नए लक्ष्य पर विचार करना चाहिए।

इतिहास बोध और उससे जुड़े सवालों पर पुनर्विचार आवश्यक बन गया है, अब मिथकों का निर्मूलन करना आवश्यक है। ऐतिहासिक चिंतन की भावभूमि बदल रही है (इतिहास की आदिम विधा बहुत पुरानी है, इसमें चाटुकारिता के अतिरिक्त इतिहास की कच्ची सामग्री होती थी। इतिहास का प्रयोग जातीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए किया गया, संस्कृति और सभ्यता को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है)। इतिहास को समाज के एक ऐसे रूप में उभारना है, जो परम्परा के मूल्यांकन का साधन बने और अपने निर्मम सत्य से समाज में अपने भावी विकास की धाराओं पर विचार करने के लिए सार्थक पृष्ठ भूमि दे।

परम्परा एक द्विविधा का शब्द है, इसका अनेक अर्थों में प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग संस्कृति एवं जातीय अस्मिता के लिए भी किया जा रहा है। पहले के कुछ साम्यवादी, समाज के उत्थान के लिए पुराने मूल्यों एवं संस्थाओं का विध्वंस आवश्यक मानते थे, किन्तु ऐसा संभव न हो सका। विकास के लिए चार प्राथमिकताओं का अनुभव किया गया। प्रथम- राजनितिक स्वतंत्रता, इससे सांस्कृतिक विभिन्नताएँ समाप्त हुईं। द्वितीय- आर्थिक विकास, परम्पराएँ विकास में अवरोधक हैं इसे बदलना आवश्यक माना गया। किन्तु ऐसा संभव न हो सका। और विकास के तीन लक्ष्य उत्पादन, व्यवस्था और संस्कृति का संरक्षण को महत्त्व दिया गया। तृतीय- सामाजिक समता, इसके लिए सामाजिक आन्दोलन एवं संघर्ष आवश्यक है, पर वे भी परम्पराओं की अवहेलना नहीं कर सकते। चतुर्थ- सांस्कृतिक स्वायत्तता, इसने भारत इसके अलावा अन्य देशों में भी अनेक आन्दोलनों को जन्म दिया। इससे राज्य व्यवस्था डगमगा गयी।

परम्परा, संस्कृति और जातीय भावना पर्यायवाची नहीं है, किन्तु राजनीतिकरण ने इसके अंतर को कम कर दिया है। परम्परा संस्कृति का वह भाग है, जिसमें भूत काल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक

की निरंतरता बनी रहती है। इसमें जड़ता नहीं है, इसमें समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलाव आते रहते हैं। परम्परा की परिधि का निर्धारण एक जटिल प्रश्न है, कुछ विचारक मानवीय परम्परा को समग्रता के रूप में देखते हैं, तो कुछ केन्द्रीय परम्परा के रूप में। परम्पराओं का आधार शास्त्र भी है, लोक भी। परम्पराओं में अंतरनिर्भरता है। इसमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता है। परम्पराओं की अवमानना संभव नहीं है, किन्तु उसकी अतिरहस्यमयता का परिक्षण भी आवश्यक है।

परम्परा का क्रमिक विकास होता है, इससे समाज को निरंतरता मिलती है। यह दैवीय नहीं होता, इस प्रकार सभी परम्पराओं को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता के अनुसार समाज उसका चुनाव कर उन्हें आकार देता है। यह नयी चुनौतियों का सामना कर उसमें गत्यात्मकता को स्वीकार करता है। परम्परा स्वनिर्णय से बदलती है, इसे दबाव से नहीं बदला जा सकता। परम्परा का सहअस्तित्व भी संभव है, परन्तु इसके लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

आधुनिकता का सम्मोहन समाज पूरी तरह परम्परा मुक्त नहीं है। आज के विचार आधुनिकता और परम्परा को दो विपरीत ध्रुव नहीं मानते, ये एक-दूसरे की सहयोगी भी हैं। एकवचन परम्परा शब्द का प्रयोग भ्रामक है, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संदर्भों में उनके रूप भिन्न होते हैं। इसमें निश्चित अंतःसम्बन्ध होते हैं, परन्तु प्रत्येक की अलग पहचान संभव है। महान एवं लघु परम्परा के अंतःसम्बन्धों ने भारत की जटिलता एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने पर बल दिया है। लघु परम्पराओं के अनेक तत्व महान परम्पराओं में प्रतिष्ठित हुए, जो परम्परा विकसित हुई उसमें दोनों के तत्व थे। महान परम्परा आदर्श प्रतिमानों का प्रति रूप रही लघु परम्पराएँ व्यवहारजन्य प्रमाणित हुईं।

संस्कृति एवं अपसंस्कृति:

यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय भारतीय समाज व्यवस्था मूलतः असमतावादी शोषण पर आधारित थी, वर्ण एवं जाति का आधार शुचिता की भावना थी। सत्ता के आगे समाज-व्यवस्था झुकाती थी। सच तो ये है कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कभी नहीं हुआ। आजादी के बाद भारत ने प्रजातंत्र, समता और सामाजिक न्याय के आदर्श अपनाये और उन्हें संविधान में समाहित किया। इसे व्यवहारिकता नहीं दी जा सकी। परम्परा पोषित सामंती मूल्यों और नव-स्वीकृत आधुनिक मूल्यों की टकराहट ने नये संघर्षों को जन्म दिया। सामाजिक परिवर्तन से समुदाय-केन्द्रित भारतीय समाज धीरे-धीरे व्यक्ति-केन्द्रित होता गया। जीवन के प्रत्येक पक्ष का राजनीतिकरण हुआ।

मानव एक उच्च कोटि का प्राणी है। यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम विकसित किये, किन्तु विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि पशु समाज में भी अभिव्यक्ति पायी जाती है, परन्तु मानव की संचार शक्ति की तुलना में अपर्याप्त है। मानव ने अपनी जैविक विशेषता के कारण (मष्तिष्क रचना, कंठ, सीधे खड़े हो सकने की योग्यता, प्रतीकों की निर्माण छमता, ध्वनियों को भाषा का रूप देने की क्षमता) उच्च कोटि की संचार व्यवस्था स्थापित कर सका है। संचार के विकास में मानव ने पहले चित्रलिपि, पित्तोग्राफी,

लोगोग्राफी (इस लिपि को शब्द लेखन भी कहते हैं) तथा ध्वनियों के आधार पर लिपियों का विकास एवं अक्षर के अविष्कार तक किया। पत्तो, मिट्टी की पतली ईंटों, पत्थर, चमड़े आदि पर लिख कर मानव ने अपने संचित ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित किया। कागज एवं मुद्रण व्यवस्था आयी, मुद्रण के अविष्कार से पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। ज्ञान का प्रसार एवं स्थायित्व की भावना बढ़ी, यह विचारों की क्रांति का प्रारम्भ था। रेडियों, तार, टेलीफोन, कैमरा, टेपरिकार्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर मानव की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को प्रतिदिन विस्तारित करते जा रहे हैं। संचार समाजीकरण का एक प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती हैं, मनुष्य जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। संचार साधनों के विकास से समाजीकरण की प्रक्रिया में अनेक मूलभूत परिवर्तन होते हैं। संचार मानव छितिज का विस्तार करती है। इससे नयी अभिरुचियाँ उत्पन्न होती हैं। तथा समस्या समाधान पर ध्यान केन्द्रित होता है।

प्रारम्भ में मानव कंदमूल फल खाते थे, छोटे जानवरों का शिकार करते थे। इसके बाद आग जलना, भाषा का अविष्कार एवं बड़े जानवरों का शिकार, स्वस्थ, सुरक्षा एवं खाद्य संवर्धन की अनेक समस्याओं को हल किया। आगे चलकर जानवरों को पालतु बनाना तथा आखेटक और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। पहिले के अविष्कार से मिट्टी के बर्तन एवं गाड़ियाँ भी बनी बाद में धातुओं का उपयोग होने लगा, जिससे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। ब्रह्माण्ड की गुप्त रहस्यों की खोज की गयी, उर्जा के नए साधनों की खोज की गयी। औद्योगीकरण ने साम्राज्यवाद एवं नव उपनिवेशवाद को जन्म दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास ने मानव को विनाशकारी शक्तियाँ प्रदान की। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। संक्रमण के इस दौर में संस्कृति का हास हुआ। सांस्कृतिक मूल्य विघटित हो रहे हैं। भोगवादी संस्कृति का विकास हो रहा है। अनेक समकालीन प्रवृत्तियाँ संक्रमण को जन्म दे रही हैं। अतः संस्कृति को बनाये रखने के लिए समाज गत्यात्मकता आवश्यक है। नहीं तो परिवर्तन अवरोध संस्कृतियों को क्षीण कर देगा, जो अनेक समस्याओं को जन्म देगा।

समय और संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मानव ने बीतते समय के साथ काल गणना करना प्रारम्भ किया, समय की माप-जोख मनुष्य की एक प्रमुख उपलब्धि है। इसमें गणित का चमत्कार, आकाश मंडल के ग्रह, नक्षत्रों का सूक्ष्म अध्ययन एवं ऋतु चक्र की समझ थी। इससे मानव शुभ-अशुभ का ज्ञान एवं आने वाले समय का पूर्वानुमान तथा होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण करना चाहा। समय के साथ बीसवीं सदी ने दो विनाशकारी महायुद्ध देखे, नव उपनिवेशवाद का उदय हो रहा है, वैश्वीकरण के नाम पर भोगवादी संस्कृति का उदय हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने आश्चर्य जनक प्रगति की। जिससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं विषाक्त समुद्र, एसिड वर्षा आदि की चेतावनी दी जा रही है। संसाधनों के होते हुए भी दो तिहाई भाग अभाओं में जी रहा है। विश्व के लिए आज भी पर्याप्त भंडार है, पर वह इतना महंगा है कि गरीब देश उसे खरीद नहीं सकता। एक ओर विश्व ग्राम (ग्लोबल विलेज) की कल्पना है तो दूसरी ओर प्रजातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का दुराग्रह है। इश्वरी विरोध के साथ ही धार्मिक भावनाएँ भी बलवती हुई हैं।

भारत की जनसंख्या का लगभग सात प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है। किन्तु यह अकड़ा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसके आकलन का आधार अलग-अलग है (आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों में अंतर किस तरह किया जाय? यह प्रश्न कठिन है क्योंकि कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है)। भारत के संदर्भ में भ्रामक अवधारणा है कि आर्यों के आगमन से भारतीय सभ्यता प्रकाश में आयी, किन्तु आर्यों के आगमन से पूर्व ही सिन्धु एवं हडप्पा सभ्यता का विकास हो चुका था। आर्यों ने प्रजाति अहंभाव के कारण यहाँ के लोगो को अनादर सूचक शब्द जैसे-दास, दस्यु, अनास आदि नामो से संबोधित किया। आर्यों ने प्रजाति शुद्धता को बनाये रखने का प्रयास किया, किन्तु विफल रहे और भारत में प्रजातीय मिश्रण हुआ। धर्म में भी यह मिश्रण देखा गया, साथ ही कुछ समूह आदिम संस्कृतियों को बचाए रखने में सफल रहे। इसके लिए उन्हें नव विकसित संस्कृतियों से दूरी बनानी पड़ी और पर्वतो पर शरण लेनी पड़ी। जनजातियों के सामाजिक संगठन, पारिवारिक संरचना, उत्तराधिकार एवं विवाह संस्थाओं में भिन्नता है। आदिवासी समस्या को दूर करने के लिए नेहरू-एल्विन सिद्धान्त प्रभावित है इनके अनुसार, आदिवासी परम्पराओं को छोड़ा न जाय, उन पर आवश्यक सुधार थोपे न जाय, इन्हें विभिन्न स्थानों पर आरक्षण दिया जाय, राष्ट्रीय बजट में विशेष प्रावधान हो।

आज जहाँ संस्कृति एवं लोक कलाओं का वैश्वीकरण हो रहा है, वही इनकी जड़ें भी तलासी जा रही है। लोक कलाओं के विकास का पहला चरण लोक भावना एवं सामुदायिक चेतना थी। लोक कलाएँ व्यक्तिगत नहीं है ये सामूहिकता का बोध कराती है। इसमें समूह भागीदार होता है। लोक कलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, जन्म, मृत्यु, विवाह, नृत्य, श्रम, पेड़ कटना, नाव चलाना, बोझा खीचना, चक्की पीसना आदि से जुड़ी होती है। इनके माध्यम से समूह का मनोरंजन, इतिहास एवं सामान्य मान्यताओं, विश्वासों तथा रीति-रिवाजों, लोक परम्पराओं का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण होता है। परम्परागत शिक्षा प्रणाली काफी हद तक लोक परम्पराओं पर आधारित थी। लोक कलाएँ अचल एवं जड़ नहीं थी, इनका समय और परिस्थिति के साथ परिवर्तन होता रहता है। रचनाकार एवं सहभागी अपनी ओर से इसमें जोड़ते और घटाते रहते हैं। सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन के साथ सामूहिक चेतना में बदलाव आया, लोक कलाओं का व्यवसायीकरण हुआ, मनोरंजन के नये आयाम विकसित हुए। कुछ विद्वान लोककलाओं एवं लोक कलाकारों में आ रहे परिवर्तन पर चिंतित हैं। किन्तु ये यदि नयी साज-सज्जा की मांग करते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, उन्हें समझाया अवश्य जा सकता है। सीमाओं का निर्धारण हमें लोक मानस के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

संस्कृति और सत्ता, संदर्भ में विद्वानों के विचारों में मतभेद है कुछ विद्वान संस्कृति को स्वतंत्र रखना चाहते हैं तो कुछ इस पर नियंत्रण के पक्ष में, कुछ विद्वान न तो पूरी स्वतंत्रता और न ही नियंत्रण की बात करते हैं। संस्कृति पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती मानवीय आवश्यकता के दबाव में इसमें बदलाव होता रहता है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक एवं अभौतिक, दोनों में अंतर निर्भरता पायी जाती है। संस्कृति के क्षेत्र में शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनसंचार साधनों एवं विकास परियोजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सत्ता का हस्तक्षेप होता रहता है। संस्कृति के संरक्षण एवं नियंत्रण पर भी राज्य की भूमिका रही है। राज्य ने संस्कृति के

संरक्षण, अभिवृद्धि तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का विकास, सांस्कृतिक प्रदर्शन का कार्य किया जाता है। विकास कार्यों में संस्कृति की अवहेलना नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्रीय भी अब यह स्वीकार्य करने लगे हैं, कि आर्थिक नियोजन एवं सांस्कृतिक नियोजन में सामंजस्य और ताल मेल जरूरी है। अतः सत्ता को संस्कृति से अलग नहीं रखा जा सकता, किन्तु हस्तक्षेप कम हो। सजग जनमत संस्कृति के स्वस्थ और स्वतंत्र विकास का अनिवार्य आधार है।

बीसवीं सदी के आठवें दशक में, भारत में अराजकता एवं हिंसा, लुट, बलत्कार, हत्या, दरिद्रता, शोषण, दहेज हत्या, नैतिकता के पतन का बोल-बाला बढ़ गया।

संचार और विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। यह योजनाओं के कार्यान्वयन में अनेक प्रकार से सहायक होती है। विकास के लिए यह आवश्यक है कि उच्च धरातल से सन्देश बिना विकृत हुए निचे की धरातल तक पहुंचाते रहे और यह भी जरूरी है कि उच्च धरातल को नीचे होने वाली प्रक्रियाओं का पता चले। जन सहमति और जन सहयोग विकास योजनाओं की सफलता के लिए अनिवार्य है, इसमें संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रत्येक संस्कृति में अपने मौलिक तत्वों की संख्या कम ही होती है, अधिकांश बाहर से आते हैं। जिसे संस्कृति अपने साचे में ढाल लेती है, यह उसकी उपयोगिता को बढ़ाती है। किन्तु इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। ये नवाचार एवं गुणवत्ता के आधार पर अपनाये जाते हैं। वर्तमान भारतीय संस्कृति तीव्र संक्रमण काल से गुजर रही है। आधुनिकीकरण की अनिवार्यता तथा परम्परा के आग्रह ने हमें दो राहें पर ला दिया है न हम भारतीय रहे न आधुनिक। यह सच है कि परम्परा सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकती और आधुनिकता परम्परा की अवहेलना नहीं कर सकती। अतः पारिस्थितिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को अनिवार्य बना देती है। आज देश में अनेक विघटनकारी शक्तियाँ हमारी सांस्कृतिक नींव पर हमला कर रही हैं, पर स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं है। हम उपभोगवादी संस्कृति में उलझकर रह गए हैं। इससे व्यक्ति-केंद्रिता बढ़ी है, सामाजिक सरोकार का हास हुआ है। सामाजिक प्रस्थिति और भूमिका डगमगा गयी। धर्म अल्प कालीन राजनितिक लाभ का कारण बन रहा है।

भारतीय समाज में त्रिशंकु संस्कृति का उत्कर्ष हो रहा है। भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। एक ओर पश्चिम जीवन शैली का सम्मोहन है, दूसरी ओर सांस्कृतिक अस्मिता के आग्रह। आज विभिन्न क्षेत्रों में हम परम्परा के साथ-साथ आधुनिकता का प्रयोग बिना तर्क के साथ कर रहे हैं। एक ओर पश्चिम की जीवन शैली का सम्मोहन है, दूसरी ओर अपनी सांस्कृतिक स्मिता। हम पश्चिम के अनुकरण में नये-नये उत्पादनों को अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं।

संस्कृति एवं परम्परा प्रारूप अनुभवजन्य मानव निर्मित है। जीवन के बदलते संदर्भ में निरंतर इसकी पुनर्संरचना की जाती है। पिछले तीन-चार दशकों में विश्वव्यापी धरातल पर सांस्कृतिक चेतना का विस्फोट हुआ है। एक तरफ जन संचार साधनों के विस्तार से विश्वगाँव (ग्लोबल विलेज) बनती जा रही है। तो दूसरी

ओर प्राचीन एवं नवजात छोटी-बड़ी सांस्कृतिक अस्मिताएँ स्वायत्तता के लिए संघर्षरत हैं। भारतीय संस्कृति की एकता एवं विविधता इसी परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। भारत में जातीय एवं स्थानीय परम्पराएँ हमेशा सशक्त रही हैं। छोटी-छोटी जनजातियों को सांस्कृतिक अस्मिता पर गर्व रहा है। भारत में एक ऐसा समूह भी है जो आधुनिकीकरण के दौड़ में पश्चिमीकरण का अन्धानुकरण कर रहा है। इस संदर्भ में समस्याएँ तब परिलक्षित होती हैं जब संस्कृति का राजनीतिकरण होता है। सांस्कृतिक अस्मिता के लिए तीव्र आन्दोलन हुए हैं।

प्रारम्भ में मानव परिवार झुण्ड के आधार पर गठित था। अस्मिता की आवश्यकता के लिए परिवारों ने दल का निर्माण किया, जिनके अपने गण चिन्ह थे। वे अपनी सामूहिक अस्मिता के प्रति जागरूक थे। दलों के संगठन जन अथवा गण (ट्राइब) निर्मित हुई, जिसने अपने मिथक विकसित किये और परम्पराओं की नींव डाली। धीरे-धीरे एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। इस संरचना में लघु एवं वृहद अस्मिताओं का सह अस्तित्व संभव था। इस यात्रा में राष्ट्र का रूप बदला और जातीय भावना का उदय हुआ। इस जातीय भावना के कई आधार थे- समान प्रजातीय उद्गम, धर्म, भाषा, संस्कृति, लम्बी अवधि के समान ऐतिहासिक अनुभव आदि। इस जातीयता के दो प्रमुख आग्रह हैं स्वतंत्र पहचान एवं सांस्कृतिक स्वयत्तता।

हिन्दू नाम बाहरी लोगो द्वारा एक भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों को दिया गया। इसके मूल में कोई धर्म या आस्था नहीं थी। यह धीरे-धीरे सभ्यता सूत्र में बधता गया, मिथक, विश्वास एवं पूजा अर्चना की परत जुड़ी अनेक मत और पंथ उभरे और समाहित हुए, धर्म की व्याख्या बदलती रही, इसके आदर्श नहीं बदलते।

हिन्दू धर्म कई आदर्श, पुरुषार्थ एवं ऋण जीवन पथ के संस्कारों का गुच्छा है। क्षेत्रीय संस्कृतियों में पूजा अर्चना की विविधता है। नव हिंदुत्ववाद इस धर्म के प्रति चिंतित है इनके अनुसार इसमें कई समस्याओं का जन्म हुआ है। जो देशज धर्म और विदेशी धर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है। आज इसी कारण हिन्दू जन चेतना ने एक नया मोड़ लिया है। अस्तित्व के लिए आत्म विश्लेषण हो रहा है।

देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। क्योंकि हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों का नेतृत्व परस्पर विश्वास और सहयोग के सेतु बनाने में असफल रहा था। अयोध्या के विध्वंस कांड ने एक विघटनकारी रूप लिया, कई की जाने गयी, भारतीय समाज अंधी गलियों में भटक गया। परस्पर दोषारोपण हुए, राजनीति का स्वरूप बदला स्वार्थ की राजनीति हावी हुयी। भारत में धर्म के साथ जातीय युद्ध भी प्रारम्भ हुए। भारतीय समाज बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। राजनितिक प्रक्रिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। संस्थानिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। समाज में एक साथ अनेक विपरीत प्रवृत्तियाँ सशक्त हो गयी हैं।

आजादी के बाद भारतीय मूल्य क्षत-विक्षत हो गए हैं, मर्यादाएँ टूटी हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक विकृतियाँ प्रवेश कर गयीं। राजनीति के बदलते स्वरूप के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, दाव-पेच में संप्रदायिकता,

जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद प्रारम्भ हुआ। इस दौर में राजनितिक नेताओं अपराधिक तत्वों और माफिया गिरोहों के बीच संवाद एवं सहयोग बढ़ा।

बुद्धजीवी वर्ग की कोई संतोष जनक व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके अंतर्गत कवि, साहित्यकार, लेखक, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, प्रवक्ता आदि को सम्मिलित किया जाता है। कभी-कभी केवल शिक्षा के आधार पर बुद्धजीवी वर्ग का निर्धारण किया जाता है। जो संतोष जनक नहीं है। क्योंकि वे लोग इससे बाहर हो जाते हैं जो औपचारिक शिक्षा से दूर हैं, किन्तु मानसिक कुशलता पायी जाती है। आजादी के बाद बुद्धजीवी वर्ग ने समाज की समस्याओं पर आक्रामक मुद्रा अपनायी कुछ विकास के मुद्दे उठाये, जिससे पर्यावरण संरक्षण, नारीवाद, सामाजिक न्याय, संप्रदायिकता, मानवाधिकार, सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा आदि। किन्तु आज बुद्धजीवी वर्ग देशज चिंतन से कटता जा रहा है, साधारण जन से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब बुद्धजीवी वर्ग को अपने राष्ट्रीय लक्ष्य स्पष्ट एवं निर्धारित करने होंगे। नीतिगत विकल्पों की लागत एवं लाभ का आकलन पर निर्भरता में कमी, संगठन एवं प्रबंधन की नयी विधि का विकास करना होगा। इसे निभाने के लिए समर्पित भाव से प्रतिबद्धता आवश्यक है।

विकास एवं आधुनिकीकरण ने परम्परा एवं संस्कृति को विघटित करने का कार्य किया। विकास के जो पहलू अपनाये गए चाहे वे विकसित देश या विकासशील देश हो वे पूर्ण विकास में असफल रहे। इस परिस्थिति में संस्कृति ने अपने को पूनःस्थापित की। प्रत्येक संस्कृति में समस्या को स्पष्ट करने के लिए विरोधी संस्कृति(प्रति संस्कृति)का उदय होता है। इससे संस्कृति की विघटनकारी शक्तियों का पता चलता है। वर्तमान में अपसंस्कृति का उदय हो रहा है, इसने भोगवादी कृत्रिम संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

अपसंस्कृति के कारण उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास हो रहा है। अब उपभोग की वस्तु दिखावे, कृत्रिमता और प्रतिष्ठा की वस्तु बन रही है। इससे परम्पराओं का अवमूल्यन, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। पश्चिमीकरण, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान, अंधी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का अपव्यय सांस्कृतिक अस्मिता का हास, झूठी तुष्टि, वर्ग विभेद, आक्रोश एवं अशांति का उदय हो रहा है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्तिकेन्द्रीयता बढ़ रही है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उपनिवेशों के स्थान पर नए स्वाधीन राज्यों का उदय हुआ। नयी सांस्कृतिक चेतना जागी, सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रतिष्ठा चिन्ह अपनाये गये जैसे-राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय वेशभूषा जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक था। स्वाधीनता का तात्पर्य है, भूखो को भोजन, शिक्षा का विकास, बेघरो को आवास, रोगीओं को चिकित्सा का प्रबंध आदि। इसके लिए नये स्वतन्त्र राष्ट्रों ने नियोजित आर्थिक विकास का रास्ता अपनाया, इसमें संपन्न राष्ट्रों ने उत्साह बढ़ाया। पहले विकास के नियोजन ने संस्कृति एवं परम्परा को कुछ हानि न पहुँचाते हुए कार्य किया, किन्तु सफलता न मिलाने पर परम्परा एवं संस्कृति को दोषी ठहराया गया। इस पृष्ठभूमि में परम्परा अपना आक्रोश, धार्मिक कट्टरवाद, जातीय भावना के रूप में प्रगट किया।

आज परम्परा को विकास के विरोधी अवधारणा के रूप में प्रयोग हो रहा है। परम्परा को जड़ एवं विकास को गतिशील माना जा रहा है। इस काल में हुए अध्ययन में परम्परा को विकास का अवरोधक तत्व माना गया है। गुन्नार मिर्डल के एशियन ड्रामा में, परम्परा से जुड़े समाज का आधुनिकीकरण तब तक संभव नहीं है, जब तक आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुरूप सामाजिक संस्थाओं, विश्वासों और मूल्यों को नहीं बदलता। विकासशील देशों का झुकाव दोनों तरफ रहा है। एक पक्ष पर विशेष ध्यान और दूसरे पक्षों की उपेक्षा विकास की प्रयत्नों को निष्क्रिय कर देता है। परम्परा की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। अस्पृश्यता, दास स्थिति, स्त्री का उत्पीड़न आदि को परम्परा के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। कालिदास ने कहा था कि, पुराना सब अच्छा नहीं होता, नया सब बुरा नहीं होता दोनों का समन्वय जरूरी है। इसलिए उत्पादन लक्ष्यों के साथ सांस्कृतिक और व्यवस्था सम्बन्धी लक्ष्यों को सुसंगत निर्धारण आवश्यक है। निःसंदेह परम्परा और विकास के अंतः सम्बन्ध है, न एक को छोड़ा जा सकता है, न दूसरे को। विकास आज की अनिवार्यता है पर परम्परा में अदम्य जीवन शक्ति है, जो अपने आप को विकास यात्रा के हर मोड़ पर प्रमाणित कर लेती है। एक गणना के अनुसार दुनिया में चार सौ से अधिक जनजातीय भावना से प्रेरित आन्दोलन चल रहे हैं इन उदहारण से स्पष्ट है कि परम्परा और विकास को सुसंगत बनाये बिना न शांति संभव होगी न प्रगति।

परम्पराओं में भूत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की निरंतरता बनी रहती है। अक्सर परम्पराओं को जड़ मान लिया जाता है, किन्तु विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि परम्पराएँ समय और परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने में सक्षम होती हैं। कहीं-कहीं तीव्र विकास के साथ समायोजन में कमी भी लाती है। परम्पराओं का टकराव विकास से होता है और विकास के नाम पर परम्परा हावी हो जाती है। संस्कृति एक वृहद अवधारणा है जिसमें, परम्परा, मूल्य, विश्वास एवं विकास के विभिन्न पहलू आते हैं। आज संस्कृति का विघटन हो रहा है। संस्कृति के कुछ तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर विघटित रूप में पहुँच रहे हैं, और वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश के साथ अनुकूलन कर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण को जन्म दे रहे हैं। समाज में वर्ग विभेद बढ़ रहा है।

इस पुस्तक में कमियों पर बात जाय तो स्पष्ट होता है कि परम्परा एवं संस्कृति में विकास से हो रहे बदलाव सिर्फ नकारात्मक परिणाम के रूप में हो रहे हैं, सकारात्मक रूप में कम। विकास के विभिन्न आयामों द्वारा संस्कृति एवं परम्परा का विघटन हो रहा है। किन्तु आधुनिकीकरण एवं विकास ने संस्कृति और परम्पराओं को अनेक कुरीतियों एवं समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। विकास में संस्कृति एवं परम्पराओं को महत्व दिया जा रहा है। विकास में परम्परा और संस्कृति को नकारा नहीं जा रहा है। आज विकास के विभिन्न आयामों ने संस्कृति और परम्परा को सशक्त किया है।

मधेशी समुदाय की समस्या और भारत-नेपाल संबंधों पर आर्थिक प्रभाव का अध्ययन

रत्नेश कुमार यादव¹

परिचय:

भारत-नेपाल दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी राष्ट्र हैं। इन दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध आदिकाल से ही घनिष्ठ हैं। नेपाल का अधिकांश भाग मध्य हिमालय की बर्फीली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है परंतु इसका दक्षिणी भाग तराई प्रदेश (मधेशीय समुदाय) है। दोनों देश शताब्दियों से दक्षिण एशिया के हिंदू बाहुल्य राष्ट्र रहे हैं। यद्यपि वर्तमान समय में भारत एक सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला राष्ट्र है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत-नेपाल संबंध सामान्य संबंधों के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान में दोनों पड़ोसी संप्रभु राष्ट्रों के मध्य मित्रवत संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु, कुछ मामलों को लेकर विवाद बना हुआ है।

नेपाल के संविधान में तराई प्रदेश के मधेशी समुदाय को दूसरे दर्जे की नागरिकता देने के कारण समकालीन विवादों में मधेशी आंदोलन प्रमुख है। इसके कारण भारत-नेपाल संबंध प्रभावित हुआ, इसका प्रमुख कारण नेपाल शासन का यह मान लेना कि भारत नेपाल के घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काते हुए चीन को भी देखा गया है। प्रस्तावित शोधपत्र का मुख्य क्षेत्र मधेशी समस्या और भारत व नेपाल संबंध पर आधारित आंदोलन के कारण, भारत-नेपाल के आंतरिक कड़वाहट है। वर्तमान समय में नेपाल में भारत के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। यदि नेपाल को सचमुच अच्छा गणतंत्र बनना है तथा संपूर्ण जनता का विश्वास जीतना है तो चीन की तुलना में लोकतांत्रिक देश भारत उसका ज्यादा अच्छा मित्र व सहयोगी होगा। मधेश समस्या पहचान, स्वाभिमान और सम्मान की समस्या है क्योंकि इनका रंग-रूप, पहनावा, भाषा, रहन-सहन, खानपान और सांस्कृतिक भारत से मिलती-जुलती है। इस वजह से इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है।

नेपाल-भारत का संबंध किसी संधि, समझौता, राजनीतिक पार्टी व राष्ट्र सेवक की वजह से नहीं है अपितु यह युगों-युगों से चला आया दो देशों के नागरिकों के भावनात्मक और हृदय से जुड़ा हुआ संबंध है। मधेशी समस्या का राजनीतिकरण किस प्रकार हुआ? इस समस्या को लेकर भारत नेपाल की शांति वार्ता व नेपाल के नए संविधान में मधेशी जनता के अधिकारों को जानना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा मधेशी हित के लिए नेपाल सरकार पर मधेशी समस्या समाधान हेतु सुझाव को लेकर नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका भारत-नेपाल के संबंध पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है? यह जानना इस शोध का अभिप्रेय है।

¹शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान केंद्र, केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, गया,

ई-मेल: ratneshbhu2014@gmail.com, संपर्क सूत्र-09404845750

नेपाल भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। नेपाल एक बौद्ध स्थलीय देश है तथा भारत के लिए मुक्त और खुली सीमा है, उत्तर में चीन के दृष्टिकोण से नेपाल की भू-राजनीतिक अवस्थिति भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध, जनसंख्या, सामर्थ्य और विकास के स्तरों तथा भौगोलिक व सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों जैसे कारकों में विशाल अंतर के बावजूद निकट धार्मिक संबंध भारतीय उपमहाद्वीप से तिब्बत पठार को जोड़ने वाली हिमालय की दक्षिणी ढाल पर नेपाल की राजनीतिक अवस्थिति, खुली सीमा आदि भारत और नेपाल के संबंधों को असाधारण और घनिष्ठ बनाते हैं। 1950 में नई दिल्ली और काठमांडू ने *शांति व मैत्री संधि* और *द्विपक्षीय व्यापार* के एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने संबंधों को आगे बढ़ाया। भारत में नेपालियों को भारतीय नागरिकों के रूप में समान आर्थिक व शैक्षणिक अवसर प्रदान किए गए हैं। 1951-59 में नेपाल-भारत संबंधों पर सरकारी दबाव से क्रमिक परिवर्तन हुए जिसमें खास तौर से विदेशी और प्रतिरक्षा नीतियों के समन्वयन के मामलों पर दबाव डाला गया। चीन और रूस सहित अनेक देशों के साथ नेपाल के कूटनीतिक संबंध रहे। 1955 में UNO में भारत की सदस्यता का समर्थन किया जिससे काफी बदलाव उत्पन्न हुए। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भारतीय संसद में यह कहा कि “नेपाल पर किसी प्रकार का हमला भारत पर किया गया हमला माना जाएगा।” 1975 में सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल करना नेपाल के संबंधों में कड़वाहट आ गई। भारत-नेपाल संबंधों में तब एक नया दौर आया जब नेपाल के प्रधानमंत्री अप्रैल 1995 में भारत द्वार पर नई दिल्ली आए और उन्होंने 1950 की शांति मैत्री संधि के व्यापक पुनरावलोकन करने का आग्रह किया, वही जून 1997 में विश्व परिवर्तनों के दौर में प्रधानमंत्री गुजराल के द्वारा गुजराल सिद्धांत ने भारत-नेपाल संबंधों पर भारी प्रभाव डाला।

भारत-नेपाल संबंधों को परिभाषित करना बहुत सहज है कह सकते हैं कि दोनों देश एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं, इसलिए नेपाल-भारत के रिश्ते को कभी छोटा बड़ा, कभी मौसेरा भाई बताया जाता है। इसका इतिहास, भूगोल, संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, धर्म, आध्यात्म सहित आदर्शों और पूर्वजों तक का अटूट नाता है। विश्व का सबसे बड़ा और लोकतांत्रिक देश अगर पड़ोसी हो तो उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। नेपाल का एक राजनीतिक तबका यही चाहता है कि भारत नेपाल के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करे, नेपाल में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करे। नेपाल में लोकतंत्र की मजबूती और स्थिरता भारत के हित में ही है। निकटतम पड़ोसी होने के नाते भारत और नेपाल के बीच अद्भुत संबंध है, जिसकी पहचान मुक्त सीमाएं गहन व्यक्तिगत संपर्क, भाईचारा एवं संस्कृति आदि से है। मुक्त सीमाओं के आर-पार लोगों के मुक्त रूप से भ्रमण करने की एक लंबी परंपरा रही है। नेपाल के पास 1,47,181 वर्ग किमी का क्षेत्रफल है और इसकी जनसंख्या 29 मिलियन है। इसकी सीमा भारत के पाँच प्रांतों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से मिलती है तथा वह उत्तरी सीमा चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र तिब्बत से मिलती है। नेपाल में लगभग 6 लाख नेपाली भारतीय मूल के हैं, जिसमें व्यावसायिक तथा श्रमिक मौसमी आप्रवासी सम्मिलित हैं। वही भारतीय मूल के मधेशी जनता नेपाल में अपने अधिकारों के लिए लगातार आंदोलनरत रहे हैं जिससे भारत-नेपाल संबंध में कड़वाहट भी देखने को मिलती है। उनकी समस्या को लेकर कई उच्चस्तरीय बैठक भारत-नेपाल के राष्ट्राध्यक्षों के बीच होती रही है। अतः

भारत-नेपाल दोनों ही देशों ने संस्कृति, कला, प्रौद्योगिकीय, शिक्षा एवं संचार माध्यमों के क्षेत्र में जन-जन के बीच संपर्कों के संवर्धनार्थ अनेक प्रकार के आयोजन करते रहे हैं।

मधेश समस्या पहचान, स्वाभिमान और सम्मान की समस्या है क्योंकि इनका रंग-रूप, पहनावा, भाषा, रहन-सहन, खानपान और सांस्कृतिक भारत से मिलती-जुलती है। इस वजह से इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। नेपाल-भारत का संबंध किसी संधि, समझौता, राजनीतिक पार्टी व राष्ट्र सेवक की वजह से नहीं है अपितु यह युगों-युगों से चला आया दो देशों के नागरिकों के भावनात्मक और हृदय से जुड़ा हुआ संबंध है। मधेशी समस्या का राजनीतिकरण किस प्रकार हुआ? इस समस्या को लेकर भारत नेपाल की शांति वार्ता व नेपाल के नए संविधान में मधेशी जनता के अधिकारों को जानना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा मधेशी हित के लिए नेपाल सरकार पर मधेशी समस्या समाधान हेतु सुझाव को लेकर नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका भारत नेपाल के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जानना इस शोध का अभिप्रेय है। इस स्थिति को देखते हुए इस विषय पर शोध कार्य महत्वपूर्ण था। संक्षिप्ततः प्रस्तुत शोध- पत्र विषय की प्रासंगिकता यह है कि वर्तमान समय में नेपाल भारत के मध्य मधेशी समस्या के समाधान में प्रस्तुत शोध एक सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। यह भारत सरकार और नेपाल सरकार के लिए भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक हो सकता है।

वर्तमान समय में नेपाल की स्थितियां काफी उतार-चढ़ाव भरी रही हैं। जिसका दक्षिण एशिया तथा भारत नेपाल संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहले महाराजा बिरेंद्र ने नेपाल में एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह करने की बात की, जिनके आधार पर लोगों को राजशाही या लोकतंत्र चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई जिसका भारत हमेशा से पक्षधर रहा है। जॉन गलतुंग ने शांति के दो स्वरूपों को बताया है- 1. सकारात्मक शांति 2. नकारात्मक शांति। भारत एवं नेपाल के मध्य नकारात्मक शांति व्याप्त है- क्योंकि प्रत्यक्ष युद्ध या हिंसा की स्थिति नहीं है परंतु मानसिक मनमुटाव बना हुआ है।

वर्तमान में जहां नेपाल में भारत के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है, वहीं बाकी नस्लों में मधेशी विरोध भी बढ़ रहा है। जिसका कारण संभवतः उनकी भारत से तुलनात्मक रूप में अधिक निकटता है। नेपाल के उप-प्रधानमंत्री ने तो खुलेआम भारत पर आरोप लगाया है कि वह मधेशियों को नेपाल से अलग कर भारत में शामिल करना चाहता है। कुछ समय पहले आए इस बयान का भारत सरकार ने फौरन तीव्र खंडन करते हुए नेपाल सरकार से ऐसी भारत-विरोधी बयानबाजी रोकने को कहा था। लेकिन शायद ऐसा होता लगता नहीं है। इसका कारण नेपाल में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियों के बीच व्याप्त मतभेद व दृष्टिकोणों का अलगाव है। वही वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम परोक्ष रूप से ऐसा कोई आग्रह नहीं प्रदर्शित किया है। यदि नेपाल को सचमुच अच्छा गणतंत्र बनना है तथा सारी जनता का विश्वास जीतना है, तो चीन की तुलना में लोकतांत्रिक व बहुलतावादी भारत उसका ज्यादा अच्छा मित्र व सहयोगी होगा। वैसे भी ऐतिहासिक समस्याओं की नकारात्मक छाया वर्तमान व भविष्य पर पड़ने देना समझदारी की बात नहीं है। नेपाल के निर्माणाधीन मधेशियों का परिचय देते हुए मधेशी समस्या के कार्यशील संगठनों एवं नेपाल में

मधेशी आंदोलन के राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन किया गया है। उपरोक्त विषयों के अध्ययन के पश्चात भारत-नेपाल संबंधों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करते हुए संबंधों के स्वरूप की विवेचना की गई है।

भारत-नेपाल संबंध मधेशी आंदोलन के कारण प्रभावित होता रहा है। मधेशी आंदोलन के कारण नेपाल में मानव तस्करी के खतरे भी बढ़ गए हैं। नेपाल के नए संविधान में बदलाव की मांग को लेकर लगभग काफ़ी समय से हिंसक आंदोलन के बाद मधेशियों ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के काफिले पर हमला कर दिया और एक प्रसिद्ध मंदिर पर पेट्रोल बम फेंका जिसमें राष्ट्रपति गई थीं। नेपाल में मधेशी आंदोलन के कारण भारतीय मुद्रा के लिए भी हाहाकार मचा है। बीरगंज स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक ने सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा था। जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारियों ने नेपाली मुद्रा लेना बंद कर दिया है। इससे व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इससे भारत-नेपाल का व्यापार 80 प्रतिशत प्रभावित हुआ है। भारतीय सीमा क्षेत्र के रक्सौल, बैरगनिया, सिकटा, सीतामढ़ी, जयनगर, फारबिसगंज, घोड़ासहन, वाल्मीकिनगर, बगहा व सुपौल आदि के बाजार मुख्य रूप से नेपाली ग्राहकों पर ही निर्भर हैं। उसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने चिंतित होकर कहा कि मधेशी आंदोलन से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट के साथ ही भारत-नेपाल के व्यावसायिक रिश्ते भी प्रभावित होने लगे हैं। खासकर नेपाल के होटल और पर्यटन का तो बुरा हाल है। इसमें बुटवल, पोखरा और काठमांडू जैसे पर्यटन स्थलों में भारतीय निवेश भी तेजी से प्रभावित हो रहा है। आंदोलन के बीच पर्यटकों को धमकी और उनको निशाना बनाए जाने से भी लोग नेपाल जाने से कतराने लगे हैं।

नेपाल में जारी मधेशी आंदोलन के बीच बुरी खबर यह है मधेशी नेता ईश्वर दयाल मिश्र ने कहा कि तीन माह से अधिक समय से नेपाल में मधेशी आंदोलन चल रहा है। अपनी जायज मांगों को लेकर मधेश की जनता सड़कों पर पुलिस की गोलियों का शिकार हो रही है। मधेशियों की नाकेबंदी से नेपाल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। सरकारी अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में दवाइयों का टोटा लगने लगा है। बहरहाल स्टॉक में रखी दवाइयों से कार्य चल रहा है। लेकिन यही हालात रहे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मधेशी आंदोलन एवं उसके दौरान की गई विभिन्न मांगों के पश्चात भी नेपाल के संविधान में मधेशियों हेतु किसी भी प्रकार के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा गया है। मधेशी आंदोलन के चलते भारत तथा नेपाल संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण भारत की किसी भी प्रतिक्रिया (नेपाल या मधेशियों के संबंध में) को नेपाल राजनैतिक हस्तक्षेप मानता है। जिसका लाभ अन्य राष्ट्र उठाते हैं।

मधेशी समस्या विस्तृत एवं व्यापक है। इस संदर्भ में नेपाल में मधेशियों की संख्या सवा करोड़ से अधिक है। इनकी बोली मैथिली है। ये हिंदी और नेपाली भी बोलते हैं। भारत के साथ इनका हजारों साल पुराना रोटी-बेटी का संबंध है। इनमें से 56 लाख लोगों को अब तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है। जिन्हें नागरिकता मिली भी है, वह किसी काम की नहीं क्योंकि उन्हें ना ही सरकारी नौकरी में स्थान मिलता है और ना ही संपत्ति में। यानी सिर्फ कहने को नेपाली नागरिक। इसी भेदभाव के खिलाफ मधेशी आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल में पहाड़ की महज सात-आठ हजार की आबादी पर एक सांसद है लेकिन तराई में सत्तर से एक

लाख की आबादी पर एक सांसद है। मधेशी नेपाल में एक अलग मधेशी राज्य की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांग को लेकर तराई क्षेत्र के मधेशी समुदाय लगातार आंदोलनरत हैं जिसके कारण भारत-नेपाल संबंधों में कड़वाहट नज़र आ रही है। जिसके द्वारा दोनों देशों का राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हानि हो रही है। ये सब किसी न किसी रूप में भेदभाव का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परिचायक है। इसलिए प्रस्तुत शोधपत्र लेखन में मधेशी आंदोलन को एवं उसके दौरान की गई विभिन्न मांगों को, इन मांगों के पश्चात भी नेपाल के संविधान में मधेशियों हेतु किसी भी प्रकार के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखे जाने पर मधेशी आंदोलन के चलते भारत तथा नेपाल संबंधों में कड़वाहट व नेपाल शासन को चीन के द्वारा भारत को भड़काना, जिसके कारण भारत की किसी भी प्रतिक्रिया (नेपाल या मधेशियों के संबंध में) को नेपाल राजनैतिक हस्तक्षेप मानता है और इस आंदोलन के कारण दोनों राष्ट्रों को हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक हानि को विशेष रूप से फोकस किया गया है। मधेशी समुदाय की समस्या पहचान, स्वाभिमान और सम्मान की है क्योंकि उनका, रंग रूप, पहनावा, भाषा, रहन सहन खानपान और संस्कृति भारत से मिलती-जुलती है। इस वजह से इन्हें भारतीय मानकर नज़रअंदाज किया गया। आलम यह है कि ये लोग वर्तमान समय में भी अपने अधिकारों से वंचित दोगले दर्जे की नागरिकता व्यतीत करने के लिए विवश हैं। साथ ही ऐसे मामलों में मीडिया की भूमिका भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।

शोधपत्र उद्देश्य: प्रस्तावित शोधपत्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- नेपाल के तराई प्रदेश में मधेशी समुदाय की समस्या को जानना।
- नेपाल में मधेशी आंदोलन का समस्या समाधान हेतु सुझाव प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य।

शोध-प्रविधि: इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित शोध प्रविधियां उल्लेखनीय हैं; यथा- इस शोध कार्य हेतु शोधकर्ता द्वारा अपने शोध विषय से संबंधित गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध-प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत विषयवस्तु विश्लेषणात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक शोध-प्रविधियों का उपयोग किया गया व आवश्यकतानुसार कुछ विषय विशेषज्ञों से साक्षात्कार लिया गया है।

मधेशी समुदाय की आर्थिक स्थिति: तराई के मूल निवासियों के आर्थिक आधार कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन छोटे-छोटे उद्योग और नौकरियां नेपाल के कृषि भूमि का 70% भाग तराई क्षेत्र में है सकल घरेलू उत्पाद GDP की दृष्टि से तराई क्षेत्र का योगदान 65% है। इसी प्रकार देश के कुल कृषि उत्पाद का 55% भाग तराई मधेस से प्राप्त होता है। इसीलिए नेपाल का अन्नभंडार होने के साथ-साथ देश का आर्थिक मेंरुदंड भी कहते हैं। तराई के मधेस लोग अधिकांश कृषि औद्योगिक और हस्तशिल्प उत्पादन कर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। मधेस की कुल आबादी का 81% जनता कृषि में संलग्न है जबकि उद्योग और व्यापार की बात करें तो देखने पर पता चलता है कि 9% लोग व्यापार में तथा 10% लोग प्राइवेट नौकरी में संलग्न हैं फिर भी कुल कृषि योग्य जमीन का 18% पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नेपाल राष्ट्र के

कुल क्षेत्रफल 1 करोड़, 47 लाख, 18 हजार, 100 हेक्टेयर भूमि में 26 लाख, 53 हजार हेक्टेयर जमीन खेती योग्य है। नेपाल की कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मुख्य आधार कृषि है।²

तराई की आर्थिक समृद्धि सिर्फ कुछ प्रतिशत ही है तथा अन्य मधेशी समुदाय के नागरिक निर्धनता जनित अभावों से भरा जीवन जीने को बाध्य हैं, वे रोजी-रोटी जुटा पाने में असमर्थ है इसी कारण मधेशी समुदाय के लोग भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, हरियाणा व दिल्ली में जाकर खेतिहर मजदूरी करने को बाध्य होते हैं। हमने देखा कि कुछ मधेशी जनता बाध्य होकर काठमाण्डू जाकर मेलों में या वैसे भी फूल और सब्जी बेचने का छोटा-मोटा काम भी करती है। दुर्भाग्य से काठमाण्डू में इन्हें भारतीय करार दे दिया जाता है। तराई प्रदेश से अच्छा पहाड़ी क्षेत्रों के परिवारों का जीवन स्तर काफी ऊँचा है।³ प्रतिदर्श आँकड़े यह बताते हैं कि मधेशी समुदाय की प्रति व्यक्ति आय औसत 3969 रु प्रति वर्ष है जबकि हिमालीय की प्रति व्यक्ति आय की औसत 5704 रु0 प्रति वर्ष है यदि तुलना करें तो प्रतिशत में 30% कम है।⁴

परिणाम - राष्ट्रीय एकता के बाधक: मधेशी समुदाय की प्रति व्यक्ति न्यून आय का कारण यह है कि 33% अंश भूमिहीन है तथा कृषि से समुचित आय प्राप्त नहीं हो पाती है। यातायात के साधन की समस्या से कृषि उत्पाद को बाजार तक ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मधेशी समुदाय के नागरिकों को योग्यता होने के बावजूद नौकरियाँ नहीं मिलती है क्योंकि उनका प्रशासन में कोई लिंक न होने से समस्या होती है उन्हें शाही सेना, प्रहरी सेना, विदेश सेवा आदि के प्रवेश में अघोषित प्रतिबंध है। इसी प्रकार मधेशियों को रोजगार प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

तराई की कुल जनसंख्या का 68% गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी का प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा तराई में अधिक है, स्रोतों की दृष्टि से तराई के लोगों में संसाधन होने के बावजूद भी मधेशी अधिक निर्धन हैं क्योंकि नेपाली सरकार ओक्टोपस की तरह मधेस को अपने खूनी शिकंजे में जकड़े हुए है। नेपाल का शासक वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तराई प्रदेश को दान दिये जाने से ही असमानता का व्यवहार करता आ रहा है जिसके तहत मधेशियों का आर्थिक शोषण कर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन की अवस्था में ही क्रायम रखा जाता है ताकि सर्वदा शोषण किया जा सके।


तालिका		
भौगोलिक क्षेत्र	प्रति व्यक्ति आय	बेरोजगारी
हिमालय	5938	2.1%
पहाड़	8433	3.7%
मधेश	7322	6.5%

(स्रोत- Nepal Living Standards Survey Report 1996)

² <http://www.himalini.com/%>

³ डॉ. झा 1993:62.

मधेशी आंदोलनों से नेपाल की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:



स्रोत- प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित

चित्र संख्या- 01

विश्लेषण: चित्र संख्या- 01 से यह स्पष्ट है कि 46 सभी प्रतिभागियों का यह मानना है कि सीमा पर यातायात प्रभावित होता है जिससे भारत और अन्य पड़ोसी देशों से आयात-निर्यात नहीं हो पाता है और नेपाल की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, 23 सुचानादाताओं का मत है कि मधेशी आंदोलनों से अर्थव्यवस्था में 0.67 % की गिरावट आती है, 44 प्रतिभागी उद्योग व कृषि उत्पादन में गिरावट को महसूस करते हैं, 27 प्रतिभागियों ने आंदोलन से गंभीर संकट को स्वीकार्य किया है, 43 प्रतिभागियों का यह मानना है कि मधेशी आंदोलन से भारत-नेपाल व्यापार समस्या बाधित होती है तथा 45 प्रतिभागियों का यह मानना है कि ऐसे आंदोलनों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।

नेपाल में भारत के इरादे को लेकर संदेह जब-तब पनपता रहता है, खास तौर पर तब जब वहां की घरेलू राजनीति में गड़बड़ होती है और देश की आंतरिक समस्याएं गहराती हैं। भारत पर फिर आरोप का खेल चल रहा है। अभी भी नेपाल को इस वक्त परेशान करने वाला मुद्दा भारत से संबंधित नहीं, बल्कि घरेलू राजनीतिक और संवैधानिक संकट है, जिस वजह से लगातार हिंसा हो रही है और वहां गंभीर ईंधन संकट बन गया है। नेपाल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा कथित आर्थिक नाकाबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद की है और ऐसे में मधेशियों की पीड़ा को भी संयुक्त राष्ट्र को महसूस करना होगा। उन्होंने सरकार को दो टूक कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा उनकी नाकाबंदी जारी रहेगी और इसके लिए वह भारत को जिम्मेदार न ठहराए। उन्होंने कहा कि आंदोलन से भारत का कोई लेना-देना नहीं है। आपको बता दें कि भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में तराई थारुहट संघर्ष समिति और मधेशी समुदाय द्वारा की गई नाकाबंदी के लिए नेपाल सरकार ने भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए यू.एन में आवाज उठाई है। नेपाल सरकार के इस

कदम से समिति के आंदोलनकारी दुःखी हैं। सीमा पर यातायात प्रभावित (आर्थिक व्यापार) हुआ है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में 0.67% का गिरावट, उद्योग व कृषि उत्पादन में गिरावट, नेपाल का 80% से 85% GDP तराई प्रदेश से, 15% से 20% हिमालय व पहाड़ से, आंदोलन से गंभीर संकट स्वाभाविक है। इससे गरीब जनता पिस रही है, ऐसे आंदोलन का क्या फायदा कि गरीब जनता बिना वजह के पिसे। भारत, नेपाल और मधेशियों की तनातनी के बीच गरीब नेपाली घुन की तरह पिसने लगा था। 55 साल के सुरेंद्र यादव यह कहते हैं कि आंदोलन की वजह से उस के दूध का कारोबार ठप हो गया था और वह भारत जा कर दूध नहीं बेच पा रहा था। नेपाल की माली हालत का आटा जब गीला होने लगा और नेपाली जनता को आटे-दाल का भाव महसूस होने लगा तो मधेशियों ने अपने आंदोलन के चूल्हे में पानी डालने में ही भलाई समझी, पिछले कई सालों से चल रहा मधेशी आंदोलन के कारण मधेशियों द्वारा की गई आर्थिक नाकेबंदी की वजह से सामान भारत से नेपाल नहीं पहुंच पा रहा था जिससे वहां अराजक हालात पैदा हो गया है।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोधपत्र अपनी व्यापकता के दृष्टिकोण से नेपाल-भारत और वहाँ की आंतरिक समुदाय जैसे मधेश के बीच सम्बन्धों और अधिकारों पर प्रकाश डालने के लिए महत्वपूर्ण है। मधेश समुदाय के साक्षात्कार से प्राप्त परिणाम और अलग-अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लिए गए साक्षात्कार से प्राप्त विषय-वस्तु विश्लेषण एवं परिणाम चित्रों के आधार पर यह पता चलता है कि मधेश जनता (प्रतिभागी) सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आयामों पर पिछड़ेपन को महसूस करती है, जिसके लिए वे अलग-अलग आंदोलनों से इसे हासिल करने का प्रयत्न करती है। मधेशियों के बीच कई संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं जैसे- संघीय समाजवादी फोरम पार्टी, लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा, जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मधेशी मुक्ति टाइगर्स एवं जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा आदि मधेशी समुदाय के बीच उनके अधिकारों एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे हैं, मधेशी समुदाय के लोग प्राचीन काल से ही भारत-नेपाल संबंध को सकारात्मक दिशा देने के लिए तत्पर हैं। सभी प्रतिभागियों का मानना है कि स्वयं के निर्णय को अधिकार के अंतरगत सुरक्षित किया जाय तथा कुछ लोगों का मानना है कि मधेशी समुदाय के स्वयं का सैन्य दल हो साथ-साथ अलग अलग राज्य की भी मांग कर रहे हैं। लगभग सभी प्रतिभागियों का यह मानना है कि भारत-नेपाल संबंध से मधेशी समस्या का समाधान हो रहा है जिससे उनकी आंतरिक और बाह्य राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। सभी प्रतिभागी इस बात पर सहमत हैं कि यदि यहाँ की सभी छोटी-छोटी राजनैतिक पार्टियाँ एक साथ मिलकर कार्य करें तो नेपाल में शांति स्थापित की जा सकती है। परिणाम से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि नेपाल के आंतरिक आंदोलन से भारत-नेपाल व्यापार प्रभावित होता है। नेपाल में चीन के बढ़ते कदम को वहाँ की जनता स्वीकार नहीं कर रही है और चीनी हस्तक्षेप से नेपाल सरकार तनाव की स्थिति में है एवं भारत-नेपाल के बीच का संबंध प्रभावित हो रहा है। सभी प्रतिभागियों का यह मानना है कि चीन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हस्तक्षेप से नेपाल की संस्कृति पर असर दिख रहा है। कुछ प्रतिभागियों का यह भी मानना है कि मधेशियों की समस्या को हल करने में UNO की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

सुझाव:

भारत-नेपाल मधेशी समाज के आंदोलन के कारण जो समस्या पैदा हो रही है, उसे द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है। भारत के राजनीतिक दलों में विदेश नीति को लेकर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, सरकार बदलने से यहां की नीति नहीं बदलनी चाहिए। भारत द्वारा दक्षिण एशियाई देशों को अहमियत देना एक सकारात्मक पहल हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. Yadav, Upendra. (2012). Conspiracy of Nepal Raj Against Madhesh. Viratnagar: Rhythm Publication.
2. वर्मा, आनंदस्वरूप (2011). एक्सेस्ट पर लाल झंडा. दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
3. पुष्पराज, नलिन विनोद. (2008). नेपाल कि राजनीतिक विरासत. पटना. दिल्ली: विशाल पब्लिकेशन.
4. यादव. आर.एस. (2013) भारत-नेपाल संबंध, PEARSON प्रकाशन, नई दिल्ली (भारत) chap/no 208-217.
5. पाण्डेय, अंशु. (2006). भारत -नेपाल संबंध. दिल्ली : नवराज प्रकाशन.
6. Constitution of Nepal. (2015). काठमांडू : सविधान सभा सचिवालय.
7. यादव, उपेन्द्र. (2012). नेपाली जन आंदोलन और मधेशी मुक्ति का सवाल. विराटनगर : रिदम पब्लिकेशन
8. वर्मा, ए.एस. (फरवरी 2015). समकालीन तीसरी दुनिया. नोएडा (गौतम बुद्ध नगर).

सहायक ग्रंथसूची:

1. हिमाल, असार-असोज 2053 काठमांडौ, वर्ष 6, सन्युक्तांग 2/3, 2053
2. Tha Hindustan times
3. Statesman, May, 1953, p:7.
4. Human Development index, 2004, UNDP

गंगा स्वच्छता और सामाजिक प्रयास

अभिषेक कुमार राय¹

गंगा स्वच्छता के लिए सरकारी प्रयास से पहले सामाजिक प्रयास देखने को मिलते हैं। ये सभी सामाजिक प्रयास सामाजिक कार्यकर्ताओं की जागरूकता, संवेदना और गंगा के महत्व के प्रति सजगता के फलस्वरूप सामने आए हैं। सामाजिक प्रयासों में सामाजिक, संगठनात्मक, धार्मिक व मीडिया के प्रयास सराहनीय रूप में देखे जा सकते हैं, इन प्रयासों से गंगा की अविरलता व निर्मलता को एक मुद्दे के रूप में पहचान मिली तत्पश्चात सरकार और आमजन, गंगा के प्रति सजग हुए। इसमें आंदोलन, अभियान, कार्यक्रम आदि अनेक उपागम का प्रयोग किया गया और आमजन की सहभागिता से गंगा की सुरक्षा के लिए सरकार व जनता के मानस पटल पर गंगा की चिंता को प्रकट करने का प्रयास किया गया, जो निम्न रूपों में देखा जा सकता है-

सामाजिक प्रयास (Social Effort):

गंगा के लिए सर्वप्रथम सामाजिकप्रयास 1916 में देखने को मिलता है जब अंग्रेज सरकार हरिद्वार में गंगा पर बांध बना कर नहर निकालने की कोशिश कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप गंगा के मैदानी भागों में गंगा का प्रवाह अवरुद्ध होता वे जल को तरसने लगते। इस गंभीर समस्या को उस समय के प्रमुख शिक्षाविदऔर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवर्तक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समझा और उसके लिए अहिंसक तरीके से अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। उनके प्रयास से सर्वप्रथम गंगा को उसके घर में ही रोकने की अंग्रेजी नीति का विरोध हुआ। आमजन के बढ़ते विरोध व मैदानी भागों की चिंता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने अपने निर्णय को वापस लिया और मालवीय जी के साथ गंगा को लेकर समझौता किया। (हिंदी विवेक, 2015 पृ. 77-78)

गंगा की बिगड़ती हालत को समझते हुए 1975 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. वीर भद्र मिश्र ने गंगा प्रदूषण पर एक आलेख लिखा। जिसमें उन्होंने गंगा के बढ़ते प्रदूषण पर सरकार व आमजनता का ध्यान आकृष्ट कराया। वीर भद्र ने गंगा स्वच्छता के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर *संकट मोचन फाउंडेशन* की स्थापना की जिसमें आई आई टी बीएचयू के कई प्रोफेसर थे। वीर भद्र ने वाराणसी में सामाजिक आदत व धार्मिक क्रियाकलापों से उपजे गंगा प्रदूषण के लिए जन जागरूकता और गंगा प्रदूषण की सूचनाओं का आदान-प्रदान आरंभ किया साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को गंगा प्रदूषण के खिलाफ वाराणसी आगमन पर ज्ञापन दिया। उन्होंने सर्व-प्रथम वाराणसी में होने वाले धार्मिक कर्मकांडों से होने वाले प्रदूषण की रोक-थाम हेतु संतो को आगे आने के लिए प्रेरित किया। इनके प्रयासों से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने *गंगा एक्शन प्लान* वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट से जारी किया। गंगा की बिगड़ती दशा को

¹ शोधार्थी, समाज कार्य, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा,
ईमेल: Abhishekkumarrai2@gmail.com

देखते हुए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता महेश चन्द्र मेहता ने 1985 में गंगा के किनारे लगे कारखानों व शहरों से निकलने वाली गंदगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इसमें 250 से अधिक शहरों व कस्बों में सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज डालने व उपचार संयंत्र लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कुछ कारखानों को तुरंत बंद करने व अन्य को शहर से बाहर करने का आदेश दिया। इसके फल स्वरूप गंगा प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा हुई और सरकार को सीवेज लगाने पड़े। उत्तराखंड में गंगा व गंगा की सहायक नदियों पर सरकार के अंधा-धुंध बांधों के निर्माण की योजना व गंगा की अविरलता को रोकने के खिलाफ पर्यावरणविद प्रो. जी. डी. अग्रवाल ने सरकार की इस नीति के खिलाफ 2008 (101 दिन का उपवास) व 2009 (38 दिन का उपवास) में गांधीवादी तरीके से धरना, भूख हड़ताल की जिसमें अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह आदि ने साथ दिया। इसके पश्चात केंद्रीय सरकार व उत्तराखंड की सरकार ने योजनाकृत बांध के निर्माण पर रोक लगाई और जी. डी. अग्रवाल को आश्वासन दिया कि आगे से गंगा पर बांध नहीं बनाए जाएंगे। इसके पश्चात जी.डी. अग्रवाल ने अपना अनशन समाप्त किया। जी. डी. अग्रवाल द्वारा 2013 में गंगा प्रदूषण के खिलाफ फिर 10 दिन का उपवास रखा जो बढ़ते गंगा प्रदूषण के प्रति समुचित रणनीति ना अपनाने व गंगा बेसिन प्राधिकरण के लचर कार्यों व विशेषज्ञों के सुझाव को दरकिनार करने के खिलाफ था। इसमें गंगा बेसिन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह, रवि चोपड़ा व रासिद सिद्दीकी ने अग्रवाल को समर्थन देते हुए प्राधिकरण से इस्तीफा दे दिया था। जी. डी. अग्रवाल द्वारा किए गए इस आंदोलन को स्थानीय संस्थाओं, स्कूलों, व्यापारियों, मल्लाहों, महंतों व आम जनता ने भरपूर सहयोग दिया और जन-जागरण, गंगा स्वच्छता अभियान चलाया तथा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। परिणाम स्वरूप जी.डी. अग्रवाल का यह प्रयास वाराणसी में एक जन आंदोलन बना और आमजन व अन्य संस्थाओं को एक करने में सफल रहा। (Wikipedia, free encyclopedia, 2015)

संगठनात्मक प्रयास (Organizational Effort):

संगठनात्मक प्रयास के तहत 1982 में बीएचयू के प्रो. वीर भद्र मिश्र ने गंगा प्रदूषण पर कार्य करने के लिए *संकट मोचन फाउंडेशन* की स्थापना की जहां गंगा जल की गुणवत्ता की जांच, गंगा प्रदूषण के प्रति आमजन की जागरूकता, धार्मिक प्रदूषण के प्रति संत समाज में चिंतन, घाट की सफाई, जागरण रैली के साथ गंगा प्रदूषण के ठोस उपागम भी अपनाये। इस संस्था द्वारा आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की संस्थाओं से मिलकर गंगा स्वच्छता के लिए शहर के सीवेज को रोकने के लिए छोटे-छोटे तालाब बनाए थे तथा उन तालाबों में शहर के सीवेज को 45 दिन रोक कर पुनः गंगा में छोड़ा जाता था। यह योजना काफी सस्ती थी लेकिन शहरों के बढ़ने के कारण ये धीरे-धीरे कम हो गए। संस्था द्वारा घाटों को गोद लेने की प्रथा आरंभ की गई और स्कूलों, संस्थाओं, व्यापारियों व अन्य के सहयोग से घाट स्वच्छता के कई कार्यक्रम चलाये जिससे वाराणसी में घाटों की गंदगी में काफी कमी आई थी। संस्था द्वारा जन सहयोग के माध्यम से गंगा सफाई के कार्यक्रम के अतिरिक्त गंगा प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता के लिए गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया जो कई वर्षों तक चला जिसे कई सामाजिक व पर्यावरणविदों ने सराहा और उत्साहवर्धन किया। इस संस्था को देश के साथ-साथ विदेशियों का भी सहयोग गंगा स्वच्छता के लिए मिला था। वर्तमान समय में प्रो. वीर भद्र का देहावसान

(2011) हो जाने के उपरांत उनके पुत्र व अन्य साथी गंगा स्वच्छता के लिए वाराणसी में कार्य कर रहे हैं। (SankatMochan Foundation, 1985)

1998 में राष्ट्रीय महिला संगठन (NWO) की संस्थापिका श्रीमती रामा रावत ने गांधी विचार और दर्शन से पर्यावरण संरक्षण के लिए नदी, जल, वन व हिमालय को होने वाले खतरों से बचाने के लिए लगभग 30 से अधिक संस्थाओं के साथ मिलकर *अर्गनाइजेशन एसोसिएसन विथ सेव गंगा आंदोलन* चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य गंगा प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करना, सरकार पर गंगा प्रदूषण व सतत प्रवाह के लिए दबाव डालना व हिमालयी वनस्पतियों को बचाना प्रमुख था। इस आंदोलन के सभी तरीके गांधी दर्शन पर आधारित थे। इसके लिए सुशीला नायर के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1998 को आगा खान पैलेस से जन जागरूकता रैली निकली गई जिसका उद्देश्य इस संगठन के उद्देश्य के प्रति जन मनोभाव को जानना व विश्वास जीतना था। इसके पश्चात 13 नवम्बर 1998 को कानपुर में *“गंगा और हमारा दायित्व”* विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा, कंचनलता सभरवाल, सरकार के प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ गंगा प्रदूषण, परिस्थितिकी, जीव-जन्तु को बचाने के लिए अहिंसक तरीके से कार्य करने, आमजन में जागरूकता पैदा करने व गंगा की सहायक नदियों को समग्र रूप में देखते हुए कार्य करने पर सहमति बनी। (SaveGangaMovement, 2008)

इस संस्था द्वारा 12 नवंबर 2000 को *सेव गंगा रैली* का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें बड़े जन समूह ने भाग लिया और गंगा के मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व राष्ट्रपति के. आर. नारायण को ज्ञापन सौंपा। इसके पश्चात संस्था द्वारा वर्ष 2000 से 2003 के बीच गंगोत्री से गंगा सागर तक सेव गंगा यात्रा निकाली गई। 22 नवंबर, 2003 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 2004 में गांधी, गंगा और हिमालय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। 12 मार्च, 2006 को गांधी जी के दांडी यात्रा के 75वर्ष पूरे होने पर राजघाट से राष्ट्रपति भवन तक *सेव गंगा व हिमालय मार्च* निकाला गया। अक्टूबर 2006 में ही हरिद्वार में गंगा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया ताकि देश में गंगा के प्रति जागरूकता बढ़े। वर्ष 2010 में सेव गंगा और हिमालय यात्रा का आयोजन बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक किया गया। वर्ष 2011 से 2014 तक संस्था द्वारा गंगा पर कार्यशाला, सेमिनार, यात्रा का आयोजन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य गंगा को बचाने के लिए जनमानस में चेतना व सरकार को इसके लिए तैयार करना था। (SaveGangaMovement, 2008)

11 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने गंगा महासभा के सहयोग से *गंगा संस्कृति प्रवाह यात्रा* का आयोजन किया जो गंगा के उद्गम से गंगा सागर तक चलाई गई। इस यात्रा में 145 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। यह यात्रा गंगा के प्रमुख शहरों से होते हुए उन शहरों में गंगा प्रदूषण की स्थिति, कारण, समाधान आदि पर चर्चा, परिचर्चा व आमजन का समागम आदि को समेटे हुए चलाई गई। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को जागरूक करना व उनका गंगा प्रदूषण के समाधान में योगदान लेना प्रमुख था, (KhabarExpress, 2008)।

2005 से गंगा महासभा, वाराणसी गंगा के प्रदूषण व सफाई के लिए वाराणसी में जन आंदोलन चलाने, जनता को जागरूक करने व स्वच्छता को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। मिशन गंगा के नाम से इसने वाराणसी में गंगा प्रदूषण पर राष्ट्रीय कार्यशाला, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ 2014 में *संसद का घेराव* आदि बड़े जन आंदोलनों को अंजाम दे चुका है। यह संस्था गंगा नदी पर कानून बनाने के लिए प्रयासरत है जिसके तहत आमजन की राय बनाने, सरकार पर दबाव बनाने के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर चुका है। यह संस्था आज भी गंगा स्वच्छता के लिए वाराणसी में कार्य कर रही है (Gangamahasabha, 2015)।

वाराणसी के कई संगठनों ने मिलकर *साझा सांस्कृतिक मंच* का गठन (2014) किया है जो गंगा के घाटों की सफाई के लिए घाटों को गोद लिया हुआ है। यह संगठन गंगा की सहायक नदियों वरुणा व असि नदी के प्रदूषण व अतिक्रमण के लिए जनजागरूकता अभियान, ऐडवोकेसी, हस्ताक्षर अभियान, सेमिनार आदि का आयोजन कर गंगा व उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए कार्य कर रहा है। वाराणसी में साझा संस्कृति मंच, गंगा मुक्ति आंदोलन और सर्व सेवा संघ के बैनर तले तीन दिवसीय *गंगा बेसिन संरक्षण, चुनौतियाँ व संभावनाएँ* विषय पर (अक्तूबर 18-20, 2015) राष्ट्रीय समागम हुआ। दो दिन में चले पांच सत्रों के आधार पर इसमें 7 राज्यों से आए प्रतिनिधियों की सहमति से *बनारस धोषणा* को अंतिम रूप दिया गया। जिसमें विकास के नाम पर आने वाली जन विरोधी योजनाओं, प्रस्तावित बैराजों, जल परिवहन की परियोजनाओं को नकारते हुए राष्ट्रीय हिमालय नीति पर प्रभावी कदम उठाने के लिए सरकार पर जन दबाव बनाने का संकल्प लिया गया।

धार्मिक प्रयास (Religious Effort):

1996 में आयोजित सातवें धर्म संसद में गंगा की अविरलता व निर्मलता के लिए प्रस्ताव पारित हुआ तत्पश्चात् विश्व हिंदू परिषद ने *गंगा रक्षा समिति* बनाई। गंगासागर से हरिद्वार तक मोटर बोट से यात्रा व गंगा के प्रमुख शहरों में आमजन को जागरूक करने के लिए सभाएं, सम्मेलन करने का संकल्प लेकर यात्रा निकली। यात्रा में स्वामी चिनमयानंद सरस्वती व जीनेश्वर मिश्र 20 संतों के साथ यात्रा पर निकले, यात्रा जैसे प्रयाग पहुंची प्रशासन ने उन्हें आगे गंगा नदी में मोटर बोट युक्त समुचित प्रवाह न होने से रोक दिया और बताया की आप इस प्रवाह में हरिद्वार नहीं पहुंच पाएंगे। संतों ने प्रशासन की बात मानी व यात्रा वहीं रोक दी गई। इसके पश्चात् संतो ने हरिद्वार से नई दिल्ली तक *गंगा रक्षा यात्रा* निकाली और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गंगा की अविरलता के लिए ज्ञापन दिया (VishvHinduParishad, 2010)।

पर्यावरणविद व गंगा महासभा के सचिव आचार्य जितेंद्र गंगा क्षेत्र में पर्यावरण मुद्दों पर 2000 में कार्य करते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित पवार प्रोजेक्ट हेतु गंगा नदी की सहायक नदियों पर बांध बनाने का 2008 से विरोध करते आ रहे थे। वे लगातार उत्तराखंड सरकार से तीन साल तक बातचीत की और साथ ही अहिंसक तरीके से अपना विरोध भी जारी रखा। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति व विपक्ष को ज्ञापन भी दिया। गंगा की अविरलता के लिए जी. डी. अग्रवाल, के. एन. गोविंदचार्य, अशोक सिंघल

आदि ने अपना संपूर्ण समर्थन उन्हें दिया। आचार्य जितेंद्र का तीन साल का प्रयास अंततः सफल हुआ सरकार ने प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट को निरस्त करने पर 2010 में राजी हुआ (From Wikipedia, freencyclopedia, 2015)।

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में 18 जून 2008 को एक बैठक आयोजित हुई जिसमें देश के प्रमुख संतो की उपस्थिति में *गंगा रक्षामंच* का गठन किया गया तथा स्वामी रामदेव को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। इस बैठक में प्रमुख संत अतिथियों ने अपने विचार रखे। सभी ने गंगा की वर्तमान दशा पर दुःख तथा रोष जताया व सरकारी प्रयासों को धीमा व अदूरगामी बताते हुए गंगा रक्षा हेतु एक महाअभियान चलाने पर जोर दिया। इस बैठक में *गंगा रक्षा का संकल्प* लिया गया। गंगा को सुरक्षित रखना तथा उसे राष्ट्रीय व सांस्कृतिक धरोहर घोषित करवाना। गंगा की अविरलता व निर्मलता बनाए रखना। गंगा की रक्षा के लिये कठोर कानून बनवाना यह गंगा रक्षा मंच का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया (गंगा रक्षा मंच, 2008)।

गंगा रक्षा मंच की बैठक से प्राप्त प्रमुख बिंदुओं पर एक ज्ञापन तैयार किया गया व उसे स्वामी रामदेव के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा गया जिसमें गंगा को राष्ट्रीय नदी तथा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने के साथ-साथ उसे प्रदूषण मुक्त करने की माँग प्रमुखता से रखी गई थी। इस माँग की पूर्ति हेतु समयावधि तीन माह निर्धारित की गई थी। तीन माह की समयावधि पश्चात जब सरकार द्वारा इस पवित्र व राष्ट्रहित के कार्य में कोई रूचि नहीं दिखाई तो मजबूरन संतो को आंदोलन की घोषणा करनी पड़ी। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में गंगा रक्षा मंच के आह्वान पर 18 सितंबर, 2008 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न नगरों में जनसभाएँ, रैलियाँ, धरना, हस्ताक्षर अभियान जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। 18 सितंबर, 2008 को संतोसहित आम देशवासियों ने सांकेतिक उपवास रखा तथा 20 सितंबर, 2008 को देश के 600 नगरों से एक साथ ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम दिये गये।

राष्ट्रव्यापी आंदोलन से शासन का ध्यान भी गंगा नदी के महत्व व उसके प्रदूषण की ओर गया। प्रधानमंत्री ने गंगा रक्षा मंच के प्रमुख स्वामी रामदेव को बातचीत हेतु दिल्ली बुलाया जहाँ संतो की उपस्थिति में प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने समस्या को विस्तार से जाना तथा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की प्रमुख माँग मानीतदुपरांत गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया (गंगा रक्षा मंच, 2008)।

गंगा एक्शन कार्ययोजना में जनसहभागिता के ना होने से यह योजना पूरी तरह से फेल हो गई। 2001 में आयोजित प्रयाग के कुंभ में इसकी पीड़ा को संतों ने समझा व 2010 के हरिद्वार कुंभ में इसकी पीड़ा पुनः संतों के सामने आई। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने इस पीड़ा को उठाया और *गंगा एक्शन परिवार* का गठन किया। इसमें नदियों के प्रति समर्पित सभी धर्म, वर्ग, व्यवसाय के लोग सम्मिलित होकर एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। गंगा एक्शन परिवार द्वारा 2010 में *स्पर्श गंगा अभियान*

चलाया गया। जिसका उद्देश्य समूहिक रूप से गंगा के प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाना और सभी का सहयोग प्राप्त करना था। इसके सदस्यों में वैज्ञानिक, व्यापारी, इंजीनियर सेवाभाव से जुड़े हैं। इसके गठन से ही हजारों लोग इससे जुड़ गए। इसका उद्देश्य प्रेम, सहयोग, एकता से समाज में परिवर्तन लाना है। प्रमुख उद्देश्य गंगा को अविरल प्रवाह व प्राकृतिक रूप से बहाल करना, प्रदूषण जाने से रोकना व उसका टिकाऊ समाधान खोजना, नस्ल, वर्ग, धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद किए बिना सभी को इस पावन कार्य में जोड़ना, एक साथ मिलकर कार्य करना आदि। इस प्रकार *गंगा एक्शन परिवार गंगा के प्रति सभी लोगों के सहयोग से सफाई, जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार, एडवोकेसी, शौचालय निर्माण व सभी धर्मों के घाटों का सौंदर्यीकरण, एक शाम गंगा के नाम जैसे बहु धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिससे सहयोग, प्रेम व एकता का विकास भी होता है* (Ganga Action Parivar, 2015)।

गंगा की निर्मलता व अविरलता के लिए जून 2011 में गंगा व उसकी सहायक नदियों में पावर प्रोजेक्ट के लिए अंधा-धुंध खुदाई, विस्फोट व उससे उपजे नदी संकट को देखते हुए मातृसदन के संत निगमानंद स्वामी ने 19 फरवरी 2011 को अनशन आरंभ किया। उनका अनशन 68 दिन तक चला उस दौरान सरकार, मीडिया व समाज का ध्यान उनकी गंगा नदी की पीड़ा के प्रति नहीं गया। अनशन के 68वें दिन 27 अप्रैल 2011 को उनका प्राण छूट गया और वे गंगा के लिए शहीद हो गए। उनकी इस शहादत से पूरे देश के गंगा प्रेमी विचलित हो गए। उनके आश्रम के संत शिवानंद ने निगमानंद के आंदोलन को उठाया और अनशन पर बैठ गए। अनशन के 11 दिन सरकार को हार मानकर अपने कार्यों को बंद करना पड़ा (नवभारत टाइम्स, 2011)।

20 सितंबर, 2012 को साध्वी उमा भारती ने गंगा प्रदूषण के खिलाफ *गंगा समग्र यात्रा* निकाली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय में जागरूकता लाना व गंगा प्रदूषण के खिलाफ सरकार व जनमानस को सचेत करना था। यह यात्रा 20 सितंबर 2012 से गंगा सागर से गंगोत्री तक निकाली गई। इस यात्रा के दौरान शहरों में समाज के साथ गंगा प्रदूषण पर चर्चा व घाटों पर मानव शृंखला बनाई गई। यात्रा का अंत 28 अक्टूबर 2012 को समाप्त हुआ, (दैनिक जागरण, 2012)। यात्रा की समाप्ति पर प्राप्त हुए अनुभवों व गंगा प्रदूषण की स्थिति पर दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें देश के पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति व समाज के प्रबुद्ध वर्गों की सहभागिता प्रमुख थी। आज उमा भारती की इस यात्रा व गंगा प्रदूषण की सक्रियता को देखते हुए उन्हें वर्तमान सरकार में जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग दिया गया है। लेकिन आने वाला वक्त बतायेगा कि उमा भारती गंगा प्रदूषण को कितना कम कर पाई (TheTimes of India, 2012)।

18 अक्टूबर, 2015 को हरिद्वार में निर्मल गंगा जन अभियान के अंतर्गत शांतिकुंज स्थित गायत्रीपरिवार के हजारों कार्यकर्ताओं ने गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा किनारे बने 200 घाटों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया। हरिद्वार के सप्तसरोवर स्थित पांडवघाट पहुंचकर सफाई अभियान की शुरुआत करने के बाद गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणव पांडया ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक एक साथ

चलाया गया यह सफाई अभियान ऐतिहासिक है। इसका उद्देश्य घाटों की सफाई करना और धार्मिक नदी को साफ रखने के बारे में लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया गायत्री परिवार अपने दीर्घकालीन योजना के तहत गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा नदी की सफाई का कार्य कर रहा है, (IBNKHABAR, 2015)। उन्होंने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का हम अभिनव प्रयोग कर रहे हैं और इसके लिए गंगोत्री से गंगासागर तक क्षेत्र को पांच अंचलों में बाँट कर कार्य किया जा रहा है। पांडया ने बताया कि अभी तक इस अभियान के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण के अंतर्गत गंगा के तटीय स्थानों के दोनों छोरों में 500 साइकिल टोलियाँ निकाली जायेंगी जो पांचों अंचलों में कार्य करेंगी। हरिद्वार में चलाये गये इस अभियान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और कठोर मेहनत कर हजारों टन कचरा गंगा से निकाला। गायत्री परिवार का यह अभियान पूरी तरह से जन सहभागिता पर आधारित है इसमें वृद्ध, महिलाएं, प्रौढ़, विद्यार्थी सभी बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। (पूरी दुनिया, 2015)

मीडिया प्रयास (Media Effort):

एबीपी न्यूज़ द्वारा गंगा के जल की जांच पांच वर्षों से कर रहा है। अभी 17-18 जून 2014 को इसने गंगा के पांचवें वर्ष के रूप में गंगा जल की जांच श्री राम इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के साथ मिलकर पूरी की थी। जिसमें गंगा तट के हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, हावड़ा आदि शहरों के गंगा जल की गुणवत्ता की जांच की जिसमें सभी जगहों के गंगा जल में हानिकारक तत्व पाये गए और गंगा जल पीने, नहाने, कृषि तीनों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। इस टेस्ट रिपोर्ट को एबीपी ने सभी शहरों के प्रमुख घाटों पर गंगा की सौगंध नामक कार्यक्रम रखा जिसमें उस शहर के सभी बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, संतों, नेताओं को बुलाया गया और रिपोर्ट के आकड़ें दिखाये गए। पूरे शहर के गंगा जल प्रदूषण के आकड़ों को जल संसाधन मंत्री उमा भारती व ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी को भेजा गया। एबीपी का यह प्रयास समाज व सरकार दोनों के लिए गंगा प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाने व कुछ करने, सोचने को मजबूर करता है, (Research (SIIR), 2014)।

दैनिक जागरण द्वारा जून 2014 में गंगा की स्वच्छता, निर्मलता को बनाए जाने हेतु एक बड़े गंगा जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी जिसमें गंगोत्री से गंगा सागर तक की पदयात्रा की गई। इस यात्रा में एक रथ निकाला गया जिसमें देव प्रयाग से शुद्ध गंगा जल लेकर गंगा तट के प्रमुख शहरों से होते हुये गंगासागर तक की दूरी हजार किमी की यात्रा की गई। इस अभियान के तहत गंगा को निर्मल बनाने व अविरल बहने के लिए केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, उद्योग जगत, प्रशासन व समाज के सभी वर्गों को इससे जोड़ने के लिए इस अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। चार राज्यों के सभी गंगा तट के शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया ताकि समाज का हर वर्ग जागरूक व जिम्मेदार नागरिक की तरह गंगा प्रदूषण मुक्ति में अपना योगदान दे सके (दैनिक जागरण, 2014)।

इन सभी प्रयासों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, संगठनात्मक, धार्मिक, मीडिया व अन्य प्रयास गंगा को लेकर हुए हैं, जिन पर प्रकाश डाला जाय तो बहुत बड़ा इतिहास तैयार हो जाएगा। लेकिन उन प्रयासों को कमतर कर के नहीं मापा जा सकता है क्योंकि हर प्रयास, गतिविधि का कुछ अधिक सकारात्मक प्रभाव तो कुछ का कम सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है। गंगा के लिए जितने भी सामाजिक प्रयास हम देख रहे हैं इन सभी सामाजिक प्रयासों के फलस्वरूप ही गंगा की अविरलता, अतिक्रमण, प्रदूषण और दोहन के प्रति आमजन में एक संदेश गया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में गंगा को लेकर एक चिंतन और आंदोलन का भाव उपजा। इन सभी प्रयासों ने सरकार को गंगा की दशा के प्रति सोचने को मजबूर किया और फिर सरकार ने अपने स्तर से उसके लिए सरकारी योजनाएँ आरंभ की जिनमें गंगा एक्शन प्लान-1(1985), गंगा एक्शन प्लान-2(1993), गंगा बेसिन अथॉरिटी(2009), राष्ट्रीय नदी गंगा की घोषणा (2008) और वर्तमान की नमामि गंगे योजना (2014-15) शामिल हैं।

संदर्भसूची:

- Vishv Hindu Parishad, (2010). Ganga Raksha Andolan. doi: info@vhp.org.
- Ganga Action Parivar, (2015). Ganga Action Parivar. Retrieved October 5, 2016, from National Ganga Right Act: <http://www.gangaaction.org>.
- IBN KHABAR, (2015, अक्टूबर 18). IBN KHABAR. गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा को साफ करने का प्रण ले जुटा गायत्री परिवार. Retrieved अक्टूबर 20, 2016, from <http://khabar.ibnlive.com/news/city-khabrain/nirmal-ganga-abhiyan-gayatri-pariwar-gangasagar-gangotri-clean-ganga-418560.html>
- पूरी दुनिया, (2015, अक्टूबर 10). पूरी दुनिया डाट काम. गायत्री परिवार ने की राज्यों में गंगा घाट की सफाई <https://puridunia.com/archives/28592> से, 2016 अक्टूबर 20.
- Research(SIIR), A. N. (2014). Study of Water Quality of River Ganga by SIIR | ABP NEWS. ABP News and Shriram Institute for Industrial Research(SIIR). Retrieved October 2, 2016, from <http://aapkablog.abplive.in/sites/all/themes/abpnewsblog/ganga-ki-saughand.pdf>
- KhabarExpress.com. (2008, february 20). Massive campaign to cleanese polluted water river of Ganga. Retrieved अक्टूबर 15, 2016, from. <http://www.khabarexpress.com/news/National/Massive-campaign-to-cleanse-polluted-water-of-River-Ganges/14009.htm>.

- गंगा रक्षा मंच, (2008, जून 18). गंगा रक्षा मंच. Retrieved अक्टूबर 6, 2016, from गंगा रक्षा आंदोलन की पृष्ठभूमि: <http://gangarakshamunch.com/Home.aspx>.
- नव भारत टाइम्स. (2011, जनवरी 14). गंगा के लिए अनशन करने वाले संत ने कोमा में दम तोड़ा. Retrieved अक्टूबर 6, 2016, from. <http://navbharattimes.indiatimes.com//articleshow/8840194.cms>.
- The Times of India. (2012, December 3). The Times of India. Uma Bharti campaigns for Ganga. Retrieved September 6, 2016, from. <http://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/Uma-Bharti-campaigns-for-Ganga/articleshow/17458856.cms>.
- दैनिक जागरण, (2014, जून 27). गंगा जागरण अभियान को हरी झंडी दिखाएंगी उमा भारती . <http://www.jagran.com/news/national-ganga-jagran-abhiyan-will-start-from-saturday-.11431378html> से, 2016, अक्टूबर 10 को पुनर्प्राप्त.
- हिन्दी विवेक, (2015, अगस्त 9). गंगा रक्षा आंदोलन, pp. 77-78. Retrieved जनवरी 10, 2017.
- Sankat Mochan Foundation. (1985). Retrieved September 12, 2016, from <http://www.sankatmochanfoundationonline.org/index.html>.
- Save Ganga Movement, (2008). Retrieved September 12, 2016, from Important Activities of National Women's Organization, Pune: http://www.savegangamovement.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=40.
- Ganga Mahasabha, (2015). Retrieved अक्टूबर 12, 2016, from <http://gangamahasabha.org/index.aspx>.
- Wikipedia, (2017, March 05). गंगा नदी. Retrieved from wikipedia: https://hi.wikipedia.org/wiki/गंगा_नदी.

भारतीय इतिहास लेखन परंपरा की नारीवादी दृष्टि से पड़ताल

आरती कुमारी¹

‘राष्ट्रीयता की संस्कृति’ 19वीं शताब्दी से भारतीय सामाजिक और राजनैतिक विमर्शों के मध्य एक मुख्य विषय रूप में रहा। भारतीय संदर्भों में-विचारकों, आध्यात्मिक व्यक्तियों तथा दर्शनिकों-जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा अरविन्दो, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रवीन्द्रनाथ टागोर, बी. सी. पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बर्कीचंद्र चटर्जी, बी. जी. हेगेडवार, के. एम. मुंशी, एम. एस. गोलवारकर, जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने आधुनिक इतिहास लेखन के संदर्भ में विचारों तथा विमर्शों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। ये लोग कई मामलों में एक-दूसरे के विचारों तथा सुझावों से असहमत थे परंतु फिर भी इनमें राष्ट्रीयता की संस्कृति के विचार संदर्भ में एकसूत्रता दिखाई देती है क्योंकि कहीं न कहीं ये विचारक अपने-अपने स्तर से औपनिवेशिकता से लड़ रहे थे और भारत देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए संघर्षरत थे। परंतु भारतीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तथा उसके बाद आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए इनके मत अलग-अलग थे।

जब भी इतिहास में किसी भी देश की स्वतन्त्रता की बात कही जाती है तो उसमें तात्कालिक सफल रहे कारणों तथा आंदोलनों का विवरण ही अधिकांशतः मिलता है। भारत की स्वतन्त्रता इतिहास भी कुछ इसी प्रकार के उद्धरणों को समाहित किए हुए है। भारत स्वतन्त्रता के पश्चात सत्ता का हस्थानांतरण जिस राजनैतिक पार्टी को हुआ, इसी संदर्भ में इतिहासकारों ने उनके महिमा मंडन में अधिक से अधिक लिखना प्रारम्भ कर दिया। भारत की स्वतन्त्रता में कांग्रेस के बुर्जुआ वर्ग के नेताओं के योगदान पर भारतीय इतिहासकारों ने विस्तारपूर्वक अपनी कलाम चलाई परंतु अन्य खेमों के स्वतन्त्रता के लिए किए गए प्रयासों को नजरअंदाज किया। कहीं-कहीं छिट-पुट संदर्भों में इसकी चर्चा मात्र देखने को मिलती है। यह भी इतिहास का राजनैतिकरण है जिसमें तात्कालिक स्वतन्त्रता के बाद शासन करने वाली सत्ता को ही स्वतन्त्रता का पूरा श्रेय दे दिया गया। क्योंकि इतिहासकार की चेतना समकालीन परिस्थितियों से होकर ही इतिहास के संकलन और मूल्यांकन का काम करती है। उसमें समय धर्म, जाति और जेंडर आधारित भेद-भाव में बंटे समाज में इतिहास चेतना में भी कई तरह की संकीर्णताओं का भी समावेश मिलता है। जोकि इतिहास सामाजिक एकजुटता की परिस्थितियां

¹ शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

तैयार करने की जगह सामाजिक विभाजन को ही सींचने लग गया।¹ परंतु उन आंदोलनों और प्रयासों का क्या जो भारत को स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया में असफल रहे, क्या उनका योगदान उनकी असफलता के कारण कम हो जाता है? कुछ इसी प्रकार के सवाल को जानने के लिए इतिहास की पूर्णव्याख्या की आवश्यकता है जिससे इन घटनाओं की सही पड़ताल की जा सके।

इसी क्रम में जब हम महिलाओं के इतिहास की बात करते हैं तो उनके इतिहास को हम अंधकार में पाते हैं। भारत की स्वतन्त्रता में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी योगदान दिया है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को उठा कर देखें तो हमें इन महापुरुषों से संबंधित अनेक दस्तावेज, राष्ट्रवादी लेखकों द्वारा इन पर लिखी गयी कई किताबें प्राप्त होती हैं, जिनमें संदर्भों के रूप में छुट-पुट महिलाओं के भी विवरण नाम मात्र मिलते हैं। जबकि महिलाओं ने हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है फिर भी वे इतिहास के पन्नों से गायब रहीं हैं। महिलाओं के संदर्भ में भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में उदासीनता दृष्टिगत होती है। भारत के इतिहास लेखन में महिलाओं के इतिहास को उपेक्षित ही रखा गया है। जब कभी भी महिलाओं के संदर्भ की बात आती है तो प्राचीन तथा मध्य भारतीय इतिहास में गिनी-चुनी महिलाओं का नाम आता है जो कि एक विशेष जाति वर्ग से संबंध रखती थीं। भारत के आधुनिक इतिहास लेखन में जब हम महिलाओं के संदर्भ की बात करते हैं तो हम उनके राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी से प्रारम्भ करते हैं। भारत में उपनिवेशवाद के विरोध में राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ उसी के साथ भारतीय समाज और भारतीय इतिहास लेखन में महिलाओं को कुछ नाममात्र स्थान देने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। राष्ट्रीय आंदोलनों के इतिहास में महिलाएं भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलनों में बड़ी संख्या में दिखती हैं जिसमें गांधी जी के द्वारा चलाये गए सत्याग्रहों में उनकी संख्या अधिक है। जिसमें महिलाएं घर से बाहर देश की आजादी के लिए बाहर तो आयीं परंतु उन्होंने परिवार की दहलीज को पार नहीं किया। जिससे 'आदर्श स्त्री' की विशेषताओं को राष्ट्र स्तर पर गढ़ना शुरू हुआ जोकि बाद में 'राष्ट्र माता' के रूप में निकल कर सामने आता है।

भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा को उपनिवेशवाद ने तो भरपूर रूप से प्रभावित किया जिसको हम अंग्रेजी शिक्षा से उभरे औपनिवेशिक मध्यम वर्ग के द्वारा चलाए गए सुधारवादी 'नवजागरण' के रूप में देख सकते हैं। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास लेखन औपनिवेशिक संस्कृति प्रेरित रहा जिसमें प्राच्यवादी इतिहास लेखन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। चूंकि इस काल में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में भद्र माध्यम

वर्ग तैयार हुआ जिसने नवजागरण काल के सुधारवादी आंदोलनों से लेकर उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों का कारण बना जो बाद में जाकर उच्च मध्यम वर्ग के पुरुषों के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया। चूंकि यह बात साफ है कि नवजागरण काल के समाज सुधारक अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे परंतु फिर भी उनमें अपने धर्म के प्रति असीम कृतज्ञता थी, जो नवजागरण के विभिन्न सुधारवादी धार्मिक आंदोलनों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। चाहे वे विवेकानन्द हो या फिर रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द सासवाती, राजा राम मोहन राय इन्होंने हिंदू धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं में सुधार की दृष्टि से कार्य किया। राजा राम मोहन राय, विद्यासागर जैसे लोगों ने महिलाओं के मुद्दों जैसे- सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा को लेकर बड़े स्तर पर कार्य किया जिसके फलस्वरूप 1929 में 'सती प्रथा उन्मुलन एक्ट' ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया।

दलित वर्ग भी औपनिवेशिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा था उनमें भी सामाजिक शोषण, वर्गभेद, जातिभेद, लिंगभेद के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ी। दलित समाज के महान समाज सुधारक के रूप में ज्योतिबा फुले, पेरियार, डॉ. अम्बेडकर निकलकर आए जिन्होंने ब्राह्मणवाद तथा पितृसत्ता की जड़ों को महिलाओं की निम्न स्थिति के साथ जोड़कर समझा और उनके विरुद्ध आंदोलन चलाए। दलित समाजसुधारकों ने जाति तथा जेंडर के जटिल गठजोड़ को बारीकी से समझा तथा सामाजिक सुधार के लिए रेडिकल कदम उठाए। इस सामाजिक परिवर्तन के दौरान अनेक धाराएं एक साथ चल रही थीं जिनके संदर्भ में सुमित सरकार अपनी किताब 'सामाजिक इतिहास लेखन की चुनौती' में लिखा है कि 'औपनिवेशिक माध्यम वर्ग को एक जैसे गुट के रूप में नहीं समझना चाहिए, जैसा कि 'नवजागरण' के इतिहास लेखन और बाद के समीक्षकों ने किया'।²

जब हम भारतीय इतिहास लेखन की परम्पराओं पर नजर डालते हैं तब इतिहास के चरणों की व्याख्या के संदर्भ में पाते हैं कि वहाँ महिलाओं के इतिहास लेखन को लेकर निराशाजनक स्थिति रही है। दुनिया की आधी आबादी होने के बावजूद उनके विषय में अति अल्प जानकारी ही हमें उपलब्ध है। जो उपलब्ध भी है वो छुट-पुट तथा बिखरे हुए हैं। जिन महिलाओं का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त भी होता है वे अधिकांशतः उच्चकुल, उच्चवर्गीय महिलाएँ रही हैं। सामाजिक इतिहास लेखन में महिलाओं के संदर्भ में जानकारी हमें औपनिवेशिक काल में 'नवजागरण' तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त होती है। जिसे हम औपनिवेशिकता के विरुद्ध प्रति क्रांति के रूप में देखते हैं। इस संदर्भ में सुमित सरकार लिखते हैं

कि 'समाज में स्वयं अपनी स्थिति के विषय में भारतीय इतिहासकारों ने सामान्यतः आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। अकादमिक निकायों में इतिहास लेखन संबंधी निबंधों का झुकाव ग्रंथसूचियों, प्रवृत्तियों अथवा आंदोलनों के सर्वेक्षण मात्र तक सीमित रह गया है।..... ऐतिहासिक चेतना के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।..... दूसरे शब्दों में, हमारे यहाँ इतिहास लेखन के सामाजिक इतिहास लेखन का अभाव है।'³

क्योंकि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के इतिहास लेखन की बात आती है तब एक महिमामंडित लेखन शैली के साथ इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उच्च मध्यम वर्ग के पुरुषों के नेतृत्व का महिमा गान की अधिकता होती है जहाँ पर स्त्री के इतिहास को दोयम दर्जे पर सहायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस संदर्भ में सुमित सरकार ने लिखा है कि 'आजादी के बाद इतिहास और विशेषकर 'स्वतंत्रता संघर्ष' अथवा राष्ट्रीय आंदोलनों' के वृत्तांत (वैभवशाली अतीत को जारी रखने के दावों के साथ) उपनिवेशांतर राष्ट्र राज्य में शासक वर्गों को वैधता प्रदान करने के प्रमुख साधन बन गए। इसीलिए 'राष्ट्र नायकों' के एक अत्यधिक उदार वर्ग को ऐसे चमचमाते कवचधारी शूरीयों के रूप में प्रस्तुत किया जाना था जो वास्तविक जीवन के अन्तर विरोधों और प्रासंगिक दबावों से मुक्त थे।'⁴

इतिहास लेखन में महिलाओं की सीमांतता लिंगभेद की घटित घटना के ही रूप में नहीं बल्कि लिंगभेद के लिए निश्चित तथ्य के रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाओं का इतिहास में न होना या कहें कि उनके इतिहास को न लिखा जाना यह उनके इतिहास को केवल अंधकारपूर्ण या फिर अदृश्य बनाए रखने को ही नहीं दर्शाता है, (जैसा कि अक्सर महिलाओं के साथ घटित होता है) बल्कि यह एक उत्पीड़न भी है।'⁵ इतिहास लेखन में महिलाओं से संबंधित तथ्यों की उपलब्धता के संदर्भ में राधा कुमार अपनी पुस्तक 'स्त्री संघर्ष का इतिहास' में लिखती हैं कि '20वीं सदी के पूर्वार्द्ध की (महिलाओं) अनेक जीवनियाँ, भाषणों के संकलन, आत्मकथाएँ एवं संस्मरण पूरी तरह उपलब्ध भी थे लेकिन इनमें से अधिसंख्य स्त्रीविशेष के व्यक्तिगत जीवन एवं कार्यों से संबंधित थे। महिला आंदोलनों से संबंधित सामग्री की वैसे ही बहुत कमी है और जो उपलब्ध भी हैं उनमें मध्य वर्ग और ऊँची जाति के आंदोलनों की तरफ ज्यादा झुकाव है। माना जाता है कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में अनेक सक्रिय महिला आंदोलन हुए किन्तु हैरानी की बात यह है कि इन आंदोलनों की प्रकृति, तौर-तरीकों एवं अभियानों की

रणनीति (जो किसी भी आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं) के बारे में हुई बहसों का खुलासा नहीं मिलता है।⁶

यदि सूक्ष्मता से पड़ताल की जाए तो अकादमिक जगत पर पितृसत्तात्मक राज्योन्मुख भारतीय इतिहास लेखन का वर्चस्व है। चूंकि स्त्री का कोई इतिहास नहीं लिखा गया है लिहाजा कब, क्यों, कैसे स्त्री अपनी वर्तमान स्थिति पर पहुँची इसका व्यवस्थित लेखा-जोखा हमारे पास नहीं है। लिहाजा उपलब्ध सबूतों को इकट्ठा कर इतिहास गढ़ने की कोशिश की गयी है। मसलन मानवशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने आदिम जीवन जी रही जातियों के परिवार/सामाजिक व्यवस्था, रहन-सहन, शादी-ब्याह, रीति-रिवाजों, नैतिक मूल्यों, नियम-कानूनों का अध्ययन करके और मानव के पूर्वज चिंपजी तथा बंदरों के आपसी व्यवहार, उनके समूहों का गठन, बच्चों की देखभाल आदि का अध्ययन करके, इसकी मानव समाज से तुलना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकले हैं।⁷ औपनिवेशिक भारत में पितृसत्ता के पुर्नउत्थान के ऐतिहासिक विकासक्रम को समझने के लिए हमें अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों की पड़ताल करने की आवश्यकता है। जिससे प्राथमिक रूप से उस काल के मानव समाज संबंधी नियम-कानूनों तथा पितृसत्ता के पुर्नउत्पादन के वर्ग, जाति संरचना को प्रकाश में लाया जा सके। यहाँ राज्य की भूमिका के पितृसत्तात्मक व्यवहारों को नए रूप में बदलने, बरकरार रखने तथा भड़काऊ बनाने के सही क्रमों में कतार बद्ध करना नहीं है बल्कि, एक प्रेक्षकों की भाँति अपनी राजनीतिक समझ, अनुभवों का निरीक्षण करना है, जो मानव समाज में महिलाओं के दैनिक जीवन में पितृसत्ता के क्रियाओं को सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके स्वरूपों के प्रश्नों के जत्थे के रूप भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। हमें केवल स्वतंत्रता आंदोलनों में औपनिवेशिकता के विरुद्ध महिलाओं के योगदान की पड़ताल ही नहीं अपितु इन आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका, उनकी समस्याएँ तथा पितृसत्ता के विरुद्ध उनकी आवाज़ को भी दर्ज करना होगा। भारतीय संदर्भों में विदेशी महिला इतिहासकारों द्वारा भारतीय महिला को ऐतिहासिक रूप से दर्ज करने में 1969-70 के वर्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस दशक में महिला मुद्दे, उनकी समस्याएँ, महिलाओं की अधीनस्था के कारण पितृसत्ता, जेंडर आदि प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरकर सामने आए। इसी संदर्भ में गेरैल्डाइन फोर्ब्स⁸ बताती हैं कि भारतीय महिला संबंधी मुद्दे और भी जटिल रूप से सामने आए क्योंकि भारतीय महिलाओं से संबंधित पर्याप्त दस्तावेजों का बड़ा अभाव रहा जिसे उस समय के इतिहास लेखन की बड़ी

समस्या तथा चुनौती के रूप में देखा गया क्योंकि परंपरागत भारतीय इतिहास लेखन शुरुआत से से ही विवादास्पद रहा।

भारतीय आंदोलनों के वृहद विस्तृत स्वरूपों में महिलाओं ने सक्रियता के साथ दोहरी भूमिका निभाई। एक तो औपनिवेशिकता के विरुद्ध तथा दूसरा आंतरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था के साथ संघर्षरत हो कर इतिहास के पन्नों से अदृश्यता, इतिहास लेखन परंपरा में व्याप्त ‘जेंडर के प्रति पूर्वाग्रहों’ की ओर संकेत करते हैं। यह महिलाओं को भारतीय इतिहास लेखन की मुख्यधारा से हाशियाकरण की ओर धकेल देता है। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की प्रमुख समस्या मुख्यधारा के रूढ़िबद्ध सैद्धांतिक तटस्थता है जो उसके जेंडर, जाति, वर्ग के प्रति उसकी ‘संवेदनशीलता की दुर्बलता’ को प्रकट करता है।

एंडनोट्स

¹ सिंह, वैभव. (2007). *इतिहास और राष्ट्रवाद*. हरियाणा: आधार प्रकाशन. पृ. सं. 260.

² सरकार, सुमित. (2001). (अनु.) *एन. ए. खां, सामाजिक इतिहास लेखन की चुनौती*. दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी. , पृ. सं. VIII.

³ वही, पृ. सं. 13.

⁴ वही, पृ. सं. 13.

⁵ Chakraarti, Uma, ‘ Rewriting History—the life and times of Pandita Rmabai’, Zuban, new delhi, pp. vii-viii.

⁶ कुमार, राधा. (2009). *स्त्री संघर्ष का इतिहास*. दिल्ली: वाणी प्रकाशन. पृ. सं. 11.

⁷ जोशी, गोपा. (2006). *भारत में स्त्री असमानता-एक विमर्श*. दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय. विवि. पृ. सं. 10.

⁸ Forbes, Geraldine. (2005). *women in colonial India: Essays on political, medicine and Historiography*. New delhi: chronicle books.

धोबी की सांस्कृतिक पहचान के रूप में धोबिया गीत

शिव कुमार¹

लोक कलाएँ भारतीय समाज की अनुपम विरासत हैं जो स्वतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं, जिसे आज भी विभिन्न समाजों में स्थानीय पृष्ठभूमि में सुरक्षित है। लोक कलाओं में जन जीवन की सर्जनात्मकता सुरक्षित और संरक्षित होती है जो इनके अभिज्ञान का परिचायक होता है। (हाऊजर, 2008) यह एक युगीन परम्पराएँ के रूप में गतिमान होती है। लोक शब्द भारतीय समाज की प्राचीनता की तरह प्राचीन तथा भारतीय संस्कृति की पावनता की तरह पावन है। 'लोक' को अंग्रेजी के 'फोक' के पर्याय के रूप में स्वीकार कर उसको ग्रामीण, गँवारू रूप का सिद्ध करना अथवा समझना 'लोक' शब्द की विशालता के साथ अन्याय है। प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म-ग्रन्थों में लोक को विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है। यहाँ लोक को सम्पूर्ण संसार, भुवन अथवा जगत् के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ वर्णित त्रिलोक के अन्तर्गत 'पृथ्वी लोक' 'पाताल लोक' 'आकाश लोक' किसी भी स्थिति में गँवारू अथवा ग्रामीण संस्कृति के परिचायक नहीं हैं।

लोककला में जितना प्राचीन इतिहास लोक का है उतना प्राचीन इतिहास कला का है। विशिष्ट संवेदनाओं, भावनाओं और अनुभूतियों से प्रेरित सजीव सर्जनात्मकता ही कला है। कला ही मनुष्य और पशु के मध्य अन्तर को स्पष्ट करती है। लोक कला सांस्कृतिकता के प्रवाह को भी दर्शाती है। लोक कला का सम्बन्ध मानव मन की आनन्दित अवस्था से है। आनन्ददायी स्थिति से सम्बद्ध होने के कारण उत्सव, पर्व, त्योहार, मेले आदि के समय आनन्द की अभिव्यक्ति लोक कला के माध्यम से होती है।

भारतीय लोकजन व्रत, उत्सव, त्योहार आदि को हर्षोल्लास से मनाता है। इसी कारण क्षेत्र विशेष की पारम्परिकता को अपने में सहेजे, समेटे लोक कला का रूप सभी क्षेत्रों में अलग-अलग होने के बाद भी सुरम्य, सुसंस्कृत, मनमोहक लगता है। आँचलिक विशेषताओं से परिपूर्ण होकर लोक कला हर्षोल्लास के अवसरों को और जीवन्त बना देती है। (त्रिपाठी, 2013) धोबिया संस्कृति भी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण विभिन्नता से भरी हुई है। इसी विविधता के कारण धोबिया लोककला अपने समाज और पारिस्थितिकी की सम्पूर्ण मानवीय व्यवहारों को अपने देशज ज्ञान के आधार पर सुरक्षित रखे हुए हैं। इनके लोकव्यवहार में आधुनिकता और पारिस्थितिकी के अनुसार परिवर्तन भी देखने को मिलता है, परंतु आज भी धोबिया लोककला अपने जातिगत पारंपरिक पहचान के रूप में प्रदर्शित करती हैं।

धोबिया लोक कला की समृद्धता और मोहकता को यहाँ सम्पन्न होने वाले विविध पर्व-त्योहार, व्रत, उत्सव, शादी-विवाह आदि के अवसर पर देखा जा सकता है। धोबिया लोक समृद्धि के वैविध्य-लोक गीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्ति, लोक देवता, लोक कला, लोकाचार, लोक मनोरंजन,

¹शोधार्थी, मानवविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, ईमेल-shiv.anthro@gmail.com, दूरभाष- 9807119455

लोक वार्ता, लोकविश्वास, लोक मुहावरों, लोक संगीत, लोक वेश-भूषा इत्यादि में मनमोहकता के दर्शन आसानी से परिलक्षित होते हैं। लोक कलाओं में रूप अलंकरण, घाट पुजा, घाट विश्वास, वेश-भूषा आदि को स्वीकारा गया है। उत्तर-प्रदेश राज्य के पूर्वाञ्चल क्षेत्र में त्योहारों, पर्वों, व्रतों, उत्सवों, शादी-विवाहों, संस्कारों आदि के अवसर पर धोबी जाति के लोगों को बुलाया जाता है। इन अवसरों पर धोबिया लोक कलाकारों को विशेष रूप में बुलाया जाता है। क्योंकि ये लोक कलाकार अपने गीतों, वाद्य-यंत्रों, नृत्य, संगीत एवं नौटंकी से इस अवसर पर आए लोगों का स्वागत कराते हैं। त्योहारों एवं व्रतों के अवसर पर पौराणिक कथाओं को गीतों के रूप में गाते हैं। शादी विवाह के अवसर पर तो इन्हें विशेष मुद्रा में कला को प्रदर्शित कराते हैं क्योंकि उस अवसर पर सभी प्रसन्न रहते हैं। अतः इस अवसर पर वे गीत और संगीत का मिला-जुला रूप प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ वे पूरे हर्ष-उमंग के साथ उछल-कूद करते हुए नौटंकी का रूप प्रदर्शित करते हैं।

दीपावली, नागपंचमी, तीज, रक्षा-बंधन, कृष्णजन्माष्टमी, होली, गोधन पुजा, दशहरा आदि अवसरों पर धोबिया लोक कलाओं का स्वरूप भी विशेष दर्शनीय होता है क्योंकि इन पर्वों पर धोबी जाति को विशेष सम्मान दिया जाता है। इन अवसरों पर वे महापुरुषों के वीरता की कहानी को गीत के माध्यम से गाते हैं। विभिन्न पौराणिक कथाओं एवं गाथाओं को भी गीत के माध्यम से सुनते हैं। इन अवसरों पर गोबर का लेपन उस जगह पर करवाया जाता है जहाँ धोबिया लोककला का प्रदर्शन किया जाता है। किसी प्रकार का कार्य करने से पहले कलाकार अपने लोक देवता जैसे डीह बाबा, समै माई, टेडुया बाबा, बरम बाबा, काली माता, चौखटा बाबा इत्यादि को याद करते हैं। लोक कलाओं में हाथ की मुद्रा, वेश-भूषा, आभूषण, वाद्य-यंत्र, शरीर का प्रचलन इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस लोककला के स्थान के रूप में गाँव के खलिहान और पंचायत भवन का स्थान प्रसिद्ध होता है। जहाँ इन्हें अपनी कला को दिखने में पर्याप्त जगह मिलती है, इसके साथ ही साथ देखने वालों को भी पर्याप्त जगह मिलती है। इनका यह स्थान गोलाकार होता है। किनारे किनारे गाँव के सभी लोग जिसमें सभी जतियों के लोग बैठते हैं और बीच में खाली जगह में धोबिया कलाकार अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। अतः धोबिया लोककला में जगह की महत्ता होती है।

धोबिया लोककला एक ऐसी कला है जिसे 'धोबिया लोककला का संकुल' (Complex of Dhobia Folk Art) के नाम से भी जाना जाता है। संकुल कहने से तात्पर्य यह है कि इस लोककला में कला के कई रूप प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि गाने के साथ नृत्य करते हैं, हास-परिहास के दौरान नौटंकी करते हैं, गीत के साथ संगीत भी होता है इत्यादि। प्रस्तुत शोध में धोबिया लोककला के अंतर्गत धोबिया गीत, संगीत, नृत्य, नौटंकी, विश्वास, लोकवार्ता, लोक गाथा, पौराणिक कथा, कहावतें एवं मुहावरें, दंत कहानियाँ, वाद्य-यंत्र, वेश-भूषा एवं आभूषण इत्यादि लोक कलाओं को शोध क्षेत्र में देखा गया है, जिसको धोबी जाति के सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जा सकता है। धोबिया लोककला के विभिन्न प्ररूपों का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। इस लोक कला के प्रत्येक प्रारूप में धोबी जाति की जातिगत पहचान के साथ साथ धोबी और धोबिन, धोबी लोकसंस्कृति एवं पारिवारिक जीवन की संरचना देखने को मिलती है।

धोबिया लोक कलाकार:

वेरियर एल्विन (1946) ने लोकगीतों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि इनका महत्व इसलिए नहीं है कि इनके संगीत, स्वरूप और विषय में जनता का वास्तविक जीवन प्रतिबिम्बित होता है प्रत्युत इनमें मानवशास्त्र के अध्ययन कि प्रामाणिक एवं ठोस सामग्री हमें उपलब्ध होती है। (उपाध्याय, 2008) इसी क्रम में मध्य-प्रदेश की करमा जाति के एक गीत में यह उल्लेख है कि 'यदि तुम मेरे जीवन कि सच्ची कहानी जानना चाहते हो तो मेरे गीतों को सुनो।' (Folk Song of Mechel Hills, Introduction, p.15) मानवशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मानव को इकाई माना जाता है और उसे केन्द्र में रखकर सम्पूर्ण समाज एवं संस्कृति का विश्लेषण किया जाता है जो मानव की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। इस प्रकार समाज की सम्पूर्ण संस्थाएं, रीति-रिवाज, प्रथाएँ, नियम-कानून एवं कलाएं मानव द्वारा ही निर्मित होती हैं और मानव जन समूहों एवं स्थानीय पारिस्थितिकी के सहयोग से प्रसारित होती है। अतः किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक विशेषता में मानव की अभिज्ञानता छिपी होती है। लोककला भी एक ऐसी ही सामाजिक संस्था के रूप में स्थानीय समाज में विद्यमान रहती है जिसमें व्यक्तियों की एक निश्चित व्यवस्था होती है और वे किसी नियम-कानून के द्वारा संचालित होते हैं। इसके बाद वे विभिन्न भौतिक उपकरणों जैसे- मृदंग, कसावर, रणसिंघा, लिल्ली घोडा, घुँघरू, वेश-भूषा इत्यादि का उत्पादन करते हैं जिससे वे विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में गीत, नृत्य, नौटंकी इत्यादि करते हैं जो एक क्रियात्मक रूप होता है और यह क्रियात्मक रूप अभिनयात्मक होता है जिसे समाज में विशेष सम्मान मिलता है। इस प्रकार किसी भी लोककला में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, जिसे लोककलाकार की संज्ञा देते हैं।

पूर्वाञ्चल के मिर्जापुर एवं गाजीपुर जिले में लोककला के रूप में प्रचलित धोबिया एक ऐसी ही लोककला है जिसे एक संस्था का रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि इसमें धोबी जाति के लोककलाकारों का एक निश्चित व्यवस्था होती है जिसे धोबिया लोककला के नियमों में बांध कर रखती है और उन्हें नीपूरता पूर्वक अभिनयात्मक रूप में विभिन्न वाद्य-यंत्रों के द्वारा विभिन्न कलाएं करते हैं। यह लोककला धोबी समाज में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा स्थानीय अन्य समाजों में भी इसे विशेष सम्मान प्राप्त है। धोबिया कलाकारों की अपनी एक विशेष पहचान होती है। प्रस्तुत शोध उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर और गाजीपुर जिले से संबन्धित है जिसमें धोबी जाति के लोक कलाकारों को केंद्र में रखकर साक्षात्कार लीआ गया था। जिससे शोधार्थी ने विभिन्न धोबिया लोककलाकारों का विवरण प्रस्तुत किया है। इनका यह विवरण लोककलाकारों के जीवन-इतिहास को भी दर्शाता है। लोक कलाकारों का जीवन-इतिहास करने पर यह पता चलता है कि इन लोककलाकारों के लिए धोबिया लोककला एक सांस्कृतिक पहचान है। जिसे उन्होंने अपने पूर्वजों (दादा-परदादा) सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में सीखा है। धोबिया लोक कलाकारों का विवरण निम्नलिखित है। -

कवि/लेखक: धोबिया लोककलाकार में प्रथम स्थान कवि का होता है जिसे लेखक के रूप में जाना जाता है। लेखक एक ऐसा व्यक्ति होत है जिसे स्थानीय समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। यह व्यक्ति समान्यतः सबसे बुजुर्ग और अनुभवी होता है जिसे लिखने और पढ़ने का ज्ञान होता है क्योंकि वही समाज के विभिन्न

मुद्दों जैसे सामाजिक कुरतियों, विश्वासों, मूल्यों, जीवन संघर्षों, परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों इत्यादि पर गीतों की रचना करता है। समान्यतः यह व्यक्ति धोबी जाति का ही होता है, लेकिन कहीं-कहीं यह अन्य जाति जैसे- सोनकर, बिन्द, यादव, तेली, प्रजापति, चमार इत्यादि कभी होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखक हमेशा निम्न जाति का ही होता है क्योंकि धोबी जाति के लोगों का निम्न जाति के लोगों से ज्यादा संबंध होता है और ग्रामीण अधिवास में धोबी जाति के घर इन्हीं जातियों के समीप मिलते हैं। कवि नाम भी स्थानीय होता है जिसे सम्मान के साथ दिया जाता है। धोबी जाति का कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे धोबी जाति के इतिहास और उत्पत्ति का ज्ञान होता है। इसके साथ ही साथ वह स्वयं सामाजिक जीवन संघर्ष को भली-भांति अनुभव कर चुका होता है।

गायक: इस लोककला में गायक का दूसरा प्रमुख स्थान होता है। यह समान्यतः धोती और कुर्ता पहनता है इसकेसाथ ही साथ गले में लाल रंग का गमछा लपेटता है। यह गमछा ही उसके महत्ता को दर्शाता है क्योंकि पूर्वाञ्चल में यह विश्वास है कि गमछा प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। गायक धोबी जाति का अनुभवी व्यक्ति होता है। गायक एक कवि के रूप में जाना जाता है जो अपने अभिव्यक्तियों को गीत के रूप में व्यक्त करता है। गायक गाते समय आपने हाथों से तालियाँ भी बजता है, इसके अलावा वह छाछ, कसावर भी बजता है। गायक को पीछे से सहयोग करने के लिए एक या दो व्यक्ति और होते हैं। इन्हें सहायक गायक या कवि कहते हैं। वे भी धोबी जाति के ही होते हैं। इनका वेश-भूषा भी प्रमुख कवि की तरह होती है लेकिन ये गमछा को कमर में बांधते हैं, जिससे उनमें अंतर प्रत्यक्ष प्रतीत होता है।

वादक: इसके बाद धोबिया लोककला में वादकों का स्थान आता है। वादन के आधार पर इन्हें मृदंग वादक, कसावर वादक, झांझ वादक एवं डेढ़ताल वादक के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रमुख वादक मृदंग और कसावर होता है, जिसे मिर्जापुर और गाजीपुर जिले के धोबिया लोककला में हमेशा देखा जाता है। इसके इसके अलावा झांझ और डेढ़ताल कभी होता है लाभी नहीं भी होता है। गाजीपुर में इन वाद्ययंत्रों के अलावा अन्य वादी-यंत्र भी प्रयोग में देखे जा सकते हैं, जैसे हरमुनिया, करतार, छड़ इत्यादि।

जोकर: यह धोबिया लोककला का वह व्यक्ति है जो कला का केंद्र माना जाता है। क्योंकि जोकर ही वह व्यक्ति है जो लोककला के निर्धारित क्षेत्र में चारों तरफ दौड़ लगाकर नाचता है। इसकी एक और विशेषता यह है कि जोकर अपने चेहरे पर विभिन्न रंगों से कलाकारी करता है, जिसमें प्रमुख रंग लाल और काला होता है। जोकर अपने हाथ में रणसिंघा अथवा बांस की बकुली लीआ होता है जिससे विभिन्न प्रकर की हास्यप्रद मुद्राओं में इशारा करता है।

लवंडा: सबसे अंतिम व्यक्ति लवंडा होता है जो जोकर के साथ विभिन्न क्रियाओं में सहभागी होता है। लवंडा और जोकर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर नोक-झोंक होता है, जिसे वे हास्यप्रद ढंग से प्रदर्शित करते हैं। धोबिया लोककला में लवण्डों की संख्या कभी निश्चित नहीं होती है लेकिन समान्यतः 2 से 4 लवण्डे

होते हैं। लवंडें समान्यतः धोबी जाति के होते हैं। आजकल चमार और सोनकर अथवा निम्न जाति के लोग भी लवंडा का नृत्य करते हैं।

धोबिया लोकगीतः

लोकगीत लोक साहित्य² का प्रमुख अंग है। सामूहिक जीवन के अवचेतन मन की अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से की जाती है उसे लोक गीत कहते हैं³ (त्रिपाठी, 2013) जन सामान्य के हर्ष-विषाद, उमंग-उत्साह, हास-परिहास, आशा-निराशा, सपनों और आकांक्षाओं को लोक गीतों के माध्यम से सुना जा सकता है। सहानुभूति के स्तर पर इनका पूर्णरूपेण अनुभव किया जा सकता है। लोक गीतों का अस्तित्व तब तक जीवित रहेगा जब तक मानव का अस्तित्व विद्यमान है। (परमार, 2003) लोकगीत लोक के गीत हैं, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोकव्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनन्द की तरंग में जो छन्दोबद्ध वाणी सहज उद्भूत करता है, वही लोकगीत है। इस प्रकार लोकगीत को शाब्दिक रूप में लोक के गीत, लोक-रचित गीत, लोक विषयक गीत इत्यादि अर्थों में समझा जा सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकगीत का संबंध देशज संस्कृति के लोगों से होता है, जो समान्यतः गाँवों एवं कस्बों में साधारण जीवन बिताते हैं। जीवन निर्वाह करते समय अपने सामान्य जीवन की आप-बीती, कठिनाइयों, विश्वासों, प्रथाओं, संस्कृति तथा क्रिया-कलापों को अपने मनोरंजन एवं अपनी पहचान के रूप में याद करते हैं। इन्हीं यादों को विभिन्न क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपरा के रूप में बताते तथा सीखते हैं। यह लोकगीत उस जन समुदाय के अभिज्ञान तथा सांस्कृतिक निरंतरता का माध्यम है।

शोधार्थी द्वारा लगभग सौ से अधिक धोबिया लोकगीतों का संकलन किया गया है तथा इन गीतों को धोबी जाति के प्रमुख लोकलाकारों से साक्षात्कार के समय टेपरेकोर्डिंग के द्वारा संकलित किया गया है। इसके अलावा कुछ धोबिया लोकगीतों को विभिन्न धोबिया गायकों के कैसटों के द्वारा एकत्रित किया गया है। शोधकार्य कार्य में जीतने भी धोबिया लोकगीत एकत्रित किए गए हैं उनमें चार चीजों को ढूँढने का प्रयास किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे सभी गीत, लोकगीत हैं। (Notes and Queries on Anthropology: 1951 के अनुसार)-

- 1- **समय:** धोबिया लोकगीतों में समय कि अभिव्यक्ति मिलती है, जिसमें ऋतु, दिन-रात, सुबह-शाम, विभिन्न पहरों, ऐतिहासिक समय एवं परिस्थितियों का विवरण मिलता है। धोबी जाति के कलाकारों ने गीतों की रचना में समय को महत्व दिया है।

² लोक साहित्य मौखिक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। (बदरीनारायण, 2004)

³ त्रिपाठी, सूर्यकांत (2013) “लोक का अवलोकन” आर्य प्रकाशन: दिल्ली.

- 2- **भौगोलिक परिदृश्य:** धोबिया लोकगीतों की रचना में नदी, तालाब, नहर, घाट, गाँव का डीह का स्थान, किसी प्रसिद्ध शहर का विवरण इत्यादि का विशेष ध्यान दिया जाता है। धोबी तथा तालाब के बीच के संबंध विशेष रोचक होता है। इसके अलावा घाट के प्रति धोबी का विश्वास भी धोबिया लोकगीतों में देखने को मिलता है। जैसा की इस गीत में प्रदर्शित हो रहा है।

“धोबिया धोवे धोबी-घाट आली,
सत् के साबुन, प्रेम के पानी, नेह के मटकी में संउनन डाली।
पाप, पुण्य के धोवे धोबिया, सत् के घाट पर धोवे धोबिया,
सूखे धरम के डाली। धोबिया धोवे धोबी-घाट आली।”

(स्रोत: http://lokrang.in/?page_id=76 Date-22/12/16)

- 3- **पेड़-पौधों एवं जानवर:** धोबिया लोकगीत में तीसरा सबसे प्रमुख बिन्दु किसी प्राकृति वस्तु का विवरण मिलता है। धोबी जाति का विशेष संबंध गधा से होता है जो धोबी के हर काम में मदद करता है। धोबी गंदे कपड़ों को गधे पर लाद कर घाट पर लेजता है इसके बाद उसी पर लाद कर लता भी है, अर्थात् गधा धोबी के साथ पूरा दिन रहता है। यही कारण है की गधे और धोबी को लेकर अनेकों मुहावरों एवं लोकोक्तियाँ बनी हैं। जैसे- ‘धोबी का गधा न घर का न घाट का’ इसके साथ ही साथ गधे पर धोबीयलोकगीतों का भी निर्माण होता है, जैसे-

“दिन-भर धोबी घाट पर सुखाला मोर चाम हो।
आउर टिकबू ना मार के तू करेलु आराम हो ॥
मोटका डंडा लेले हाका, अरे गदहा लेके आव बाके धोबिनी।
चल कोरा में लईका तू उठाव, बाके धोबिनी।”

(स्रोत: बाँके धोबिया-कैसेट, दिनेश लाल यादव एवं खुशबू राज)

- 4- **अवसर:** लोकगीतों में अंतिम तत्व के रूप में अवसरों का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ इनविशेष अवसरों पर धोबिया लोकगीतों का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। धोबिया लोकगीतों में सुख-दुख, विवाह, निर्वाण, मेले, पर्व इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। जैसा की इस लोकगीत में देखा जा सकता है।

कापेला हमरो करेजवा ।।
कहवां से आई दहेजवा ।।
गोदिया में कुछहु जनमले से पहिले।
डगडर से चेक करवा दा ए सजनवा।
पेटवा में होई जब कुमरिया ।।
कइसे करब हथियरिया ।।
भाग से ही बेटा होला
भाग से ही बिटियवा

भगिया से सबही कमाला ए सजनिया ।

(स्रोत: बाँके धोबिया-कैसेट, दिनेश लाल यादव एवं खुशबू राज)

लोक गीत की परंपरा:

आदिमानव जब पहली बार अपने लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा हुआ तभी से उसने आसमान में गरजते-चमकते बादलों प्रवृत्ति से प्रभावित हुआ होगा, जैकारा परिणाम यह हुआ होगा कि आदिमानवों के मन प्रकृति के प्रति भय अथवा प्रसन्नता प्रकट हुई होगी। आदिमानवों के मन में उत्पन्न आवेग-संवेग इनके विभिन्न अंग प्रचलन एवं मुद्राओं के रूप में प्रस्फुटित हुआ होगा। धीरे-धीरे जब आदिमानवों ने संस्कृति के विभिन्न चरणों में प्रवेश किया तभी से उनके हर्ष-विलाश, दुख-सुख, साहस-दर एवं विश्वास-अविश्वास का जो रूप अपने समाज में प्रस्तुत किया, उसे ही लोक संस्कृति के नाम से पुकारा गया और उनकी विभिन्न कला की मुद्राओं एवं प्ररूपों को लोककला की संज्ञा दी गयी थी। इस प्रकार लोक कला की उत्पत्ति का कोई निश्चित समय नहीं निर्धारित समय नहीं है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकगीत की उत्पत्ति का भी कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे आदिमानव ने अपने अभिव्यक्तियों को किसी स्वर में बंधा होगा उसी समय से ही गीत का उद्भव हुआ होगा जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होकर लोकगीत का रूप ले लिए होगा। जैसे-जैसे मानव कि संस्कृति और सभ्यता में जटिलता आयी और मानव स्थायी निवास कि ओर अग्रसित हुआ ग्रामीण लोक संस्कृति कि उत्पत्ति हुई। इसी ग्रामीण लोकसंस्कृति ने विभिन्न जातियों को जन्म दिया और कार्यों में विभिन्नता भी आयी। जब विभिन्न जातियों ने अपने सम्पूर्ण जीवन शैली और कार्य-कुशलता को कला के रूप में प्रदर्शित किया, तभी से ग्रामीण परिवेश में विभिन्न लोकगीतों का जन्म हुआ और वे धीरे-धीरे विशेषीकृत हुए थे।

लोकगीतों की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय संदर्भ में इनकी उत्पत्ति और विकास की कहानी बड़ी मनोरंजक है। किस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में लोकगीतों का प्रथम प्रचार हुआ और वे किस प्रकार भिन्न-भिन्न शताब्दियों से होकर वर्तमान अवस्था में पहुंचे हैं, यह विषय नितांत विचारणीय और मननीय है। जिस प्रकार आज कल पुत्रजन्म, यज्ञोपवीत, विवाह और त्योहार के अवसरों पर गीत गाये जाते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में भी इन उत्सवों एवं विभिन्न अवसरों पर गीतों का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। हालांकि प्राचीन ग्रन्थों में गाये जाने वाले गीतों को उस समय कथा अथवा गाथा के नाम से जाना जाता था। भारतीय वेद इसके प्रमाण है जिसमें गाथाओं का गीत के रूप में प्रचलन था। जब आधुनिक भारत का जन्म हुआ तब विभिन्न भाषायी क्षेत्रों का भी जन्म हुआ जो अपनी एक स्थानीय भाषा को महत्व देते थे, जैसे- बंगाली, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, गुजराती, मैथली, हिन्दी, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी एवं खड़ी बोली इत्यादि। ब्रिटिशकाल में विभिन्न विद्वानों ने इन्हीं भाषायी सांस्कृतिक विविधता को अपने शोध का आधार बना कर विभिन्न स्थानीय पूरा-अवशेषों एवं संस्कृतियों का अध्ययन किया और उसे विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। इस समय के प्रसिद्ध पत्रिका ‘आसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल’ में लोकगीतों पर अनेक लेख प्रकाशित हुए थे। लोकगीतों में सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि ये देशज संस्कृति, समुदाय, पारिस्थितिकी, भाषा एवं तत्वों पर आधारित होती हैं। यही कारण है कि लोकगीतों की परंपरा हमेशा जीवंत रहती है और उसकी निरंतरता किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान रहती है।

धोबिया लोक गीतों का वर्गिकरण:

लोकगीतों कि संख्या प्रचुर है। जिसे विभिन्न क्षेत्रों, भाषा, समुदाय एवं समाज में देखा और सुना जा सकता है। इन लोकगीतों के प्रकार इतने अधिका हैं कि किसी भी अनुसंधानकर्ता को आश्चर्य के सागर में डुबा देते हैं। लोकगीतों के भेदों अथवा प्रकारों कि इतनी बहुलता है कि इनका श्रेणी में विभाजन अथवा वर्गिकरण कर पाना कठिन है। इनकी विविधता ही इनकी कठिनता का कारण है। विभिन्न लेखकों एवं विद्वानों ने अपने कार्य के आधार पर विभिन्न लोकगीतों का वर्गिकरण करने का प्रयास किया है। (उपाध्याय, 2008) प्रस्तुत शोध में विभिन्न साहित्यों के अध्ययन के बाद शोधार्थी ने लोकगीतों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इस वर्गिकरण को शोधार्थी ने अपने शोधकार्य एवं शोधक्षेत्र में प्राप्त हुए तथ्यों के आधार पर भी किया गया है। इस प्रकार शोधार्थी ने एक सम्पूर्ण वर्गिकरण करने का प्रयास किया है।

- 1- **संस्कार गीत:** भारतीय जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। धार्मिक जीवन के विभिन्न संस्कारों का भारतीय समाज और मनुष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जिसको केंद्र में रखकर विभिन्न लेखकों एवं कवियों में संस्कार गीत को जन्म दिया था। जिसे पुत्रजन्म, यज्ञोपवीत, मुंडन, जनेऊ, व्रत इत्यादि के अवसर पर सुना जाता है। इन गीतों में संस्कारों के विभिन्न चरणों को गीत के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। जिससे इन संस्कारों कि परंपरा समाज के सभी सदस्य भली-भांति प्रकाए से जान सके और सीख सके। जैसे- सोहर, जनेऊ गीत, मुंडन गीत, खेलवना इत्यादि।
- 2- **विवाह गीत:** यह गीत भी संस्कार गीत के अंतर्गत आती है, परंतु विवाह गीत में इतनी विविधता है कि इसे स्वतंत्र भाग में देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक समाज में विवाह के नियम और प्रथाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। जिसके कारण इनके रचना में भी भिन्नता दिखाई देती है। विवाह के विभिन्न रस्मों एवं रीति-रिवाजों में घटित होने वाली क्रिया एवं नातेदारी के सम्बन्धों पर स्त्रियाँ गीत एवं गारी गाती हैं जिसमें हास-परिहास का विशेष महत्व होता है।
- 3- **रुदन गीत:** इस लोकगीत कि भी एक अनूठी परंपरा उत्तर-प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में देखि जा सकती है। रुदन गीत को स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा गया जाता है। यह दो प्रकार का होता है- प्रथम सुख में किसी को सम्मान एवं विदाई देने के लिए तथा द्वितीय जब किसी प्रकार का कोई दुखद घटना घटित होता है तो उस व्यक्ति अथवा अवस्था कि याद में उसके रूप-रंग, शारीरिक आकर्षण इत्यादि को गीतों में याद किया जाता है।
- 4- **पर्वगीत:** राज्य में विशेष पर्व एवं त्योहारों पर गाये जाने वाले मांगलिक-गीतों को 'पर्वगीत' कहा जाता है। होली, दीपावली, छठ, तीज, जिउतिया, बहुरा, पीड़िया, गोधन, रामनवमी, जन्माष्टमी, तथा अन्य शुभअवसरों पर गाये जाने वाले गीतों में प्रमुखतः शब्द, लय एवं गीतों में भारी समानता होती है। इस प्रकार के गीत पर्व, मेले, महोत्सव इत्यादि पर विभिन्न समाजों में अपनी परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों को गीतों के माध्यम से गया जाता है। इस लोकगीत में व्रत संबंधी गीत भी प्रचलित हैं जो प्रायः स्त्रियों द्वारा गया जाता है। जैसे- होली में गया जाने लोकगीत, तीज में गाये

- जाने वाला गीत, शीतला माता के गीत, नागपंचमी के गीत, बहुरा, गोधन, छठी माता के गीत इत्यादि।
- 5- **ऋतुगीत:** यह विभिन्न ऋतुओं में गया जाता है। इसे मौसमी लोकगीत भी कहा जाता है। जैसे- चईता, फगुआ, बरहामासा, कजरी इत्यादि।
 - 6- **पेशा गीत:** राज्य में विभिन्न पेशे के लोग अपना कार्य करते समय जो गीत गाते जाते हैं, उन्हें 'पेशा गीत' कहते हैं। उदाहरणार्थ - गेहूं पीसते समय 'जाँत-पिसाई', छत की ढलाई करते समय 'थपाई' तथा छप्पर छाते समय 'छवाई' और इनके साथ ही विभिन्न व्यावसायिक कार्य करते समय 'सोहनी-रोपनी', आदि गीत गाते-गाते कार्य करते रहने का प्रचलन है। पेशा लोकगीत को पारंपरिक व्यवसाय लोकगीत भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न जातियों के द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक व्यवसाय के दौरान गाये जाने वाले गीत होता है।
 - 7- **जातीय गीत:** समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विविध जातियाँ मनोनुकूल अपने ही गीत गाती हैं, जिन्हें 'जातीय गीत' कहते हैं। जातीय गीत की यह विशेषता है कि वो किसी जाति विशेष द्वारा ही गया जाता है जिसमें उस जाति एवं समाज के सामाजिक मूल्य, जीवन संघर्ष, प्रथाएँ, रीति-रिवाज को गीत के माध्यम से स्वयं उस जाति का व्यक्ति अपनी अभिव्यक्तियों एवं अनुभवों को वर्णित करता है। जातीय लोकगीत कि उत्पत्ति भी किसी विशेष जाति से होती है जिसे वे अपने सांस्कृतिक पहचान मानते हैं। जैसे- धोबियों के गीत, अहीरों के गीत, चमारों के गीत, कहारों के गीत, गड़ेरियों के गीत, तेलियों के गीत, दुसाधों के गीत इत्यादि।
 - 8- **भजन गीत:** यह लोकगीत भजन के रूप में गयी जाती है जिसमें अपने देवी-देवताओं की स्तुति की जाती है। जैसे- सत्यनारायण के गीत, शिव के भजन, बरं बाबा के भजन, टेदुया बाबा के भजन, डीह बाबा के भजन इत्यादि।
 - 9- **गाथा-गीत/लोकगाथा:** यह गीत प्राचीन दंत एवं पौराणिक कथाओं एवं गाथाओं पर आधारित होती है जिसे स्वर में गया जाता है। इन गाथाओं के गाये जाने की परंपरा को ही गाथागीत अथवा लोकगाथा गीत कहते हैं। जैसे- शिव-पार्वती के विवाह की कथा, श्रवण कुमार की कथा, महापुरुषों की गाथाएँ इत्यादि।

उपरोक्त वर्गिकरण के आधार पर धोबिया लोकगीत को पेशा लोकगीत एवं जातीय लोकगीत दोनों के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्योंकि इस लोक गीत की उत्पत्ति धोबी जाति से मानी जाती है जिसके कारण इसका नामकरण "धोबिया अथवा धोबीय लोकगीत" पड़ा था। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि धोबी जाति जब अपने पारंपरिक व्यवसाय को करती थी तब उस कार्य के दौरान अपने अभिव्यक्तियों को गीत के रूप में गाते थे, जिसे इस लोकगीत को धोबिया लोकगीत कहा जाता है। धोबिया लोक गीत धोबीय परम्पराओं पर आधारित एक शैली है जो धोबी जाति के मनोभावों को अभिव्यक्त करती है। जिस प्रकार आदिवासी गीत आदिवासी समाज के विभिन्न पक्षों को लेकर गाये जाते हैं, ठीक उसी प्रकार धोबिया गीत भी विभिन्न पहलुओं एवं पक्षों को लेकर गाये जाते हैं।

धोबिया लोकगीत एक ऐसी परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति से लेकर पूरे समाज की सार्वभौमिक संस्कृति को गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। धोबी समाज में यह मान्यता है कि जब पहली बार किसी धोबी ने अपने पारंपरिक व्यवसाय को किया तब उसने अपने कार्य के प्रति नीपूरणता एवं कार्यकुशलता को अपने शब्दों में अभिज्ञान के रूप में गाया था और दिन के सम्पूर्ण जीवन संघर्ष को गीत के रूप में अपने सगे संबंधियों के बीच सुनाया था। जिसे उस समाज में जातिगत पहचान मिली और धीरे-धीरे वही पहचान लोकगीत के रूप में वर्तमान समय में देखने को मिलती है। धोबिया गीत में सबसे पहले धोबी और धोबिन के बीच के जीवन संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक संरचना एवं विघटन, धोबी समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक विशेषता को प्रदर्शित करने वाली व्यवस्था एवं क्रियाओं पर आधारित होते थे। परंतु वर्तमान आधुनिकता के दौर में धोबी गीत में भी परिवर्तन आया है। अर्थात् अब धोबिया लोकगीत पर्व-त्यौहार, अतिथि सत्कार, सामाजिक कुरतियों, भूत-प्रेत, जादू-टोना, पति-पत्नी संबंध, प्रेमी-प्रेमिका का संबंध, हँसी-मजाक, पौराणिक महापुरुषों, देवी-देवताओं, सामाजिक संबन्धों, पशु संबंधी, दहेज, मौसम संबंध, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं संबंधी अवस्थाओं इत्यादि पर लिखे जाते हैं और उस संबन्धित समाज में गीत के रूप में गाया जाता है। इस शोधार्थी ने साक्षात्कार एवं द्वितीयक स्रोतों से धोबिया गीतों के अनेकों प्रकारों का संकलन किया है। आज के धोबिया लोकगीतों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि निर्माता तथा गाने की शैली पर समय के साथ विभिन्न परिवर्तनकारी कारकों का प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण आधुनिकता तथा व्यवसायीकरण के प्रभाव से गीतों की धुनों में फिल्मी गीतों का प्रभाव देखने को मिलता है।

निष्कर्ष:

धोबिया लोकगीत इन्हीं परम्पराओं पर आधारित एक शैली है, जो धोबी जाति के मनोभावों को अभिव्यक्त करती है। जिस प्रकार आदिवासी गीत आदिवासीय समाज के विभिन्न पक्षों को लेकर गाये जाते हैं, ठीक उसी प्रकार धोबिया गीत भी निम्नलिखित पक्षों पर तैयार किए जाते हैं और गाये जाते हैं। जैसे- पर्व-त्यौहार के गीत, अतिथि सत्कार के गीत, कपड़े धोते समय के गीत, समूह गीत, भूत-प्रेत संबंधी गीत, पति-पत्नी संबंधी गीत, प्रेमी-प्रेमिका गीत, हँसी-मजाक के गीत, पारिवारिक कलह पर आधारित गीत, पशु संबंधी गीत, श्रमिकों के गीत, मौसम संबंधी गीत, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं संबंधी गीत, नाटक-नौटंकी गीत इत्यादि। धोबिया लोक गीत पूर्वाञ्चल में जातीय लोकगीत के रूप में प्रचलित है क्योंकि इस लोकगीत की उत्पत्ति की जानकारी धोबी जाति से ही सुनने को मिलती है। धोबिया गीत जातीय आधारित होने साथ ही साथ पारंपरिक लोक गीत भी है, क्योंकि यह कई पीढ़ी से लगातार धोबी जाति के लोगों द्वारा प्रदर्शित होता चला आ रहा है। समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हुए हैं, परंतु धोबिया गीत ने अपनी पहचान अभी भी नहीं छोड़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धोबिया लोकगीत में निरंतरता बनी हुई है जो उसकी सांस्कृतिक निरंतरता है।

संदर्भ सूची:

1. दास, भगवान., एवं सिंह, सतनाम. (2011). *धोबी समाज का संक्षिप्त इतिहास*. दिल्ली: सम्यक प्रकाशन.
2. वियोगी, नवल. (2001) *चमार जाति का गौरवशाली इतिहास*. दिल्ली: सम्यक प्रकाशन.
3. त्रिपाठी, सूर्यकांत. (2013). *लोक का अवलोकन*. दिल्ली: आर्य प्रकाशन.
4. शुल्क, हीरा. लाल. (2012). *आदिवासी संस्कृति, संगीत एवं नृत्य*. दिल्ली: बी. आर. रिथम प्रकाशन.
5. त्रिपाठी, वशिष्ठ. नारायण. (2011). *भारतीय लोकनाट्य*. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
6. नंबूद्रीपाद, ई. एस. एस. (2002). *कला साहित्य और संस्कृति*. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
7. दइया, पीयूष. (2002). *लोक*. उदयपुर: भारतीय लोक कला मण्डल.
8. दास, भगवान., एवं सिंह, सतनाम. (2011). *धोबी समाज का संक्षिप्त इतिहास*. दिल्ली: सम्यक प्रकाशन.
9. द्विवेदी, हजारी. प्रसाद. जनपद पत्रिका”, अंक -1 पृ. सं. 65
10. हाऊजर, अर्नाल्ड. (2008). *कला का इतिहास दर्शन*. दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन.

भारतेन्दु और हिंदी पत्रकारिता समय : साहित्य और समाज

शैलेन्द्र कुमार शुक्ल¹

समाज और साहित्य के बीच पत्रकारिता एक असरदार आवश्यकता है। पत्रकारिता सामाजिक तंत्र को लोकतान्त्रिक बनाती है जिस पर साहित्य का ताना-बना अपनी जरूरत पूरी करता है। भारतेन्दु युग आधुनिकता का पहला अनुच्छेद है भारतीयता के संदर्भ में। आधुनिकता जिन सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों से आई, उसमें सबसे जोरदार स्टैंड पत्रकारिता का है। पत्रकारिता ही भारतीयता को मध्यकालीनता से मुक्ति दिलाने के लिए एक असरदार पहलू साबित होती है। इस तरह पत्रकारिता आधुनिकता की आधारशिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। पत्रकारिता एक संगठनात्मक इकाई है जो अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति राजनीतिक चेतनालोक में करती है।

1857 का स्वतन्त्रता संग्राम सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी घटना थी। यह घटना भारतीयता के रूख रोपने का काम करती है जिससे एक ऐतिहासिक क्रांति का जन्म होता है। भारत की स्वतन्त्रता के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी जो लड़ी गई, इस लड़ाई में जीत के लिए जिन आधुनिक हथियारों की जरूरत थी उसमें सबसे आधुनिक और धारदार हथियार पत्रकारिता थी। भारत में पत्रकारिता नर्क में पारिजात की तरह लहलहाई थी और स्वतंत्र भारत की स्वर्गीयता में बेहया का जंगल बन कर अपने पतझर का इंतजार कर रही है। बहरहाल भारतेन्दु युग भारतीय पत्रकारिता का कौमार्य काल था।

भारतेन्दु ने अपने आस-पास एक ऊर्जावान जागरूक और अपने समय के समाज और समय की राजनीति पर गंभीर नजर रखने वाला तबका तैयार किया था। यह तबका अपनी साहित्यिक रुचियों की मौलिकता के कारण उस समय की पत्रकारिता में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। इस तरह साहित्यिक रुचियों से सम्पन्न हिंदी पट्टी में पत्रकारिता की एक परंपरा दिखाई पड़ती है जिसके अगुआ काशी के श्रेष्ठ बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र थे। भारतेन्दु के मित्रों की एक मंडली थी जो 'भारतेन्दु मण्डल' के नाम से जानी जाती थी। इसमें बदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, केशवराम भट्ट, अंबिकादत्त व्यास और राधचरण गोस्वामी आदि प्रमुख नाम हैं। ये लोग अपने सार्थक प्रयासों से लगातार पत्र-पत्रिका निकाल कर और अपने ऊर्जावान और आवश्यक विचार जनता तक पहुँचते थे। इनकी कर्मठता और साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता आज भी हिंदी पत्रकारिता के जगत में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनी हुई है। हिंदी के लिए समर्पित ये हिंदी सेवक अपना अतुलनीय योगदान दे कर हिंदी पट्टी में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण इतिहास रच रहे थे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र के योगदान को सराहते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं— 'इस 'हरिश्चंद्री हिंदी' के आविर्भाव के साथ ही नए-नए लेखक भी तैयार होने लगे। 'चंद्रिका' में भारतेन्दु आप तो लिखते ही थे बहुत से और लेखक उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बदरीनारायण चौधरी, बाबू हरिश्चंद्र के

¹ पी-एच.डी. शोध छात्र, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, म.गां.अ.हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा (महाराष्ट्र).

मो. 07057467780, ईमेल- shailendrashukla.mgahv@gmail.com

सम्पादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य के इस आरंभकाल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचाननेवाले थे।¹ यहाँ शुक्ल जी जो सबसे मार्के की बात कहते हैं उसमें एक यह भी है “उनकी हिंदी हिंदी होती थी” और दूसरी बात यह कि उस समय के लेखक हिंदी की प्रकृति को पहचानते थे। यह सहजता और स्वाभाविकता उस समय की पत्रकारिता की सबसे जोरदार ताकत थी। भाषा की प्रकृति लोक की सामाजिक दिव्यता होती है। इसके अभाव में जो खतरे पैदा हो सकते हैं वो आज की पत्रकारिता में दिखाई पड़ते हैं। भूमंडलीकरण के दौर में जब लोक पर चारों ओर से धावा बोला गया, तो हिंदी हिंदी नहीं रही, उसके बाह्य पर ही नहीं अंतः पर भी गहरी चोटें आईं। हिंदी की स्वाभाविकता को नष्ट कर, उसकी विविधता को निगल कर, उसके देशज को कुचलते हुए पत्रकारिता हिंदी की बनावटी एकलता से जुड़ गई। उसमें विविधता की स्वाभाविकता भारतेन्दु-युग के बाद नहीं दिखाई पड़ी।

काशी से बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने ‘कविवचन सुधा’ (1868), ‘हरिश्चंद्र मैगजीन’ (1873) जो आगे चलकर ‘हरिश्चंद्र चंद्रिका’ नाम से निकलने लगी थी तथा स्त्री शिक्षा के लिए ‘बाला बोधिनी’ (1874) पत्रिका निकालते थे। इन पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेन्दु ने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। वह अपनी तेज-तर्रार टिप्पणियों के लिए उस समय पत्रकारिता में बखाने जाते थे। उनकी लेखनी से उस समय के अंग्रेज अधिकारी भी घबराते थे। ‘कविवचन सुधा’ के ‘पंच’ पर रूठ होकर बनारस के मजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना बंद करा दिया था। भारतेन्दु जी पत्रकारिता के मामले में बहुत ही निर्भीक और जिंदादिल पत्रकार थे। उन्होंने नए पत्र-पत्रिकाओं को प्रोत्साहित किया, नए लेखकों को तैयार किया, और पाठक वर्ग में पठनीयता की रुचि को परिष्कृत किया। वह सच्चे अर्थों में भारतीयता की स्वाभाविक परंपरा के पहले पत्रकार थे।

भारतेन्दु जी देश की संकटग्रस्त और विपन्न परिस्थितियों वाले गुलाम भारत में जन्मे थे। उनका किशोर काल देश के वयस्क विचारों के नीचे दब कर रह गया। यह कितनी बड़ी विडम्बना है 11 वर्ष का एक किशोरवय देश के लिए सोच-सोच कर रो रहा है –

“अब जहं देखहु तहँ दुखहि दुःख दिखाइ
हा हा ! भारत दुर्दशा देखी न जाइ।”²

समय ही कुछ ऐसा था कि ज़िम्मेदारी समझना बहुत जरूरी था। भारतेन्दु समय के साथ-साथ चलने वाले हिंदी पढ़ी में पहले आधुनिक थे, जिसे विद्वान स्वाभाविक आधुनिक कहते हैं। भारतेन्दु की भाषा जन भाषा थी, विचार जन पक्ष का स्वाभाविक विकास था। ‘कवि-वचन सुधा’ के मूल उद्देश्य उनकी आत्मा की पुकार है जिसमें ध्वनि है, ऊर्जा है, प्राण है। इस पत्रिका का सिद्धान्त वाक्य देखा जा सकता जो अपनी निजता का सामाजिक दर्द बयान करता है-

खल गगन सों सज्जन, दुखीगति होहिं, हरिपद मति रहै।
अपधर्म छूटै, स्वत्व निज भारत गहैं, कर दुख बहै।
बुध तजहि मत्सर, नारी नर सम होहि, जग आनंद लहै।
तजि ग्राम कविता, सुकवि जन को अमृतबानी सब लहै।”³

इस तरह हम देखते हैं भारतेन्दु बाबू स्वाभाविक रूप से समाज और समय को आधुनिकता से जोड़ रहे थे। यह उस युग का बड़ा जागरण था जो पत्रकारिता के नाते साहित्य, समाज और राजनीति से जुड़ता है। डॉ. रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक ‘भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिंदी नव-जागरण’ में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि “जन जागरण की शुरुआत तब होती जब यहाँ की बोलियों में साहित्य रचा जाने लगता है, जब यहाँ के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक जातियों का गठन होने लगता है।”⁴ इस तरह यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भारतेन्दु या उनके समकालीन जो पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े थे, उनमें लिखते-पढ़ते थे उनकी हिंदी स्वाभाविक हिंदी थी यानी स्वाभाविक विविधता वाली हिंदी, डॉ. रामविलास शर्मा इसी को जातीय हिंदी कहते हैं। यही कारण था कि इन पत्र-पत्रिकाओं की गहरी पैठ गाँव-जंवार तक थी।

भारतेन्दु बाबू ने पत्रकारिता को साहित्य और समाज से जोड़ा और तत्कालीन समाजव्यवस्था और राजनीति से अपने लोक को परिचित कराया। उस समय चल रहे राजनीतिक आंदोलनों को भारतेन्दु जी ने प्रोत्साहित किया। “23 मार्च 1874 ई. की ‘कवि-वचन सुधा’ में स्वदेशी के व्यवहार हेतु भारतेन्दु जी द्वारा प्रकाशित प्रतिज्ञा-पत्र में स्वदेशी आंदोलन का स्वर गुंजायमान था, उक्त प्रतिज्ञा के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी के व्यवहार एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु जनजागरण का स्वर फूँका था।”⁵ इस तरह के देश भक्ति परक विचारों वाले लेखों के छपने की वजह से तत्कालीन सरकार ने इस पत्रिका को सरकारी दफ्तरों के लिए खरीदना बंद कर दिया था।

1971 ई. में एक और महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्र अल्मोड़ा से निकलना शुरू हुआ इसके संपादक मुंशी सदानंद संवाल थे अखबार का नाम था ‘अल्मोड़ा-समाचार’। यह अखबार पर्वताञ्चल में जागृति लाने, यहाँ की समस्याओं का समाधान खोजने उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए यह अखबार निकाला गया था। इसी वर्ष प्रयाग से ‘प्रयाग-दूत’ और कानपुर से ‘हिन्दू प्रकाश’ अखबार निकले। सन 1872 ई. में आगरा से एक पत्र ‘प्रेम पत्र’ नाम से निकाला जो पाक्षिक था जिसे राय बहादुर सालिग्राम ने शुरू किया था। कलकत्ता से 1872 में बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने ‘हिंदी दीप्ति प्रकाश’ निकाला और इसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण अखबार ‘बिहार बंधु’ निकला। ‘बिहार बंधु’ अपने समय का बहुत ही लोकप्रिय अखबार था। यह अखबार पहले कलकत्ता के मानिकतल्ला स्ट्रीट से प्रकाशित होता था बाद में यह बिहार से ही निकाला जाने लगा। “अंग्रेजी अखबारों के विपरीत हिंदी अखबारों के जिम्मे आप जन मानस में हिंदी की लोकप्रियता, हिंदी-मुस्लिम सौहार्द, और कोर्ट में हिंदी को स्थान दिलाने जैसे काम थे। इस लिए बिहार बंधु का टोन बहुत कुछ साहित्यिक ही रहा।”⁶

जनवरी 1774 में भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने 'बाल बोधिनी' पत्रिका प्रकाशित की, इसके संपादक, प्रकाशक और मुद्रक स्वयं भारतेन्दु जी थे। इस पत्रिका का उद्देश्य स्त्रियों के हित में जागरण ही था। इसी वर्ष तोता राम वर्मा के संपादकत्व में अलीगढ़ से 'भारत बंधु' निकला। यह पत्र साप्ताहिक था। इसी वर्ष दिल्ली से दिल्ली से 'सदादर्श' लाला श्री निवास दास जी के संपादकत्व में निकला। यह भी साप्ताहिक ही था। यह पत्र समाज का साहित्यिक पक्षधर था।

1875 ई. में 'आर्य समाज' की स्थापना हुई और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जन-जागरण का बड़ा अभियान चलाया। भारतेन्दु युगीन पत्रकारिता इससे बहुत प्रभावित हुई। प्रभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक थे। स्वामी जी हिंदी के पक्षधर थे और हिंदी गद्य के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उस समय पत्र-पत्रिकाओं में लिखने वालों ने 'सत्यार्थ प्रकाश' से बहुत कुछ सीखा था, यानी भाषा के मामले में भी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में इनका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि "शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतमतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगम्बरी एकेश्वरवाद की ओर नव शिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत् 1920 से उन्होंने अनेक नगरों में घूम-घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर-दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे।"⁷ शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि "स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को 'आर्य भाषा' कहते थे। स्वामी जी ने संवत् 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया।"⁸ इस तरह दयानन्द सरस्वती एक महत्वपूर्ण काम हिंदी के लिए कर रहे थे, हिंदी एक बड़े जन आंदोलन का हिस्सा बन रही थी लेकिन यह सब पहली बार नहीं हो रहा था हिंदी में एक बहुत बड़ा लोक जागरण पहले भी हो चुका था। लेकिन यह आंदोलन पहले के आंदोलनों से भिन्न था, इसमें पत्रकारिता का अभूतपूर्व और नूतन प्रयोग सार्थकता के नए आयामों का सटीक गवाह है। उस समय के बहुत से पत्र-पत्रिकाओं में आर्य समाज की विचारधारा से सहमति और असहमतियां दर्ज हुईं, इसकी प्रासंगिकता पर बात-चीत हुई। आर्य समाज के कई अपने पत्र थे जिनका नियमित प्रकाशन होता रहता था जिनमें 'आर्य समाज', 'भारत सुदशा' का नाम महत्वपूर्ण है।

भारतेन्दु युगीन पत्रकारिता में 'हिंदी प्रदीप' का नाम बड़ी अहमियत रखता है। इस पत्र की स्थापना ही हिंदी के उत्थान और प्रचार-प्रसार के लिए हुई थी। यह भाषा के मामले में जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय था। "हिंदी प्रदीप ने हिंदी को जातीय बनाने का वीणा उठाया।"⁹ इस पत्र के संपादक हिंदी के यशस्वी लेखक बलकृष्ण भट्ट थे जिन्होंने इस पत्र को अपने बलबूते पर बड़ी कठिन परिस्थितियों में संभाले रखा। 'हिंदी प्रदीप' के मुख पृष्ठ पर "विद्या, नाटक, इतिहास, परिहास, उपन्यास, साहित्य, दर्शन, राज संबंधी इत्यादि के विषय में हर महीने की पहली को छपता है।"¹⁰ अंकित रहता था। इसके नीचे भारतेन्दु की कुछ पंक्तियाँ छपी रहती थीं। यह अखबार आर्थिक विपन्नता से जूझते हुए बराबर चलता रहा। लेकिन इस अखबार के बंद होने का कारण इस पत्र में छपी माधव शुक्ल की कविता 'बम क्या है ?'। 'हिंदी प्रदीप' पर अंग्रेजी

हुकूमत ने 3000 रुपये का जुर्माना बोल दिया, जो भर पाना नामुमकिन था और यह पत्र बंद हो गया। बालकृष्ण भट्ट इस पत्र को अपने खून से 31 वर्ष तक सींचे थे।

1878 में कलकत्ता 'भारत मित्र' का प्रकाशन दुर्गा प्रसाद मिश्र और छोटू लाल मिश्र के सहयोग से हुआ। इसके प्रवेशांक में एक नीतिवाक्य था जो अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है "समाचार पत्रों से जो उपकार होता है, वो बंबई और बंगाले को देखने से साफ जान पड़ेगा, इस लिए इस विषय में बहोत लिखने का कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि जहां तक जिस देश में जिस भाषा में और जिस समाज में समाचार पत्र का चलन नहीं तब तक उसकी उन्नति की आशा दुराशा मात्र है।"¹¹ भारत मित्र को बहुत ही लोकप्रिय और बहुपठित बनाने का काम बालमुकुंद गुप्त को है। इनका कार्यकाल 1999 से 1907 तक रहा। उस समय भारतेन्दु हरिश्चंद्र और स्वामी दयानन्द सरस्वती के लेख इस पत्र में छपा करते थे। गुप्त जी द्वारा धाराप्रवाह रूप से लिखे गए व्यंग "शिव शम्भू के छिटे" इस पत्र की कालजयी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। इस पत्र से जुड़ने वालों में उस समय के बहुत से विद्वान और यशस्वी संपादकों की एक लंबी पंक्ति है।

'सार सुधानिधि' का प्रकाशन 1879 में हुआ। इसके संपादक सदानंद मिश्र हुआ करते थे। यह भी कलकत्ता से निकलता था। भारतेन्दु युगीन पत्रकारिता में इस पत्र का भी योगदान बड़ा है। इसमें साहित्य, दर्शन, राजनीति, वाणिज्य आदि विषयों पर लेख रहते थे। यह भी साहित्यिक और सामाजिक सरोकार का अद्भुत संमिश्रण था। 1882 में 'प्रयाग समाचार' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देवकी नन्दन तिवारी इसके संपादक थे। 'हिंदी प्रदीप' के बाद यह इलाहाबाद से निकालने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पत्र था। "भाषा के सवाल पर जैसी बहस कभी 'सरस्वती' और 'भारत मित्र' में छिड़ी थी वैसा ही प्रसंग 'प्रयाग समाचार' में तब सामने आया जब कविता की मान्यता के प्रश्न पर श्रीधर पाठक और कमाता प्रसाद गुरु के बीच शास्त्रार्थ छिड़ा।"¹²

'हिंदुस्तानी' इस युग का महत्वपूर्ण पत्र था जिसका प्रकाशन 1883 में लखनऊ से हुआ। यह साप्ताहिक पत्र था और इसके प्रकाशक गंगा प्रसाद वर्मा और प्रबन्धक लाला भगवान दास थे। इस पत्र में समसामयिकविषयों पर केंद्रित लेख-कविता आदि प्रकाशित होते रहते थे तथा इसमें सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक सामाग्री भी बराबर रहती थी। इसका भी इस युग में योग था।

पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने कानपुर से 'ब्राह्मण' का प्रकाशन 1883 में किया। यह भाषायिक मामले में अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। 'ब्राह्मण' के प्रथम अंक में मिश्र जी ने लिखा था – "हम क्यों आए हैं ? यह न पूछिए। कानपुर इतना बड़ा नगर, सहस्रविधि मनुष्यों की बस्ती पर नागरी पत्र एक भी नहीं। भला हम से यह कब देखा जाता है कभी राज्य संबंधी, कभी व्यापार संबंधी विषय भी सुनाएँगे, कभी-कभी गद्य-पद्य मय नाटक से भी रिझाएँगे।"¹³ इस पत्र में मिश्र जी सामाजिक सरोकारों पर अपनी बेबाक टिप्पणी करते कभी नहीं चूके। उनकी ब्राह्मणों पर की गई बेधड़क टिप्पणी देखिये – "सरस्वती तो हमारे पेट में बसती है ...जो सबका सर्वस्व हमारे पेट में ठांस-ठांस कर न भरे वही नास्तिक। जो हमारी बेसुरी तान पर वाह! वाह! न किए जाए वाह कृशतान और हमसे जो चूँ भी न करे वह दयानंदी।"¹⁴ यह अखबार अपनी सधी हुई

टिप्पणियों के लिए कालजयी साबित हुआ, इसका नाम इतिहास में पत्रकारिता के इतिहास में बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। मिश्र जी भाषा के मामले में शुद्धतावादी नहीं थे। वह देहाती बोलियों के शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेते थे, उनकी मुहावरेदार भाषा लोक की धुर परिपाटी की एक जिंदा मिसाल है।

राधाचरण गोस्वामी जो भारतेन्दु के फुफेरे भाई थे जिन्होंने भारतेन्दु के असामयिक निधन के बाद उनके कई अधूरे कामों को पूरा किया। गोस्वामी जी ने वृन्दावन से 'भारतेन्दु' पत्रिका का मासिक सम्पादन 1883 से आरंभ किया। यह भी हिंदी की चिंता करने वालों में एक थे। इस पत्रिका में समाचार भी व्यंग्यतामक लहजे में ही छपते थे।

इस युग के अखबारों में एक बड़ा नाम 'हिंदोस्थान' का है। इसका प्रकाशन 1883 में आरंभ हुआ। यह पहले लंदन से निकलता था और त्रैमासिक था। पहले इसका प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता था बाद में यह विशुद्ध हिंदी का पहला दैनिक अखबार बना। इसकी शुरुआत एक बड़े तालुकेदार राजा रामपाल सिंह ने की थी। बाद में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संपादक हुए। यह अखबार अपने सामाजिक, राजनीतिक सरोकारों में साहित्यिक भी था।

बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' भारतेन्दु मण्डल के विद्वान रसिक थे। उन्होंने 'आनंदकादम्बिनी' मासिक पत्रिका का संपादन कर हिंदी साहित्य को संवृद्ध किया। वह इस पत्रिका में स्वयं अधिक लिखते थे और दूसरे लेखक कम, इसके लिए भारतेन्दु से उन्हें डांट भी खानी पड़ी थी। वह इसमें सामासिक और आलंकारिक शैली में बहुत लंबे-लंबे वाक्यों में लिखते थे। यह पत्रिका मूलतः साहित्य की पहली महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इससे बहुत कुछ साहित्यिक आलोचना का विकास भी हुआ। कई मामलों में इसे भी भारतेन्दु युग की बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतेन्दु युग हिंदी की स्वाभाविक आधुनिकता का युग था। इस युग की पत्रकारिता की मूल भाषा जनभाषा थी जो लोगों के निकट थी, द्विवेदी जी वाली परिष्कृत परिमार्जित और शुद्धतावादी हिंदी नहीं। यहाँ भाषा में कोई छायावाद न था। हिंदी की पहुँच लोक तक थी जिसमें देहाती हिंदी की शब्दावलियों का सहज समावेश था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की भाषा में कहूँ तो तब की हिंदी हिंदी होती थी। इस हिंदी में हमारा लोक था, हमारा समाज था राजनीति और अर्थशास्त्र भी था। "यह वह काल था जब राजनीतिक चेतना समाचार पत्रों के माध्यम से पनप रही थी।"¹⁵ इस हिंदी के सामाजिक और साहित्यिक सरोकार भारतेन्दु युग की पत्रकारिता में बड़ी संजीदगी से देखे जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथसूची:

1. शुक्ल, रामचन्द्र, (सं.). (2007). हिंदी साहित्य का इतिहास. दिल्ली: अशोक प्रकाशन, पृ. सं. 273.
2. मिश्र, कृष्ण बिहारी. (सं.). (1968). हिंदी पत्रकारिता नई दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. सं. 114.
3. वाजपेई, अंबिका प्रसाद.(1986). समाचार पत्रों का इतिहास. (सं.). वाराणसी: ज्ञान मण्डल लिमिटेड, पृ. सं. 129.
4. शर्मा, रामविलास. (2004). भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्याएँ. (सं.) नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, पृ. सं. 13.
5. शर्मा, रामविलास. भारतेन्दु युग, पृ. सं. 33.
6. भास्कर, विजय. (सं.). (2013). बिहार में पत्रकारिता का इतिहास. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, पृ. सं. 39.
7. शुक्ल, रामचन्द्र. (सं.). (2007). हिंदी साहित्य का इतिहास. दिल्ली: अशोक प्रकाशन, पृ. सं. 265.
8. वहीं, पृ. सं. 265.
9. श्रीधर, विजयदत्त. (सं.). (2010). भारतीय पत्रकारिता कोश. (खंड-एक). दिल्ली: वाणी प्रकाशन, पृ. सं. 257.
10. वहीं पृ. सं. 255.
11. वहीं पृ. सं. 266.
12. वहीं पृ. सं. 329.
13. वहीं पृ. सं. 337.
14. वहीं पृ. सं. 337.
15. चतुर्वेदी, जगदीश. प्रसाद. (सं.). (2009). हिंदी पत्रकारिता का इतिहास दिल्ली: प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृ. सं. 53.

नवगीतों में अभिव्यक्त महानगरीय जीवन और उसकी विसंगतियाँ

अंजना दुबे¹

समकालीन गीतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरी किंवा महानगरीय जीवन की विसंगतियों, विडंबनाओं, विकृतियों, विरूपताओं के वर्णन से भरा पड़ा है। इनमें शहर के सकारात्मक रूप की अपेक्षा नकारात्मक रूप का ही अधिक रूपायन किया गया है। इसका एक कारण तो जहाँ तक समझ में आता है वह है अधिकांश गीतकारों का ग्रामीण पृष्ठभूमि का होना। गाँव की उर्वर माटी, वहाँ के अन्न-जल से रचा पचा शरीर और वहाँ की मनमोहक प्रकृति, भोलापन, छल-कपट रहित व्यवहार, सादगी, शांति, आपसदारी, आत्मीयता, परदुःखकातरता, सौहार्द पूर्ण वातावरण, हरियाली, हँसी-ठिठोली से गूँजते घर-आँगन-चौपाल का सरस वातावरण, तीज-त्योहारों की छटा, उदारमना संस्कृति से सिक्त मन कभी शहर के छल-छद्म, द्वेष, ईर्ष्या, ऊब, घुटन, नीरसता, प्रतिस्पर्धा, बनावटीपन, यांत्रिकता, संवेदनशून्यता, प्रदूषण, मर्यादाहीनता, आपाधापी, अनियंत्रित भीड़, शोर, अपराध, अनैतिकता, अपसंस्कृति, नग्नता, अकेलापन, आत्म केंद्रिकता, स्वार्थ भरे वातावरण को स्वीकार नहीं पाया। दूसरा कारण उपभोक्तावाद, बाजारीकरण एवं पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज शहर/महानगर का रूप इतना विकृत हो चुका है कि कोई भी संवेदनशील हृदय उसे सहज स्वीकार नहीं कर सकता। आज का शहरी जीवन अनेक विसंगतियों से घिरा हुआ है भले ही आज शहर विकास के उच्चतम सोपान पर हैं, तड़क-भड़क, सुविधापूर्ण, चमचमाते जीवन के पर्याय बन गए हैं लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि मानवीय धरातल पर कहीं वे पतन के गर्त में गिर चुके हैं। आदर्श, नैतिकता, मूल्यों का यहाँ नितांत आभाव होता है। राजनीतिक षडयंत्र, सफेदपोश अपराध, नकलीपन, यांत्रिकता, अमानवीय मुनाफाखोरी, प्रदूषण, संवेदनहीनता, गंदगी, निर्यक्तता, शोषण, अपराध, अनियंत्रित शोर, भीड़ आदि उसे और विद्रूप बना देते हैं। यही कारण है कि समकालीन गीतों में नगर सम्पूर्णतः नकारात्मक मूल्यों के प्रतीक के रूप में या उसके पर्याय के रूप में वर्णित किए गए हैं।

शहरी जीवन आज इतना असुरक्षित हो गया है कि यहाँ दिन-दहाड़े लूट, चोरी-डकैती यहाँ तक कि हत्याएँ भी हो जाती हैं, आए दिन बम धमाकों से चौराहे लहलुहान होते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इन घटनाओं को देख-पढ़कर भी सामान्य सूचना की तरह लेते हैं और भूल भी जाते हैं। गीतकार को शहरों का परिवेश चंबली और पूरा शहर मसान की भांति लगता है जहाँ भावनाओं की रोज चिताएँ जलती हैं। इंसान लापता हो गया है। शहरों के इस अमानवीय रूप का यथार्थ चित्रण करते हुए मधुकर आष्ठाना जी लिखते हैं-

“दिन दहाड़े लुट गयी दूकान बाबूजी
जी रहे हैं जिन्दगी बेजान बाबूजी
आदमियत के शहर में लोग अंधे हैं
लोक घायल तन्त्र के कमजोर कंधे हैं

¹ परास्नातक शिक्षिका (हिंदी), जवाहर नवोदय विद्यालय अरनियाकला, जिला-शाजापुर (म.प्र.), 8462855747.

चम्बली परिवेश नगर मसान बाबूजी
फट रहे रोबोट हैं अनजान चौराहे
सुन रहे किस्से समय के रोज अनचाहे
लापता है देश में इंसान बाबूजी
नाशते में आत्महत्या रेप के चर्चे
लंच में लाखों घुटाले खेल के चर्चे
डिनर में परसा गया ईमान बाबूजी
भावनाओं की चिताएँ रोज जलती हैं¹”

ऊपरी तड़क-भड़क के आवरण में आच्छादित शहरी परिवेश की अन्तरंग दुर्दशा अत्यंत दयनीय है। भौतिकता ने संवेदनाओं की सरसता चूस ली है। माल के क्रय-विक्रय के क्रम में फँसा मनुष्य जड़वत यांत्रिक जीवन जीने को अभिशप्त है। वह निन्यानवे के फेर में पड़ा हुआ एक मनोरोगी के रूप में गहन अवसाद से ग्रस्त रहता है, जिसे वह दिखावटी मुस्कान से छिपाने की असफल चेष्टा करता रहता है। नकली खुशियों के पीछे भागते, बेतुके शोर के आदी, एक अंधी दौड़ में दौड़ते शहरी मनुष्य के इस बनावटी जीवन से गीतकार क्षुब्ध है। ऐसा बनावटी, ऊब-खीज में डूबा शहर नितान्त प्रकृत व्यक्तित्व के ‘कबीरों’ को यदि खलता है तो कोई आश्चर्य नहीं। इस गीत में राधेश्याम शुक्ल जी ने प्रकारांतर से महानगरों से गीत के विरोध का कारण स्पष्ट कर दिया है-

‘रोशनी,रोशनी,रोशनी के लिए,
इक नई आग में जल रहा शहर
एक सहरा और आँधियों का सफर
ये सभी काफ़िले,रहनुमा बेखबर;
और अंधे हुए वक्त के आइने,
सूरतें, सीरतें कुछ न आतीं नजर।
मंजिलें, मंजिलें,मंजिलें बेपता,
नींद में बेखबर चल रहा है शहर।
हर बशर बन गया एक बाज़ार है,
खुद बिकाऊ है,खुद खरीदार है;
खुद से नजर चुराती हुई हर नजर,
है चहकती हुई किन्तु बीमार है।
दिन-ब-दिन ऊबता, खीजता, छीजता,
हम ‘कबीरों’ को ये खल रहा है शहर²।”

इस एक गीत में ही गीतकार ने वर्तमान शहरों/महानगरों के असली किन्तु कुरूप चेहरे को उघाड़ने में सफलता प्राप्त की है। नवगीत रचना का कारण नगर के यांत्रीकरण एवं महानगरीय जीवन की दुर्दान्त निर्ममता के विरोध में हुआ। जीवनगत विसंगतियों, मूल्य-क्षरण बाजारवाद, वैश्वीकरण के दुष्परिणाम, रिश्तों में पनपती स्वार्थ परता आदि गीत के छंद के बंद बनने लगानगरों में विकास तो हो रहा है लेकिन गलत दिशा में जो मानवीय मूल्यों को स्वीकार नहीं है। जिस तेजी से नगर भौतिक प्रगति कर रहे हैं उसी तेजी से उनमें परस्पर सौहार्द, भाई चारा, सर्वधर्म समभाव की परंपरा, सामुदायिकता की भावना, संवेदना और सामाजिक व्यवस्था का हास हो रहा है। ऐसी स्थिति में विसंगतियों, विषमताओं, द्वेष को बढ़ावा मिल रहा है। व्यक्ति-व्यक्ति के मध्य की खाई और अधिक बढ़ रही है। ऐसा लगता है मानो भौतिक विकास हमारे मानवीय मूल्यों की कीमत पर हो रहा है। अब यहाँ शान्ति, मैत्री, प्रेम जैसी भावनाओं को ढूँढना और उनके गुण गाना बेमानी है-

“शान्ति, मैत्री, प्रेम के नवगीत गाना है मना
इस शहर में अब कपोतों को उड़ाना है मना
सीढ़ियों से कोई चढ़ता ही नहीं
आकाश पर लोग दस्तक दे रहे हैं
‘लिफ्ट’ के आवास पर
इस सदी में प्यास पानी से बुझाना है मना³”

महानगरीय जीवन एक तरह से यांत्रिक हो गया है, वहाँ पर सामान्य संवेदनाओं, भावनाओं तथा व्यक्ति का अस्तित्व संकट में है। वहाँ के जीवन में सरसता, रसवत्ता के लिए कोई ठौर नहीं होता। वहाँ सब कुछ कृत्रिम और आरोपित होता है। नगर मूल्यहीन संस्कृति का सहधर्मी है। उसमें आत्मीयता और आत्मीय क्षणों के लिए कोई अवकाश नहीं होता। जहाँ पति-पत्नी दोनों नौकरी पेशा हों वहाँ आपाधापी भरे और व्यस्त समय में से आत्मीय क्षणों की तलाश बेमानी ही है। शहर की तनावपूर्ण और आपाधापी भरी यांत्रिक जिन्दगी और उसमें आत्मीय क्षणों की तलाश करते दम्पति की जद्दोजहद की एक बानगी देखिए-

“एक नदी सागर से मिलकर गाना भूल गयी।
पत्नी निकली सुबह शाम को दफ्तर से लौटी
पति की ‘नाईट शिफ्ट’ सात दिन में फिर से लौटी
लाजो दिल्ली में बसकर शरमाना भूल गयी⁴”

नगरीय जीवन भारी आपाधापी और मशीनीकरण से भरा होता है। वहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी आदमीयत सब कुछ छीज जाता है। तन्त्र सब पर हावी हो जाता है। यदा-कदा कहीं कोई मूल्य दिखाई पड़ता भी है तो मात्र क्षण भर के लिए, ठीक जुगनू की दीप्ति या चमक की भाँति, जिसकी आयु क्षणिक और क्षीण होती है। अन्यथा शहरी जीवन असहज, औपचारिक, कर्तव्यों के विविध खानों में विभक्त होता है-

“कैसे रहें, कहाँ जाएँ, बरस रही है आग शहर में।
कौन रुके, दो छन बतियाये अफरातफरी के मंजर में;

गलत पते वाले खत जैसे, भटक रहे हैं सब बंजर में।
चले, 'सियासत बी' के मुजरे 'काशी' और 'प्रयाग' शहर में।
'घर' जैसा कुछ नहीं यहाँ पर, तथाकथित हैं सभ्य गुफाएँ;
गमलों तक की, हरियाली को सूखा रहीं पश्चिम हवाएँ।
अबूझ प्यास, बाँटती धूप है, गाती 'बादल राग' शहर में।”

समकालीन गीतों में महानगरों की असंगतियों और नकारात्मक मूल्य-स्वार्थ, अकेलापन, अजनबीपन, अविश्वास, असुरक्षा, व्यभिचार आदि का बहुत बारीकी से चित्रण हुआ है। इस गीत में शहरी रिश्तों पर में व्यक्तव्यंग्य दृष्टव्य है-

“धुँआ ही धुँआ चिमनियों का घर डूबता शहर।
लोग जहाँ ढोते हैं रिश्ते अनाम
कागजी बिछौनों पर लेट गयी शाम
सूरज ने काट दिए चाँदनी के पर
भूल गए हम आँगन माटी के घर
हमको ही डसता है उम्र का जहर।
दर्द की सलीबों पर लटकी है प्यास
बंद किसी कमरे में खिड़की के पास
कौन यहाँ पिघलेगा कहीं भी ठहर
भीड़, सड़क, चौराहे सब हैं बेखबर
फुटपाथों पर ठहरा दर्द का नगर।”

प्रतिस्पर्धा, रोजीरोटी की जद्दोजहद और आपाधापी भरे शहरी जीवन में न तो गाँव की तरह सुख-चैन और संतोष के क्षण होते हैं न संवेदनाओं के लिए कोई स्थान शेष रहता है। इसीलिए शहर की दोपहर-शाम, वहाँ का रहन-सहन सब कुछ अनचीन्हा-अनजाना-सा प्रतीत होता है। गीतकार को महानगरीय जीवन में जो सबसे बड़ी कमी अखरती है वह है- सरसता, जीवन का सहज उल्लास। गाँवों के प्राकृतिक, सरस वातावरण के विपरीत शहरों में सब कृत्रिम और आरोपित होता है। यहाँ आत्मीयता और नेह के क्षणों के लिए अवकाश नहीं होता। शहरों की चमक-दमक, हास-विलास सब बनावटी होता है। दूर के ढोल सुहावने उक्ति यहाँ के लिए सटीक बैठती है। निर्मल शुक्ल जी इन शब्दों में शहरों की कृत्रिम जीवन शैली का सच लिखते हैं-

“सुनो ! शहर में तो लगता है
एक बड़े पिंजड़े में बैठे बाहर सबको झाँक रहे हम
खुशियों की सौगातें भेय्ये! सारे ढोल सुहाने हैं अब
नाप रही हैं, जितना आँखें अंदर तक वीराने सब।
सुनो! शहर में तो लगता है भोर भये से गये शाम तक

केवल अनुभव फाँक रहे हम
भीड़-भड़क्के में तो भैय्ये! कैसी चीखें, कहाँ पुकारें
भाग रही हैं, भटकी साँसें इधर-उधर बस बाँह उतारे⁷”

यही कारण है कि जब शहर में बसा पुत्र अपने पिता से शहर चलकर रहने को कहता है तो पिता गाँव के सरस, प्राकृतिक सरल, सहज, स्वाभाविक, वात्सल्यमय, मर्यादित, उल्लासमय, धार्मिकता से पूर्ण वातावरण की दुहाई देकर शहर में इनके अभाव और प्रकारांतर से वहाँ के अधार्मिक, नीरस, स्वार्थी, बनावटी, मतलबी, एकाकी जीवन, अजनबीपन से भरे माहौल को उजागर करते हुए शहर जाने से इंकार कर देता है। यहाँ पिता के माध्यम से गीतकार ने शहरी और ग्रामीण जीवन के अंतर को, शहरी जीवन की विकृतियों को उजागर किया है-

“अपना मन तो धूप-दीप सा वहाँ पड़े ताले मन्दिर में
बेटा कैसे रहें शहर में।
सुनते वहाँ लोग रहते हैं रातों दिन पक्के कमरों में
यहाँ लेटना रहना होता छप्पर नीचे खुले घरों में
कहीं न जाऊँ तो भी सारी बस्ती रहती बसी नजर में
होते साँझ घेर लेते हैं नाती-पोते टोले भर के
खिले कमल से भरी झील के मन में आते चित्र उभर के
वहाँ सिर्फ मतलब की बातें घर में हो चाहे दफ्तर में
जन्में-ब्याहे सभी घरों में बजती ढोलक होते गाने
बूढ़े-वारे जाएँ जिमाएँ गूँजे मंगल-गीत सुहाने
यहाँ बीतते दिन उछाह में वहाँ नहीं ढोलक भी घर में
बेटा कैसे रहें शहर में⁸”

शहरों की विडंबना यही है कि यहाँ मनुष्य को छोड़कर बाकि सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ बड़े-बड़े मॉल हैं, शोरूम हैं, आकर्षक दूकाने हैं। साफ-सुथरी, चमचमाती कालोनियाँ हैं, चकाचौंध भरी जीवन-शैली है पर न आदमी है न आदमीयता। यहाँ का हर व्यक्ति स्वार्थ, द्वेष, दंभ और अनेक कुटिलताओं से ग्रस्त है तो यहाँ का वातावरण घोर अमानवीय है। शहरी लोग विरोधभासी स्थिति में जी रहे हैं। जिस तेजी से तथाकथित सभ्यता के शिखर को छू रहे हैं उसी तेजी से मानवीयता, संवेदनाएँ, कोमल भावनाएँ लुप्त होती जा रही हैं। विकास और मानवीयता परस्पर विरोधी शब्द हो चुके हैं। हम मानवीयता की कीमत पर भौतिक विकास कर रहे हैं जो अंततः मानव सभ्यता के लिए भस्मासुर साबित होगा। कैसी विडंबना है कि भौतिक चमक-दमक से भरा-पूरा शहर अपनेपन, संवेदना, मानव-मूल्यों से पूरी तरह रिक्त है। विकास की अंधी दौड़ में बेतहाशा भागता मनुष्य लक्ष्य भ्रमित हो गया है। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। गीतकार के लिए शहरों की यह दुर्गति असहनीय और अकल्पनीय है। उनकी पीड़ा व्यंग्य के रूप में फूट पड़ी है-

“ढूँढ़ते हो आदमी क्या बावले हो? इस शहर में?
मॉल हैं, बाज़ार हैं, कालोनियाँ है
ऊबते दिन रात की रंगीनियाँ हैं
भीड़ में कुचली मरी संवेदनायें
ढूँढ़ते स्वर मातमी क्या बावले हो? इस शहर में?
दौड़ अंधी लक्ष्य ओझल साँस फूली
दनुजता हँसती मनुजता राह भूली
हादसे, हिंसा, धमाके, रुदन, आँसू ढूँढ़ते इनमें कमी
क्या बावले हो? इस शहर में⁹?”

शहर का वातावरण इतना विकृत, इतना नीरस, अवास्तविक हो चुका है कि वहाँ के कहकहे भी नकली होते हैं। हँसते हुए भी वहाँ लोगों के चेहरे मातमी ही नजर आते हैं-

“होंठ हैं सूखे हुए, पर आँख में अब भी नमी है
कहकहे भरते शहर की शक्ल-सूरत मातमी है¹⁰”

ऊपर से महानगर का जीवन भले ही कितना ही सुखद, आरामदायक, सुविधाजनक, चकाचौंध से भरा नजर आता हो वास्तविकता तो यही है कि यहाँ जीने की शर्तें बहुत कठिन हैं। अनियंत्रित भीड़, सड़कों पर वाहनों का घंटों जमाव, हॉर्न का शोर, धुएँ, थोड़ी सी बारिश में ही पानी से पटे रास्ते ये सब वास्तविकता है उस शहर की जो ऊपर से बड़े सजे सँवरे दिखाई देते हैं। महानगरों की यह चमक-दमक बाहर से तो बड़ी लुभावनी दिखाई देती है वास्तविकता का पता तो पास जाकर वहाँ रहकर ही चलता है और तब व्यक्ति के सारे भ्रम, स्वप्न टूट जाते हैं। शहरों की वास्तविक जीवन की झलक प्रस्तुत करता ओम धीरज जी का यह गीत बड़ा सटीक बन पड़ा है-

“कहने को शहरों में बसते हैं लोग
बरसाती मौसम में घुटने भर पानी
छट्टी का दूध कभी याद आए नानी
मुट्ठी कस दांत पीस चलते हैं लोग
नहीं पता कहाँ कब लग जाए जाम
घंटों का ब्रेक ले मिनटों का काम
धुएँ की नागिन से डसते हैं लोग
आँखों में रोपे हैं चमकीले सपने
ख्वाबों से टूट-रूठ जाते हैं अपने
शीश-घर मछली सा फँसते हैं लोग¹¹”

नगरीय जीवन दिनोंदिन संवेदनहीन होता जा रहा है जहाँ भारी आपाधापी, मारा-मारी, भाग-दौड़ में मनुष्य मात्र मशीन की तरह भागता रहता है किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। वहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व, आदमीयत सब छिन जाता है। इस गीत में शहर के असहज, औपचारिक, आपाधापी भरे जीवन की वास्तविक झाँकी देख सकते हैं-

“अखबारी संवेदन है बस ना कोई दुआ-सलाम
फुरसत नहीं किसी को देखे सूरज या फिर शाम
वहाँ उधर जो पुल दिखता है
उसके आगे जो चमकीली चकाचौंध है महानगर है
वहाँ अजब मारा-मारी है भागम-भाग मची है
जिन्दा साँसें हैं तो समझो अब तक जान बची है¹²”

वाहनों की अनियंत्रित भीड़, कारखानों-मिलों से निकले जहरीले धुएँ, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने शहरों में पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित किया है। यहाँ प्रदूषण उस खतरनाक स्थिति तक जा पहुँचा है कि आदमी का साँस लेना भी दूभर हो गया है। नदियों के पानी की तो बात दूर भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया है। न तो यहाँ शुद्ध वायु है न शुद्ध जल न शुद्ध अनाज-फल-सब्जियाँ। पर्यावरण प्रदूषण की भांति यहाँ मानवीय रिश्ते भी प्रदूषित हो गए हैं। ये कैसा विकास है जो हमारे सारे पर्यावरण और ऋत्विक संबंधों को प्रदूषित कर रहा है-

“कैसे दिन आये रिश्ते की नदिया सूख गयी?
मौन हुई लहरों की लोरी, ममता रूठ गयी?
ज्यों-ज्यों शहर महान हो रहे नदिया लुप्त हुई,
ज्यों-ज्यों सभ्य हुए शब्दों की यमुना रेत हुई¹³।”

बढ़ती हुई भीड़, आदमखोर सड़कें, कालिख उगलती मिलों की चिमनियाँ और मानवीय मूल्यों की अवमानना गीतकार को अंदर तक कँपा देती है। वह बरबस ही गा उठता है-

“कालिख उगलती चिमनियाँ बरजोर हैं
मानव निगलती सड़क आदमखोर है
संस्कृति हुई बन्ध्या यहीं व्यक्तित्व की हत्या यहीं
मेरे शहर में क्या नहीं¹⁴”

इन सब के आलावा नगरीय जीवन एक और संत्रास को झेलने को मजबूर है वह है- असुरक्षित वातावरण। दिन-दहाड़े हत्या-लूट, बलात्कार की घटनाएँ शहर के चेहरे को खौफजदा बना देती हैं। समाचार-पत्रों के पन्ने रोज ऐसी कुत्सित घटनाओं से भरे रहते हैं। जनता की उदासीनता, जड़ता, निस्संगता, अपराध को देखकर भी अनदेखा करने की प्रवृत्ति, आत्मलीनता ऐसी घटनाओं को रोकने में आड़े आती हैं। फलस्वरूप शहर रोज-रोज ऐसी घटनाओं को झेलने के लिए अभिशप्त हैं-

“बारूदों ने लिखा कहर का एक नया-अध्याय
दिल दहलाता खौफ़ शहर के चेहरे पर दिखता है
खून, जिल्द पर फिर किताब की, शर्मनाक लिखता है
हाथ मदद को उठते लेकिन सबके सब असहाय
पल में टूट-टूट जाते हैं भरी-भरकम लोग
चश्मदीद है, किन्तु हवा से मिला न कुछ सहयोग¹⁵”

शहरों में अपसंस्कृति, नग्नता, मर्यादाहीनता इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ दिन दहाड़े माँ-बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। घर से बाहर निकलते ही अनेक गंदी नजरों से उसकी देह ही नहीं आत्मा भी घायल हो जाती है। आज शहर महिलाओं के लिए कत्लगाह साबित हो रहे हैं जहाँ पहले उनकी आबरू लूटी जाती है फिर अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाता है। ऐसी सैकड़ों घटनाएँ रोज घट रही हैं चाहे वह दिल्ली का ‘निर्भया’ कांड हो या मुम्बई की महिला पत्रकार। क्या बच्चे, बूढ़े या जवान हर कोई उसकी अस्मिता का लुटेरा बना हर सड़क-गली-मुहल्ला यहाँ तक कि घर पर भी बेखौफ़ घूम रहा है। बसों, ट्रेनों, कार्यस्थलों में भेदे इशारे से लेकर छूने, अश्लील फब्तियों का सामना स्त्री को करना पड़ता है। इसकी एक बानगी देखिए-

“आज महानगर में जब भी लड़की चलती है
लगता कातर हिरनी जंगल बीच गुजरती है।
देह तीक्ष्ण बाणों से अक्सर बिंध-बिंध जाती है
लोलुप आतुर हिंसक तक से घिर-घिर जाती है,
मौन झुकी आँखों को अपनी ढाल बना करके
बेर बबूलों बीच अमोले-सा वह पलती है।
नई पौध हो चाहे कोई बूढ़ा बरगद हो
बार-बार झुक जाये, देखे कोई करवट हो
गंध छुअन से आगे बढ़कर चाह निगलने की¹⁶”

वस्तुतः शहर संवेदनशून्य होता है-आत्मलीन। इसकी मुखरता मात्र मीठे शब्दों तक, औपचारिक आश्वासनों तक सिमटी होती है। एक मुखौटाधारी प्रवृत्ति सर्वत्र और सब पर भरी है। गीतकारों को सर्वाधिक पीड़ा इसी मुखौटाधारी सफेदपोशों से है। तभी वह पूछ बैठता है-

“कैसा है आपका शहर, भाई! हम तो हैरान हैं यहाँ।
बस्ती है जलसाघर, ड्रामा हर रोज है,
कुछ निरीह लाशों पर, रोज महाभोज है¹⁷”

गीतकार को शहरों की इस अमानवीयता, अपसंस्कृति पर गहरा आश्चर्य होता है क्योंकि पहले यही शहर सभ्यता-संस्कृति के प्रतिमान हुआ करते थे, साहित्य के गढ़ हुआ करते थे पर अतिभौतिकता और बाजारीकरण की संस्कृति के आगे संस्कृति का यह स्रोत सूख गया है-

“यह तो वही शहर है जिसमें गंगा बहती थी
एक गुलाबी गंध हवा के संग-संग बहती थी।
पन्त, निराला यहीं निराली भाषा गढ़ते थे
इसकी छाया में बच्चन मधुशाला पढ़ते थे,
एक महादेवी कविता की इसमें रहती थी।
अब इसमें कुछ धूल भरे मौसम ही आते हैं
छन्दहीन विद्यापति बनकर गीत सुनाते हैं
उर्वर थी यह मिट्टी इतनी कभी न परती थी¹⁸।”

ऐसे रेतीले शहर जहाँ न आत्मीयता है न आदमीयत, न उल्लास है न रागात्मकता, न आपसदारी है न सद्भावना से जल्द ही गीतकार का मोहभंग हो जाता है और वह गीतों के गाँव लौट आता है-

“शहरी शाहों से ऊबे तो, गीतों के गाँव चले आए,
जब-जब नगरों का रंग उड़ा हर सूरत ही लगती नकली,
शैम्पेन-डिस्को की थिरकन की खुशियाँ भी अब छलती नकली
रेशम की बाँहों में लुटकर, गुड़हल के गाँव चले आये¹⁹।”

ऐसे ही एक गीत में डॉ. ओमप्रकाश जी शहरों के बनावटी, ऊब-घुटन-संत्रास, अकेलेपन, पराएपन से घबराए अपने किसी आत्मीय को गाँव लौट आने का आग्रह करते हैं। इस गीत में गीतकार ने शहरीकरण की तमाम बुराइयों, विकृतियों, विसंगतियों, वहाँ के असुरक्षित वातावरण, बाजारीकरण, अपराधीकरण को रूपायित करने में सफलता प्राप्त की है-

“जब भी शहर न दे रोटी फिर पानी की किल्लत हो
या कि धूप में थकी जिन्दगी को कोई फुरसत हो
और कभी मन अकुलाये तीखे कड़ुए शब्दों से
भाई मेरे बरगद की छाँव चले आना।
फुटपार्थों पर यदि लोगों से धकियाये जाते हो
और खिड़कियों के पर्दे जबरन खुलवाये जाते हों
बौनी सुबह घिनौनी शामें बीतें मुश्किल से
भाई मेरे तत्क्षण उलटे पाँव चले आना।
बाजारों में आस्थावादी जेब कहीं कट जाए
काली सड़क कभी लाशों से क्षण भर में पट जाए

दंगे या विस्फोट और आतंक खड़े हों पथ पर
भाई मेरे लेकर ताजे घाव चले आना²⁰।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि समकालीन गीतों में शहर या महानगर कभी सकारात्मक रूप में स्थान नहीं पा सका है। ऊपर दिये उद्धरणों में अभिव्यक्त शहरों का रूप कितना खरा है यह स्पष्ट है। इनमें नागर व्यक्ति संदिग्ध ही नहीं, अराजक होकर उभरता है। मानवीय विश्वास तथा आस्था का यह संकट पूरे समाज का संकट है। यह कैसी संस्कृति को जन्म देगा, विचारणीय है। गीतकारों की यह चिंता जायज और युग के अनुरूप है। आज का समय और समाज जिस मानसिकता से गुजर रहा है, उसकी परिणति कहाँ और क्या होगी विचारणीय है। आज का गीत इसी जीवन्तता की, इन्हीं उदात्त तत्वों-मूल्यों और भावनाओं की गवेषणा और संरक्षा में संलग्न है। सुश्री शरद सिंह के शब्दों में- “नवगीतों के महानगरीय मूल्यबोध की बोधपरकता ने देश की स्वतंत्रता के बाद उपजी विडंबनाओं के प्रति निरंतर ध्यान आकर्षित किया है। आज का युग महानगरीय युग है। इस युग में मानवीय संवेदना का प्रत्येक बोध महानगरीय आचरण को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करता है। ऐसे वातावरण में नवगीतों में निहित महानगरीय बोधपरकत्व जीवन के चतुर्दिक प्रगति के साथ-साथ अपार संभावनाएँ समेटे हुए है। वस्तुतः नवगीत में न तो आरोपित विचारों और दर्शन की सप्रयास प्रस्तुति है और न भारतीय संस्कृति के प्रति उपेक्षा के भाव हैं। इसकी बोधपरकता समाज-सापेक्ष है और युगीन चेतना को रेखांकित करती है²¹।”

एंडनोट्स

¹ शुक्ल, निर्मल. (सं.). (2012). *गीत सात*. उत्तरायण प्रकाशन, पृ. सं. 204.

² शुक्ल, राधेश्याम. (2012). *कैसे बुनें चदरिया साधो*. गाजियाबाद: अनुभव प्रकाशन. पृ. सं. 170.

³ कुरेशी, जहीर. (सं.). (2012). *इस शहर में अब शब्दायन*. लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन. पृ. सं. 248.

⁴ कुरेशी, जहीर. (सं.). (2007). *संकल्प रथ* भोपाल. पृ. सं. 29.

⁵ शुक्ल, राधेश्याम. (2012). *कैसे बुनें चदरिया साधो*. गाजियाबाद: अनुभव प्रकाशन. पृ. सं. 74.

⁶ श्रीवास्तव, जगदीश. (सं.). (2016). *चिमनियों की नोंक परनयी सदी के नवगीत*. (भाग-दो) दिल्ली: नमन प्रकाशन, पृ. सं. 40.

⁷ शुक्ल, निर्मल. (2016). *अब है सुर्ख कनेर*. लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन. पृ. सं. 79.

⁸ श्रीवास्तव, श्याम. नारायण. (2016). *जिन्दगी की तलाश में*. लखनऊ: नमन प्रकाशन. पृ. सं. 65-66.

⁹ शर्मा, रामसनेहीलाल. (2016). *झील अनबुझी प्यास की*. लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन. पृ. सं. 33-34.

¹⁰ शुक्ल, निर्मल. (2006). *एक और अरण्यकल*. लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन, पृ. सं. 42.

¹¹ शुक्ल, निर्मल. (सं.). (2012). *कहने को शहरों में*. लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन. पृ. सं. 839.

- ¹² शुक्ल, निर्मल. (2016). *सच कहूँ तो*. लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन. पृ. सं. 95-96.
- ¹³ बन्धु, राधेश्याम. (2009). *नदियाँ क्यों चुप हैं*. दिल्ली: कोणार्क प्रकाशन. पृ. सं. 19.
- ¹⁴ शर्मा, राम. सनेही. लाल. (2009). *अँधा हुआ समय का दर्पण*. नई दिल्ली: अयन प्रकाशन. पृ. सं. 58.
- ¹⁵ शुक्ल, निर्मल. (2013). *नहीं कुछ भी असंभव*. लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन. पृ. सं. 45-46.
- ¹⁶ धीरज, ओम. (सं.) (2016). *महानगर में लड़की*. सिंह, ओमप्रकाश. *नयी सदी के नवगीत*. दिल्ली: नमन प्रकाशन. पृ. सं. 57-58.
- ¹⁷ शुक्ल, राधेश्याम. (2012). *कैसे बुनें चदरिया साधो*. गाजियाबाद: अनुभव प्रकाशन. पृ. सं. 57.
- ¹⁸ राय, जयकृष्ण. तुषार. (सं.) (2016). *यह तो वही शहर है*. नयी सदी के नवगीत. सिंह, ओमप्रकाश, दिल्ली: नमन प्रकाशन, पृ. सं. 241-42.
- ¹⁹ बन्धु, राधेश्याम. (2008). *एक गुमसुम धूप दिल्ली*. कोणार्क प्रकाशन. पृ. सं. 47.
- ²⁰ सिंह, ओमप्रकाश. (सं.) (2010). *गाँव चले आना*. धार पर हम (दो) आस्तिक, वीरेंद्र. दिल्ली: कल्पना प्रकाशन, पृ. सं. 161.
- ²¹ शुक्ल, निर्मल. (सं.) (2012). *सुश्री शरद सिंह*, शब्दपदी: लखनऊ: उत्तरायण प्रकाशन पृ. सं. 87-88.

हिंदी संरचनात्मक संदिग्धता विश्लेषक हेतु संगणकीय मॉडल

प्रवेश कुमार द्विवेदी¹

प्रस्तावना (Introduction):

हिंदी भाषा एक मुक्त शब्द क्रम वाली भाषा है। भाषामुक्त शब्द क्रम होने की वजह से कभी-कभी शब्द, पदबंध अथवा वाक्यों का गठन ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वह एकाधिक अर्थों को प्रकट करने में सक्षम हो जाता है। जिससे वाक्यों के बोलने व सुनने में वक्ता अथवा स्रोत सही अर्थ को ग्रहण करने में भ्रमित हो जाता है। चूंकि मानव के मस्तिष्क में संसारिक ज्ञान का भंडार होता है जिससे वह संदर्भ के आधार पर बोलते अथवा सुनते समय सही अर्थ को ग्रहण कर लेता है। लेकिन यदि ऐसे वाक्यों को संदर्भ से विलग कर दिया जाय तो संदिग्धता लगातार बनी रहती है। जैसे- 'राम ने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा'। यहां पर यह संदिग्ध है कि कौन दौड़ रहा था, राम अथवा कुत्ता। ऐसे वाक्यों को संदर्भ से विलग करने पर मानव पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाता है और सही अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता खो देता है। ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक भाषा प्रक्रमण में भाषा को संसाधित करते समय कई शब्द, पद, पदबंध अथवा वाक्य का प्रयोग किया जाता है जो एकाधिक अर्थ को ध्वनित करते हैं। ऐसे संदिग्ध शब्द, पद, पदबंध अथवा वाक्य को मशीन में संसाधित करने हेतु विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यदि भाषा का विश्लेषण करके मशीन को संसारिक ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया जाय तो यह कार्य संभव हो सकता है कि मशीन सही अर्थ को ग्रहण कर सके।

वाक्य संरचना भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। किसी भाषा के व्याकरण के संदर्भ में आधारभूत सार्थक संरचनात्मक इकाई है। वक्ता के वक्तव्य का प्रस्तुतीकरण वाक्य का मुख्य उद्देश्य होता है। वक्ता की मानसिक स्थिति वाक्य की बाह्य संरचना में परिवर्तित कर देती है। परिवर्तित वाक्य की बाह्य संरचना मुख्यतः दो पदबंधों (संज्ञा पदबंध एवं क्रिया पदबंध) से मिलकर बनता है। जब इन दोनों पदबंध का वाक्य संरचना के अंतर्गत गठन ही कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों पदबंधों के बीच संदिग्धता आ जाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से हिंदी भाषा के वाक्य संरचना में आने वाली संदिग्धार्थकता को समझने व विश्लेषित करने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत एक हिंदी कार्पस का निर्माण किया गया है जिसमें 60 प्रकार के संदिग्ध वाक्यों का संकलन किया गया है। जिनके विश्लेषण हेतु एक टूल का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा संरचनात्मक संदिग्धार्थकता को ध्वनित करने वाली वाक्यों की पहचान की जा सके एवं उनका आवश्यक विश्लेषण कर सही अर्थ को ग्रहण कर सके।

¹ पी-एच.डी. (सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी) प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र (भाषा विद्यापीठ) म. गां. अं. हिं. वि., वर्धा (महाराष्ट्र) dpraveshkumar@gmail.com

शोध प्रविधि (Research Methodology):

प्रस्तुत शोध-कार्य में संरचनात्मक संदिग्धार्थकता विश्लेषक हेतु संदिग्ध वाक्यों का संकलन कर एक कार्पस का निर्माण किया गया है। जिसका विश्लेषण पूर्व निर्धारित व्याकरणिक रूपवाद (Grammatical formalism) चॉमस्कीके पदबंधसंरचना व्याकरण (Phrase Structure Grammar) के सिद्धांत पर आधारित है। जिसमें वाक्य की संरचना का विश्लेषण करने हेतु भाषा वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग हुआ है। शोध-विषय की वस्तुनिष्ठता हेतु कार्पस का निर्माण कर एवं नियम आधारित अभिगम का प्रयोग करके मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध-प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

डाटा स्रोत (Data Source):

डाटा स्रोत चयन किसी भी शोध-विषय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जिसके आधार पर शोध-कार्य की रूप-रेखा तैयार किया जाता है। एक स्वस्थ शोध का मुख्य द्वार डाटा संकलन एवं कार्पस संकलन का स्रोत होता है। स्रोत ही डाटा की संपूर्ण मानकता को तय करता है। प्रस्तुत शोध-कार्य हेतु डाटा का संकलन भारत के विभिन्न प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र, पत्रिकाओं, कहानियों की पुस्तक, इंटरनेट एवं हिंदीब्लॉग आदि प्रमुख हैं, जिनके आधार पर कार्पस का निर्माण किया गया है। उपर्युक्त डाटा संकलन का स्रोत इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि संदिग्ध वाक्यों का प्रयोग लिखित भाषा में प्रयुक्त किया जाता है जो संदर्भगत होता है। किसी भी भाषा के प्रयोग का केन्द्र समाज होता है जो भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतिचित्रित होता रहता है। इस प्रकार भाषा के समसामयिक प्रयोग में संदिग्धता की पर्याप्त गुंजाइश होती है जिसमें एकाधिक अर्थ मौजूद होते हैं और इनका बहुतायत में प्रयोग होता है। जिनसे विभिन्न प्रकार के संदिग्ध वाक्यों का संग्रह किया गया जो प्रस्तुत टूल के विकास में अधिक समीचीन है।

डाटा विश्लेषण (Data Analysis):

प्रस्तुत शोध-कार्य में प्रयुक्त कार्पस में विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे पाठ का साधारीकरण किया गया। तत्पश्चात सभी वाक्यों एवं शब्दों को खंडीकरण किया गया। इसके पश्चात सभी शब्दों का शब्द-भेद टैगिंग की गई है। टैगिंग के पश्चात पदबंधीय पहचान की गई है। संदिग्धता प्रदान करने वाले कारक तत्वों पहचान की गई है। प्रतिपादित विभिन्न नियमों की वस्तुनिष्ठता एवं उत्पादकता को जानने एवं मूल्यांकन हेतु संख्यकीय विश्लेषण भी किया गया है। डाटा विश्लेषण का मुख्य आधार वाक्य संरचना तक सीमित है, इसमें वाक्य के संदर्भ को शामिल नहीं किया गया है। संकलित डाटा का वर्गीकरण एवं विश्लेषण व्याकरणिक सूचना और पदबंधीय सीमा पर निर्भर होता है जो भाषावैज्ञानिक एवं तकनीकी अभिगम पर आधारित है।

भाषावैज्ञानिक अभिगम (Linguistics Approach):

संरचनात्मक संदिग्धार्थकता की पहचान करने एवं विश्लेषण में प्रयुक्त भाषावैज्ञानिक अभिगम में मुख्य रूप से पदबंधात्मक एवं वाक्यविन्यासात्मक अभिगमों को लिया गया है क्योंकि संरचनात्मक संदिग्धता

की पहचान एवं नियंत्रण के मूल कारक तत्व इन दोनों को माना गया है जिसके प्रयोग से विश्लेषक के नियमों का प्रतिपादन किया गया है।

पदबंधात्मक (Phrasal):

इसके अंतर्गत संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रियाविशेषण पदबंध की निर्माण-प्रक्रिया और रूपरचना की दृष्टिकोण से विश्लेषण एवं संश्लेषण किया गया है। पदबंध के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न घटक जैसे- संज्ञा, परसर्ग, क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि के आधार पर सभी पदबंधों की पहचान हेतु नियमों का निदर्शन किया गया है।

वाक्यविन्यासात्मक (Syntactic):

इसके अंतर्गत वाक्य के उन सभी प्रभावी घटकों की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है जो संदिग्ध वाक्यों की पहचान करने में सहायक होते हैं। संदिग्ध वाक्यों की वाक्य को प्रभावित करने वाले घटकों के प्रकार्य एवं भाषा के अन्य घटकों के साथ संबंध कर्ता, कर्म, क्रिया के रूप में तथा प्रभावित करने वाले घटकों के अर्थीय विश्लेषण किया गया है। तदोपरांत आवश्यकतानुसार विभिन्न नियमों का निदर्शन किया गया है।

तकनीकी अभिगम (Technical Approach):

संरचनात्मक संदिग्धार्थकता की पहचान करने एवं विश्लेषित करने हेतु एक टूल का निर्माण करना है, इसलिए एक संगणकीय मॉडल के निर्माण हेतु नियमों को प्रतिपादित किए गए हैं, जो भाषावैज्ञानिक मापदंडों के अनुकूल होते हुए संगणकीय मॉडल में क्रियान्वित किये जा सकें। टूल के निर्माण प्रक्रिया में निम्न दो भागों का प्रयोग किया गया है।

अग्रसिरा (Front End):

टूल की निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न अंतरापृष्ठों हेतु अग्र सिरा के रूप में विजुअल स्टूडियो 2010 के डाट नेट फ्रेमवर्क का प्रयोग करते हुए सी शार्प प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया है। जिसकी संपूर्ण संरचना एक साफ्टवेयर की प्रयुक्त होने वाले विभिन्न घटकों का प्रयोग किया गया जिसकी सहायकता से उपयोगकर्ता सामान्य कमाण्ड देकर आसानी के साथ संपन्न कर सकता है।


पश्चसिरा (Back End):

डाटा का संकलन एवं विश्लेषण करने के पश्चात डाटा का अंतःसंबंध एवं पुनःप्राप्ति हेतु डाटाबेस प्रबंधन का कार्य किया गया है। चूंकि एम.एस.एक्सेस में डाटा का संग्रहण वर्गीकरण के आधार पर बहुत ही सहज रूप में किया जा सकता है। अतः एम.एस. एक्सेस डाटाबेस को पश्च सिरा के तौर पर लिया गया है।

शोध-अभिगम(Research Approach):

प्रस्तुत शोध-कार्य के अंतर्गत हिंदी शब्द, पद, पदबंध एवं वाक्य को विश्लेषित एवं संश्लेषित करने हेतु नियम आधारित एवं सांख्यिकीय आधारित आधारित दोनों अभिगम को एक साथ अर्थात् शंकर आधारित अभिगम का प्रयोग किया गया है। नियम आधारित अभिगम के अंतर्गत संदिग्ध वाक्यों की पहचान एवं विश्लेषित करने हेतु नियमों का प्रतिपादन किया गया एवं ऐसे पदबंध एवं वाक्य को जिन्हें नियमों में नहीं बाधा जा सकता है उन्हें संभाव्यता के द्वारा सांख्यिकीय अभिगम का प्रयोग करते हुए विश्लेषित एवं संश्लेषित किया गया है।

शोध अभिकल्प (Research Design):



चित्र: शोध संरचना एवं कार्यविधि

प्रस्तुत शोध-कार्य की रूप-रेखा एवं संरचना को संकलित डाटा एवं प्रतिपादित नियमों के समावेश की विधियों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा इनके बाह्य संरचना को निम्नलिखित चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिससे संपूर्ण शोध-कार्य की दिशा एवं दशा को स्पष्टतम रूप से समझा जा सकता है।

प्रस्तुत शोध कार्य कई चरणों से गुजरकर पूर्ण होता है। संदिग्ध हिंदी वाक्य संरचना को विश्लेषित एवं संश्लेषित करने हेतु उपरोक्त चित्र के माध्यम से समस्त चरणों को देखा व समझा जा सकता है। जिसका विस्तृत विवरण निम्न में प्रस्तुत है:

हिंदी संदिग्ध वाक्यों का निवेश (Input Hindi Ambiguous Sentences):

इस चरण में हिंदी वाक्यों के संकलन अथवा एकभाषीय हिंदी कार्पस का टूल में निवेश किया जायेगा एवं निवेशित पाठ को प्रक्रमण(Processing)हेतु अगले चरण में भेजा जायेगा।

प्रक्रमण (Processing):

इस चरण में निवेशितसम्पूर्ण पाठ का दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रक्रमण किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में प्रक्रमण मुख्य रूप से तीन भागों में संपन्न होता है:

पूर्व प्रक्रमण(Pre-processing): इस चरण में निवेशित पाठ में निहित समस्त समस्याओं, अनियमितताओं को निम्नलिखित चरणों के द्वारा साधारण पाठ में निर्माण किया गया है:

पाठ का सामान्यीकरण(Normalization of Text): प्रस्तुत चरण में निवेशित पाठ के शब्दों एवं वाक्यों को एकरूपता प्रदान करके उनका सामान्यीकरण किया गया है।

ध्वनि पराभव (Noise Reduction): इस चरण में निवेशित पाठ की ध्वनियों में निहित अन्य ध्वनियां अथवा समस्याओं को हटाकर पाठ को सामान्य रूप में लाया गया है।

विराम चिह्नों का विश्लेषण(Analysis of Punctuation marks): इस चरण में निवेशित पाठ में उपस्थित समस्त विभिन्न प्रकार के विराम चिह्नों का विश्लेषण किया गया है।

प्रोसोडिक फीचर्स को हटाना (Reduce Prosodic Features): इस चरण में निवेशित पाठ में निहित समस्त प्रोसोडिक फीचर्स जैसे- लय, सुर आदि को हटाया गया है, जिससे पश्च प्रक्रमण हेतु पाठ के विश्लेषण में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न हो।

विश्लेषण (Analysis): यह चरण प्रस्तुत शोध-कार्य का मुख्य चरण है क्योंकि इसी चरण में संदिग्ध वाक्यों की पहचान एवं विश्लेषण किया गया है। पूर्व-प्रक्रमण के पश्चात पाठ का विश्लेषण निम्न चरणों में किया गया है:

पाठ का खंडीकरण (Segmentation of Text): इस चरण में पाठ के विश्लेषण हेतु वाक्य स्तर पर, पदबंध स्तर पर, शब्द स्तर पर खंडीकृत किया गया है।

टोकनीकरण (Tokenization): पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी प्राप्त होते हैं जो एकाधिक शब्दों में विभक्त होते हैं लेकिन उनकी व्याकरणिक कोटि एक ही होती है, उन्हें टोकन का निर्माण कर टोकनीकृत किया गया है।

रूपमिक विश्लेषक (Morphological Analyzer): इस चरण में प्राप्त पाठ का रूपमिक विश्लेषण एवं रूपमिक विश्लेषण हेतु आवश्यक नियमों का प्रतिपादन करके उनका समावेश किया गया है।

संश्लेषण (Synthesis): पाठ प्रक्रमण में विश्लेषण करने के बाद उनका संश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, अतः इस चरण प्राप्त विश्लेषित पाठ का संश्लेषण निम्न चरणों के द्वारा संपन्न किया गया है:

शब्द संश्लेषण (Word Synthesizer): इस चरण में विश्लेषित पाठ के समस्त शब्दों का संश्लेषण किया गया है।

शब्द-भेद टैगर (POS Tagger): इस चरण में शब्दों को संश्लेषित करके उनका व्याकरणिक विश्लेषण करने हेतु शब्द-भेद टैगर का प्रयोग किया गया है, जो प्राप्त पाठ के समस्त शब्दों को उनकी व्याकरणिक कोटि की समस्त सूचना को प्रदान करता है।

संदिग्धता विश्लेषण हेतु नियमों का समावेश (Implementation of Rule for Ambiguity Analyzer):

प्रस्तुत चरण में हिंदी भाषा के पाठ में निहित संरचनात्मक संदिग्धता को विश्लेषित करने हेतु आवश्यक नियमों का प्रतिपादन करके उनका समावेश किया गया है।

शैलो पार्सर (Shallow Parser): इस चरण में संदिग्ध वाक्यों को विश्लेषित करने हेतु शैलो पार्सर का निर्माण करके प्रयोग किया गया है जिसके माध्यम से संदिग्ध वाक्यों के एकाधिक अर्थों को स्पष्टतम रूप में समझाया गया है।

संदिग्ध विश्लेषित वाक्यों का आउटपुट (Output of Analyze Ambiguous Sentences): इस चरण में प्राप्त समस्त संदिग्ध वाक्यों के विश्लेषण का आउटपुट प्राप्त किया गया है।

शोध समस्या एवं चुनौतियां :

मानव-मशीन के बीच संवाद स्थापित करने हेतु प्राकृतिक भाषा के स्पष्ट अर्थ का प्रकट होना अतिआवश्यक है, परंतु प्राकृतिक भाषा का स्वरूप वृहद एवं विशाल है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव से परिपूर्ण होती है, जहां प्राकृतिक भाषा के शब्द, पदबंध एवं वाक्य एकाधिक अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता से युक्त होते हैं। किसी भी प्राकृतिक भाषा के ऐसे ही कई शब्द, पदबंध, एवं वाक्य 'द्विआर्थी' या 'संदिग्ध'

होते हैं, जिनके अर्थबोध को ग्रहण करना भाषा अभियांत्रिकों के लिए एक मुश्किल कार्य बना हुआ है। प्राकृतिक भाषा प्रक्रमण के अंतर्गत संरचनात्मक संदिग्धार्थकता की समस्या सबसे ज्यादा जटिल समस्या है क्योंकि यदि किसी भी वाक्य को संदर्भ से विलग कर दिया जाय तो उसका वास्तविक अर्थ अस्पष्ट हो जाता है जिसे मानवीय बुद्धि को भी समझने में कठिनाई पैदा हो जाती है तो मशीन के पास तो सांसारिक ज्ञान ही नहीं होता है। यहां पर संदिग्धता तब और ज्यादा बढ़ जाती है वाक्य के साथ-साथ उसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द भी एकाधिक अर्थ को प्रकट कर रहे होते हैं। प्रस्तुत शोध-कार्य में हिंदी भाषा में वाक्य संरचना में आने वाली संदिग्धार्थकता की पहचान कर उनके आवश्यक निदान हेतु विश्लेषण करने संबंधी विभिन्न समस्याओं को शोध समस्या के रूप में रखा गया है।

जैसे:

‘राम ने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा’।

- [राम ने दौड़ते हुए][कुत्ते] को देखा।
- [राम ने][दौड़ते हुए कुत्ते] को देखा।

उपर्युक्त वाक्य में ‘दौड़ते हुए’ का संबंध प्रथम अर्थ में राम के साथ है, वहीं द्वितीय अर्थ में कुत्ते के साथ है। ‘दौड़ते हुए’ की वजह से यह पूरा वाक्य संदिग्ध है कि राम दौड़ रहा है कि कुत्ता दौड़ रहा है।

राम ने मुझे हल्की काली पुस्तक दी।

- राम ने मुझे [हल्की][काली पुस्तक] दी।
- राम ने मुझे [हल्की काली][पुस्तक] दी।

उपरोक्त उदाहरण विशेषण पदबंध स्तरीय संदिग्धार्थकता को व्यक्त करता है। उक्त वाक्य में यह अस्पष्ट है कि राम के द्वारा दी गई पुस्तक हल्की एवं काली दोनों अलग-अलग विशेषण पुस्तक के लिए प्रयुक्त हुए हैं या हल्की काली एक साथ। अर्थात् प्रथम अर्थ में काली पुस्तक है जोकि हल्की है जबकि द्वितीय अर्थ में पुस्तक है जो हल्की काली है। हल्की, काली पुस्तक में हल्की विशेषण काली पुस्तक के विशेषक के तौर पर प्रयुक्त हुआ है तथा ‘हल्की काली’ में काली शीर्ष विशेषण के तौर पर कार्य कर रहा है और हल्की विशेषक के रूप में।

उपरोक्त वाक्य एकाधिक अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता से पूर्णरूपेण युक्त हैं। इस परिस्थिति में जब मानव के लिए ही बिना संदर्भ के यह जटिल है कि उक्त वाक्य का वास्तविक अर्थ क्या है, तो मशीन को समझना और भी मुश्किल है। चूंकि हिंदी भाषा मुक्त शब्द क्रम वाली भाषा है इसलिए ऐसे कई वाक्य संरचना पढ़ने अथवा सुनने को मिल जाते हैं जो एकाधिक अर्थ को प्रकट कर रहे होते हैं। प्राकृतिक भाषा प्रक्रमण में भाषा के प्रक्रमण हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि मानव द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उसी रूप में ग्रहण एवं

निष्पादन हो जिस रूप में मानव समझता एवं बोलता है। ऐसी परिस्थिति में मशीन के लिए ऐसी समस्याओं से निजात पाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मानव-मशीन के बीच संवाद स्थापित किया जा सके।

निष्कर्ष :

प्राकृतिक भाषा संसाधन के अंतर्गत संदिग्धार्थकता की समस्या एक प्रमुख समस्या है, जो विभिन्न अवस्था में भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्रहण करती है एवं विभिन्न स्तरों पर भाषा के अर्थ को प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा के संदिग्ध वाक्यों के संरचना को पद-विच्छेदन के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। जिसके प्रयोग से प्राकृतिक भाषा संसाधन में हिंदी भाषा के संदिग्ध वाक्यों सहजतम रूप से पहचान कर उनका विश्लेषण एवं संश्लेषण कर विसंदिग्ध किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

- ओझा, त्रिभुवन. (1986). *हिंदी में अनेकार्थकता का अनुशीलन*. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- सिंह, सूरजभान. (2000). *हिंदी का वाक्यात्मक व्याकरण*. दिल्ली: साहित्य सहकार.
- अग्रवाल, मुकेश. (2009). *हिंदी भाषा की संरचना*. के. एल. गाजियाबाद: पचौरी प्रकाशन.
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जून 2004, वाक्य संरचना- 21.
- कपूर, बदरीनाथ. (2008). *वाक्य संरचना और विश्लेषण प्रतिमान*. कानपुर: राधाकृष्ण प्रकाशन.
- गुरू, कामता. प्रसाद. *हिंदी व्याकरण*. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन.
- सिंह, प्रो. सूरजभान. (2008). *हिंदी भाषा संदर्भ और संरचना*. दिल्ली: साहित्य सहकार प्रकाशन.
- गोस्वामी, कृष्ण कुमार. (2008). *अनुवाद विज्ञान की भूमिका*. नयी दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.

अंगचित्र (गोदना) महिलाओं का शृंगार और नट जाति

विजय कुमार कन्नौजिया¹

प्रस्तावना:

प्राचीनकाल से ही नट जाति खानाबदोश, घुमक्कड़ी, यायावरी जीवन जीने के लिए विवश रही है। आधुनिकता के इस दौर में भी जहां हर क्षण दुनिया बदल रही है वहीं घुमंतू जातियों की जीवनशैली में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी कुछ जातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुये अपना जीवनयापन कर रही है। जिसका कोई स्थाई निवास, व्यवसाय नहीं है। जिससे इनको काफी तकलीफों का सामना कर पड़ रहा है। घुमंतू अथवा खानाबदोश, जातियों में हम उन जातियों को शामिल करते हैं जो कि एक निश्चित स्थान पर आवास बनाकर स्थायी रूप से रहने की अपेक्षा अलग-अलग स्थानों पर जाकर निवास करती है। ये घुमंतू पेशेवर जातियां हिंदू और मुस्लिम धर्म से संबद्ध रखती हैं। घुमंतू जातियों में नट, सपेरा, बंजारा, लाभण, गवली, भील, पारधी, गड़रियां, लुहार, सपेरा, डोंबारी, पोतदार धनगर, पावस, थारु, वैध कबूतरा, ज्योतिषी (तोता वाले), करनट, कोलहाटी, भडकट, कलबेलिया, नबदीगर, किंकर, भांट, सांसी बावेरिये आदि है। इसमें से कुछ जातियों का व्यवसाय जैसे- वाद्यवादक/ढोली सपेरे, चाकू छुरी में धार लगाने वाले, चक्की पाटा बेचने व मरम्मत के कार्य करना आदि है। (डॉ. यशेश्वरी ध्रुव, 2016) उत्तर भारत में नट जाति के लोग विशिष्ट घुमंतू जाति के रूप में जाने जाते हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम-घूम कर तमाशा दिखाते हैं। रस्सी पर चलना, आग से खेलना, कलाबाजी करना इत्यादि खेल तमाशा दिखाकर अपना जीवनयापन करते हैं। (डॉ. विनय कुमार पाठक, 2016) नट जाति की महिलाओं में एक अनोखी कला “गोदना” गोदने की है। ये इस कला में माहिर एवं निपुण है। हालांकि “गोदना” गोदने की कला अब धीरे-धीरे विलुप्त हो चली है जिससे इनकी महिलाओं को रोटी-रोजी का संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व:

हमारे भारतीय समाज के बीच में तमाम सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है। जिसे हम धार्मिकता, प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों, नियम, कलाओं इत्यादि। यह धरोहर किसी का शृंगार था तो किसी का कला। हिंदू धर्म में शृंगार के रूप गोदना गुदवाने की परंपरा थी जो आज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या कारण है। शृंगार ही नहीं किसी जाति का कला और व्यवसाय भी था। हालांकि यह अद्भुत कला नट जाति की थी। विशेषकर इनकी महिलाएं इस कला को जानती थी। आज प्रायः लुप्त हो चुकी है। जिसके कारण इनके बीच में एक बड़ी समस्या पनप चुकी है। उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करना शोधार्थी का मूल उद्देश्य है। जो अध्ययन के भी महत्व को कहीं न कहीं चिन्हित करता है।

¹ पी-एच.डी. शोधार्थी, मानवविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) भारत
Email- bhuvijay2@gmail.com मो. 9527862025.

शोध प्राविधि:

यह शोध पत्र द्वितीयक शोध पत्र पर आधारित है। प्रस्तुत तथ्यों के पुष्टि के लिए प्रकाशित पत्र-पत्रिका, शोध पत्र, लेख, ब्लाग एवं शोध से संबंधित पुस्तकों का उपयोग किया गया है और शोधार्थी का खुद का विचार है जिसे व्याख्यायित करने का प्रयास किया है।

नट जाति की महिलाएं और गोदना:

उत्तर भारत में नट जाति हिंदू धर्म को मानने वाली एक जाति है। पुरुष लोग प्रायः बाजीगरी व कला-बाजी और गाने-बजाने का कार्य करते हैं। तथा उनकी महिलाएं नाचने, गाने तथा शृंगार का सामान बेचना और साथ-साथ गोदना का भी कार्य करती हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग को लचीला बनाकर विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करते हुए जनता का मनोरंजन करना ही इनका मुख्य पेशा है। हालांकि वर्तमान समय में इन लोगों का स्थाई निवास तो हो गया है परंतु स्थाई जीविकापार्जन के लिए कोई व्यवसाय नहीं है।

एक जमाना था जब महिलाओं के अंदर गोदना गोदवाने को लेकर काफी उत्साह और उमंग रहती थी। वहीं इस पेशे से जुड़ी नट जाति की महिलाओं की रोजी-रोटी भी चलती थी लेकिन आज वर्तमान में गोदना गोदवाने का प्रचलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया। जिससे नट जाति की महिलाओं के लिए रोजी का संकट आ खड़ा हो गया। प्राचीनकाल में गोदना गोदवाने की एक परंपरा थी जो आज ये परंपरा समाप्त हो गयी। नट जाति की महिलाएं गांव की गलियों में आवाज लगाती फिरती थीं गोदना गोदने के लिए। “गोदना गोदवा ला हो” अब यह आवाज शायद ही सुनने को मिलती है। एक परंपरा थी जब महिलाओं के लिए गोदना गोदवाना आवश्यक समझा जाता था। प्रायः यह गोदना गोदवाने के संदर्भ यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा से मिलने के लिए एक बार गोदनहारिन का रूप धारण किया था। परंतु आज गोदनहारिन देखने को भी नहीं मिलती हैं। पूर्वांचल व बिहार प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच इसका प्रचलन काफी था। इसके ऊपर तरह-तरह के लोकगीत भी गायकों द्वारा गाये गए हैं। बताया जाता है कि, गोदना को सौंदर्य का प्रतीक और रोग-व्याधियों के निवारण और टोटके के रूप में मान्यता दिया जाता था। महिलाओं को इस बात का अंधविश्वास रहा कि मृत्यु के पश्चात गोदना ही उनके साथ जायेगा। कुछ लोगों का मानना है कि बाल-विवाह के प्रचलन में पांच-छह वर्ष तक के बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। विवाह के बाद बालिकाओं के हाथ या बांह पर उनके पति का नाम गोद दिया जाता था ताकि वयस्क होने पर ससुराल पक्ष के लोग उक्त बालिका को आसानी से पहचान सकें। विवाह के उपरांत जब पहली बार महिला अपने ससुराल से लौटती थी तो अपने शरीर के तमाम हिस्सों पर अपने पति के साथ अपना नाम गुदवाती थी, जिसे मिथक के रूप में देखें तो साथ नाम गुदवाना सात जन्मों के साथ होने किंवदन्ती की पुष्टि करता है। उसके साथ ही औरतें देवी देवताओं के चित्र का भी गोदना गुदवाती थी। जिससे सुरक्षा की भावना से जुड़ा देखा जाता था। सौंदर्य के लिहाज से गोदना गोदवाने वाली महिलाएं माथे पर बिंदी, भौं पर अर्द्ध चन्द्र और तारे की आकृतियां, अपने पति का नाम, जानवरों की आकृति भी अंकित कराती थीं। इसके अलावा कुछ महिलाएं अपना, अपने भाई व सखी सहेली का नाम अंकित कराती थी। गोदना की मुख्यतः आकृतियां मोर, फूल, पत्ती तथा देवी-देवताओं

के रूप में होती थी। यह सच है कि गोदना-गुदवाने में असह्य पीड़ा के बावजूद भी महिलाएं परंपरा व अंधविश्वास को लेकर गोदना गोदवाती थीं। “गोदना” अंगचित्र यानी शरीर पर चलती सूरियां। चेहरे पर झलकता दर्द। आंखों में संतोष और खुशी की मुस्कुराहट। भले ही पहली नजर में इन दृश्यों को देखकर आपको कुछ समझ में न आए, लेकिन यह “गोदना” है, जो गोदा जा रहा है। “गोदना” यानी महिलाओं का शृंगार। इसके बदले में गुदनहारी को अच्छी खासी मेहनताना व बख्शीस विदाई में मिलती थी। किंतु पाश्चात्य संस्कृति की आबोहवा चलने के कारण गोदना गोदवाने को बीते जमाने की सामाग्री बना दिया। अब गोदना की जगह टैटू ने धारण कर लिया है। अब अलग-अलग कई तरह की आकृतियों का स्वरूप टैटू ने ले लिया। टैटू शरीर पर छपवाने व गुदवाने का प्रचलन तीव्र हो चुका है।

बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में “गोदना” की एक समृद्ध परंपरा रही है जो अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। “गोदना” चित्रकारी करने वाली महिलाएं “नट जाति” या “बंजारा” समुदाय की होती हैं। जिनका कोई मुकम्मल ठिकाना नहीं होता। उपरोक्त जिस घुमक्कड़ी समुदाय की बात की जा रहा था। इनमें रोटी, कपड़ा और मकान का जदोजहद पूर्णतः काफी रहा है। इनका ठिकाना कभी झुग्गी-झोपड़ी से अधिक नहीं हुआ। न उनकी कोई अस्मिता और अधिकार है क्योंकि वह हमारे मतदान सूची से हमेशा बाहर रहे थे। बहुत ज्यादा दिन नहीं बिता है जब एक परंपरा के रूप में इसका निर्वाह किया जाता था। शादी विवाह अवसरों और उत्सवों में इन्हें बुलाकर गीत-संगीत गवाने का रीति-रिवाज था। इसके पीछे भी यही मान्यता होती थी कि ऐसे अवसरों पर ये गीत शुभ होते हैं। अमीर और पूंजीपति वर्ग के उत्सवों को पवित्रता और खुशियों को मानसिक संबल देने वाले गुदना गायक, गोदना गोदने वाली “नट जाति” समाज की आज वर्तमान समय में कोई पूछ नहीं है। अब इन्हें किसी प्रकार के उत्सव में नहीं बुलाया जाता है। “गोदना” कला के साथ भी यही हुआ। (महेंद्र प्रजापति, 2015 अप्रैल 22)। आज समाज के बीच कई प्रकार की बीमारी अपनी पंख पसार चुकी है। तमाम प्रकार की बीमारी दस्तक दे रही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसी जुमला की तरह हो गई है। इसी प्रकार गोदना गोदवाना भी बीमारी से जुड़ चुकी है। “गोदना” गोदवाने को टिटनेस जैसी बीमारी का खौफ दिखाकर इस जमीनी कला को बाजार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जबकि अभी हुये एक शोध में पता चला कि “गोदना” का जुड़ाव एक्स्प्रेसर विधि से भी है। वैश्विक बाजार ने यह भी दुष्प्रचार इतना जोर-सोर से किया कि जिन रंगों का प्रयोग “गोदना” गोदना में किया जा रहा था वह कई तरह के शारीरिक रोगों को जन्म दिया जैसे- चर्म रोग आदि। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के “गोदना” (अंगचित्र) गोदने वाले कलाकार आज भी कलाकारी करते हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं उसके लिए वृक्षों कि छाल और पलाश के फूलों के साथ कुछ उत्कृष्ट फूलों को सुखाकर बाक्रायदा इस रंग को बनाया जाता है।

अंगचित्र “गोदना” गोदने वाली महिला को “बदनन” कहा जाता है। कुछ अनाज के बदले नट जाति की महिलाएं गोदना गोदवाने वाली महिला के शरीर पर गोदना का चिन्ह बना देती है। गोदना गोदने वाली महिला का कहना है कि यह एक विशेष प्रकार के स्याही से गोदे जाते हैं। इस स्याही को बनाने के लिए पहले काले तिलों को अच्छी तरह भुना जाता है और फिर उसे लौंदा बनाकर जलाया जाता है। जलने के उपरांत उससे प्राप्त स्याही जमा कर ली जाती है और इस स्याही से “बदनन” एक विशेष प्रकार की सूरि से

शरीर के अंगों पर मनचाही आकृति, नाम और चिन्ह गोदने का कार्य करती है। अंगचित्र “गोदना” प्रायः माथे (कपाल), हाथ, पीठ, जांघ और छाती आदि पर गुदवाया जाता है। इनके द्वारा बताया जाता है कि गोदना बरसात के महीने में नहीं गुदवाया जाता है, बाकी किसी भी मौसम में गोदना गुदवा सकते हैं। “गोदना” अंगचित्र के प्रमाण की बात किया जाय तो, इसके शुरूआत का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। प्रायः यह माना जाता है कि मानव सभ्यता के आगमन के साथ ही इसका आगाज हुआ है।

अंगचित्र “गोदना” की उत्पत्ति और विकास:

नृतत्वशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने अंकन या गोदना गोदवाने की उत्पत्ति को लेकर कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया हैं परंतु उपयुक्त साक्ष्यों के अभाव में अभी तक इनमें से किसी को भी अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जा सका है। विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार आदिम मानव को “गोदना” गोदना अंकन की कलाकारी अकस्मात् मालूम हुई होगी; यह ऐसे कि आग जलाते समय अधजली लकड़ी से उसकी शरीर की कोई हिस्सा जली होगी या कोई चीज चुभने पर उसने रक्त को रोकने के लिए राख का प्रयोग किया होगा और घाव ठीक होने पर एक बार ‘गुदना’ का चिन्ह बन जाने के उपरांत इसका प्रयोग अलंकरण के लिए होने लगा होगा। कल-कारखानों में दुर्घटनाओं से श्रमिकों के शरीरों पर, उनके न चाहने पर भी ‘गुदने’ का चिन्ह बन जाते होंगे। **एम. न्यूबर्गर** के अनुसार गोदना का प्रारंभ आदिम चिकित्सा पद्धति में खोजा जा सकता है जिसके अंतर्गत जख्मों को भरने के लिए राख, कोयले के चूर्ण तथा रंगों का प्रयोग किया जाता था। कुछ अन्य रोगों में चीरा लगाकर खून निकाला जाता था और विश्वास किया जाता था कि इससे दूर हो जाएगा। चीन में विशेष प्रकार की सुइयों से शरीर के कुछ निश्चित भागों को छेदकर रोगों का उपचार करने की पद्धति वर्तमान में है जिसे एक्ज्यू पंकचरिंग संज्ञा से जाना जाता है। यद्यपि विद्वानों के अनुसार आदिमकालीन मानव ने कपड़ों के अभाव में शरीर को विचित्र आकृतियों में रँगना प्रारम्भ किया और बाद में इसे स्थायी रूप देने के लिए “गोदना” का विकास हुआ। कुछ विद्वान् “गोदना” का संबंध जादू टोने संबंधी अभिचारों से मानते हैं। **हर्बर्ट स्पेंसर** के विचार से “गोदना” प्रथा का आरंभ मृतात्माओं को रक्त चढ़ाने के अभिचार से हुआ। माको या माओरी जाति में फैले आदिम विश्वास के अनुसार उनके पूर्वजों ने युद्ध में पहचान के लिए मुख पर लकड़ी के कोयले को रंग के रूप में इस्तेमाल किया और जखम आदि लगने पर उनके चेहरों के ऊपर ‘गोदने’ के चिन्ह बन गए। बाद में इसने प्रथा का रूप ले लिया और अनेक जातियों या कबीलों में आकृति विशेष के गोदनों को गणचिह्न के रूप में स्वीकार कर लिया गया। किंतु **डब्ल्यू. एलिस** ने वर्षों पालिनेसिया द्वीप समूह में वहां के आदिवासियों के बीच रहकर खोज की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस संबंध में किसी एक लिखित सिद्धांत पर पहुंचना असंभव है। (विकीपीडिया, इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक, 2017)

कुछ जनजातियों का मानना है कि जैसे- बैगा जनजातियों में यह मान्यता प्राप्त है कि एक राजा बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का था। उसे हर रात एक नई-नवेली लड़की की आवश्यकता होती थी। एक बार जिस लड़की का वह उपभोग कर लेता उसके शरीर पर गोदने की सूई से निशान बना देता था। इस जनजाति के लोग अपनी बेटियों को उस दानव के चंगुल से बचाने के लिए लोगों ने अपनी बेटियों व बहुओं के शरीर पर गोदने

गुदवाने शुरू कर दिए। बाद में यह शरीरकला विस्तृत होती चली गई। इन जनजातियों का मानना है कि “गोदना” या यह कह सकते हैं कि आधुनिक समाज का फैशन “टैटू” शरीर नहीं आत्मा का शृंगार है। छत्तीसगढ़ की कुछ जाति एवं जनजातियों का मानना है कि “गोदना” गुदवाए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं सकती। भीलों की मान्यता है कि शरीर को इससे कई बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं गोंड जनजाति की मान्यता है कि इसे कोई चुरा नहीं सकता तथा यह भी मान्यता है कि शारीरिक रूप से कमजोर बालक-बालिकाओं के शरीर पर “गोदना” अंगचित्र गोदने से वे चलने और दौड़ने लगते हैं। गोदना को बैगा आदिवासी समाज सबसे अधिक पसंद करते हैं। इनकी धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता है कि यह स्वर्ग में उनकी पहचान कायम रखता है। संसार में जो गोदना नहीं गुदवाते, उन्हें भगवान के सामने सब्बल से गुदवाना पड़ेगा। हालांकि जिस स्त्री के शरीर पर जितने ज्यादा गोदना होगा, उसे ससुराल में उतना मान-सम्मान प्राप्त होगा। जिसके शरीर पर “गोदना” गोदना चिन्ह नहीं होता, उसका मायका निर्धन माना जाता है। राजस्थान में “गोदना” अंगचित्र का प्रचलन सभी जनजातियों में है, लेकिन ‘नट’, भाट, भील, मारवाड़ बंजारा, रैबारी, बाउरी तथा कालबेलिया आदि में इसका अधिक प्रचलन पायी जाती है।

“गोदना” अंगचित्र हर देश और परंपरा से घुली मिली हुई थी। वर्षों पहले विश्व में इस कला के असली प्रमाण ईसा से 1300 साल पहले मिस्र में, 300 वर्ष ईसा पूर्व साइबेरिया के कब्रिस्तान में मिला था। ऐडमिरैल्टी द्वीप में रहने वालों, फिजी निवासियों, भारत के गोंड और टोडो, ल्यू क्यू द्वीप के बाशिन्दों और अन्य कई जातियों में रंगीन गुदने गुदवाने की प्रथा केवल स्त्रियों तक सीमित थी। मिस्र में नील नदी के समीप बसने वाले लटुका लोग केवल स्त्रियों के शरीरों पर “गोदना” गुदवाते थे। अफ्रीका के अनेक आदिम कबीले क्षतचिन्हों को पसंद करते और मध्य कांगों के बगल शरीर अलंकरण के लिए पूरे शरीर पर “गोदना” चिन्ह बनवाते थे। सलमान द्वीप में लड़कियों का विवाह तब तक नहीं हो पाता, जब तक उनके चेहरों और वक्षस्थलों पर गुदने न गुदवा दिए जाएं। आस्ट्रेलिया के आदिवासियों में विवाह से पहले लड़कियों की पीठ पर गोदना के चिन्हों का होना अनिवार्य है। फारमोसा निवासियों में विवाह से पहले लड़कियों के चेहरों पर गुदने गुदवाए जाते हैं और न्यूगिनी के पाहुन विवाह से पहले लड़कियों के पूरे शरीर पर (मुंह को छोड़कर) गुदने गुदवाते थे। न्यूजीलैंड के माओरिस लोगों और जापानियों ने रंगीन गुदनों का विकास उच्च कलात्मक रूप में किया था। लेकिन आज यह गुदना चिन्ह का कहीं नहीं देखने को मिल रही है। “टैटू” ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। (सुदीप सिन्हा, इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक)।

गोदना गोदवाने से उत्पन्न हुई बीमारियां:

आज तमाम अध्ययन व शोध द्वारा यह पता चल रहा है कि “गोदना” “टैटू” के गोदवाने से कई बीमारियां पनप रही हैं। अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शरीर विज्ञान विभाग द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन से यह पता चला है कि “टैटू” (“गोदना” अंगचित्र का वर्तमान रूप) के कारण त्वचा और हड्डी के कैंसर की संभावना बढ़ती है। इससे कई चर्मरोग पैदा होते हैं। फिलहाल “टैटू” से होने वाले कैंसर पर शोध कार्य जारी है। यूरोपीय आयोग ने बकायदा एक स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर रखी है और कहा है कि यूरोपीय

देशों की सरकारों सुरक्षा के लिए कदम उठाए। दरअसल एक शोध अध्ययन में कहा गया है कि गोदना गोदने के उपयोग में लाए जा रहे रसायनों से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। शोध में कहा गया है कि गोदने में उपयोग में लाए जाने वाले ज्यादातर रसायन औद्योगिक रसायन होते हैं, जिनका उपयोग वाहनों के पेंट या फिर स्याही बनाने में होता है। इन रसायनों का उपयोग शरीर के किसी भी हिस्से में करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।

चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. राघवेंद्र पाण्डेय ने बताया कि “गोदना” गोदवाने से इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि “गोदना” गोदने वाला उपकरण साफ सुथरा हो। सफाई न होने से “गोदना” वाले स्थान पर खुजली होने की संभावना होती है। इनका कहना है कि “गोदना” गोदवाने के बाद टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लेना चाहिए। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर आज गोदना का नाम तक नहीं है। परंपरा का एक कला व महिलाओं का शृंगार माना जाता था वो आज हमारे समाज के बीच नहीं है। नट जाति की महिलाएं “गोदना” कला को भुला दिया। जिसे समाज की महिलाएं मांग नहीं करती जो मिथक था महिलाओं के बीच, कि पति का नाम “गोदना” के माध्यम गोदवाना था। आज वो मिथक टूट चुका है। (दैनिक जागरण, 2011, 30 Dec इंटरनेट के माध्यम से मिली जानकारी)।

निष्कर्ष-

आधुनिकता के आगमन से समाज में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन के साथ-साथ विस्थापन भी हुआ। इस परिवर्तन से समाज के हर जाति, वर्ग में असमानता के जगह समानता स्थापित हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी जाति, वर्ग, में व्यवसाय पनपने के बजाय समाप्त हो गया है जिससे उनकी जीवनयापन दूभर हो चुका है। जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान मशीनी युग में नए शहरी युवा- युवतियों में, “गोदना” गोदवाने का जबर्दस्त क्रेज चढ़ा है। आधुनिक यंत्रों द्वारा “टैटू” जैसा विकल्प पूंजीपति वर्ग ने पैदा कर लिया है। शहरी युवा ऊंची कीमत दर देकर “टैटू” गुदवा रहा है। परंतु नट जाति के किस काम के। नट जाति आधुनिक यंत्रों से कोसों दूर है। यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मशीन इनके हाथ आई नहीं बल्कि गोदना गोदने वाली पारंपरिक कला इनकी रोजगार ही लुप्त हो गई। इनकी महिलाओं के सामने रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। भीख मांगने पर विवस हो चुकी है। भीख मांगना भी आज के दौर में एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है इस व्यवसायिकरण के वजह से भीख मिलना भी संभव नहीं है इनके लिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- कुमारी, पुष्पा. (सं.) (2016). *धुमंतू तथा कठपुतली रंगमंच*. दिल्ली: मित्तल एंड संस.
- कुमारी, पुष्पा. (सं.) (2016). *धुमंतू तथा कठपुतली रंगमंच*. हुकुमचंद शंकर जाधव. दिल्ली: मित्तल एंड संस.पाठक,
- गौतम, सुरेश. (2010). *भारतीय लोक*. साहित्य कोश. (खंड- 6). दिल्ली.
- दर्श्या, पीयूष. (2002). *लोक*. उदयपुर, राजस्थान: प्रकाशक भारतीय लोक कला मण्डल.
- पथिक, कृष्णकुमार. भट्ट. (सं.) (2016). *धुमंतू जातियों का सामाजिक सौंदर्यशास्त्र*. दिल्ली: मित्तल एंड संस.
- पाटिल, कल्पना. (सं.) (2016). *करनट समाज के दुःख दर्द की 'कथा-कब तक पुकार'*. दिल्ली: मित्तल एंड संस.
- विनय. कुमार. (सं.) (2016). *धुमंतू जातियों का लोकसाहित्य और लोक जीवन*. दिल्ली: मित्तल एंड संस.
- शर्मा, शीला. (सं.) (2016). *धुमंतू जातियों की लोकसंस्कृति के आयाम*. दिल्ली: मित्तल एंड संस.
- सिन्हा, क्रांति. कुमार. (सं.) (2016). *धुमंतू जातियों की समस्याएं और उनका समाधान*. दिल्ली: मित्तल एंड संस.
- सिन्हा, छाया. (2013). *नट जाति और उसकी बोली*. दरभंगा: श्लोक प्रकाशन बिहार.
- हुकुमचंद शंकर जाधव. (2016). *धुमंतू-लोकजीवन की संस्कृति के विविध आयाम*. दिल्ली: मित्तल एंड संस.
- http://web.archive.org/web/20110708053651/monikapratyiksha.blogspot.com/2010/06/blog-post_02.html Retrieve date. 14.07.2017.
- <http://www.jagran.com/uttar-pradesh/balia-8701420.html#sthash.UL5i4CDC.dpuf>
- <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%BE> retrieve date. 14.07.2017.

विज्ञापन की भाषा और अनुवाद

विशेष कुमार श्रीवास्तव¹ एवं स्वर्णलता सिन्हा²

जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार के सैकड़ों माध्यमों में आज जनसंचार के कई तरीके मौजूद हैं। जनसंचार के विज्ञापनों में शब्द और दृश्य दोनों महत्वपूर्ण होते हैं अतः इनमें भाषा का सर्वाधिक कारगर और रचनात्मक उपयोग किया जाता है। ये विज्ञापन गरीबों या अभावग्रस्त लोगों के लिए नहीं होते। कुछेक चेरिटेबल संस्थान, साक्षरता-मिशन आदि जैसे विज्ञापनों को छोड़कर शेष सभी विज्ञापनों का लक्ष्य संपन्न वर्ग होता है। इस वर्ग में वस्तुओं पर पैसा खर्च कर सकने की सामर्थ्य से संपन्न मध्य या उच्च वर्ग के उपभोक्ता होते हैं। अतः विज्ञापन किसी समाज की वास्तविक स्थिति का प्रतिबिंब नहीं होते। हालाँकि उनमें किसी भी वर्ग यहाँ तक कि निम्न वर्ग की भी भाषिक अभिव्यक्तियों, शब्दों, दृश्यों आदि का प्रयोग हो सकता है। विज्ञापन का संदर्भ व्यावसायिक है, किंतु इसका माध्यम जनसंचार है क्योंकि वाणिज्यिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों के संवर्धन के लिए विज्ञापन जनमत तैयार करता है। इसलिए आज के प्रचार माध्यम की भाँति यह भी एक सशक्त माध्यम है, जो व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी निरंतर उत्पादन संबंधी माँग-वृद्धि और नए उत्पादों की जानकारी उपभोक्ता तक पहुँचाने तथा विक्रय में वृद्धि करने का काम करता है।

विज्ञापन का अर्थ:

विज्ञापन शब्द का निर्माण दो शब्दों के योग से बना है- वि+ज्ञापन। 'वि' से तात्पर्य है विशेष और 'ज्ञापन' से तात्पर्य है- ज्ञात करना। अर्थात् किसी किसी विशेष उत्पादक की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, वस्तु के विषय बारे में सूचना देना। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के विशेष के रूप से जानकारी प्रस्तुत करना, उसके बारे में ज्ञान बढ़ाना और उस वस्तु की ओर ध्यान आकृष्ट करना। विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के 'एड्वर्ट' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'टु-टर्न टु' यानि किसी ओर मुड़ना अर्थात् किसी वस्तु की ओर आकर्षित होना या करना। भारतीय चिंतन में 'विज्ञापन' या 'एडवर्टाइजिंग' का सीधा-सा अर्थ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने से लिया जा सकता है। अतः विज्ञापन आज प्रचार-प्रसार का माध्यम है तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी उत्पाद की माँग वृद्धि और नवीन उत्पादन के विषय में उपभोक्ता की अभिरुचि जगाने, विक्रय वृद्धि और किसी ब्रांड विशेष के प्रचार में विज्ञापन का विशेष महत्व है।

¹शोधार्थी, अनुवाद प्रौद्योगिकी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, ईमेल- visheshjnu89@gmail.com

²शोधार्थी, भाषा प्रौद्योगिकी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, ईमेल- poonam31071987@gmail.com

विज्ञापन प्रसार का साधन है, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय का विकास होता है। विक्रय व्यवस्था में विज्ञापन वस्तु के बारे में परिचय कराने, उसकी विशेषताएँ तथा लाभ बताने का कार्य संपादित कर ग्राहकों को आकर्षित करता है। उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाना तथा कंपनी के नाम को जनता के मन मस्तिष्क में बैठने का कार्य विज्ञापन द्वारा ही किया जाता है। विज्ञापन और इसकी भाषा के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं-

1. उत्पादन और सेवाओं की सूचना देना।
2. रुचि उत्पन्न एवं प्रभावित करना।
3. ध्यानाकर्षित करना।
4. विश्वसनीयता बनाने का प्रयास करना।
5. स्मृति बढ़ाना एवं प्रभावित करना।
6. क्रय इच्छा उत्पन्न करना।-
7. छवि निर्माण करना।-
8. सरकारी व अव्यवसायिक संस्थाओं के विज्ञापन के संदर्भ में सामाजिक चेतना जागृत करना।
9. विक्रय वृद्धि करना।
10. फुटकर व्यापार बढ़ाना।

विज्ञापन की भाषा:

किसी भी अभिव्यक्ति का प्रमुख एवं सशक्त माध्यम भाषा ही होती है। इसलिए विज्ञापन का निर्माण करते समय इसकी भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विज्ञापन बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए होते हैं, जिसमें शिक्षित-अशिक्षित, साक्षर-निरक्षर सभी प्रकार के लोग होते हैं। विज्ञापन की भाषा सबकी समझ में आने वाली सरल-सुबोध, स्पष्ट तथा आम बोलचाल की भाषा हुआ करती है। एक दुसरे से अधिक प्रभावशाली बनने की होड़ में विज्ञापन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का रोचक, सक्षम तथा बेधड़क प्रयोग करते हैं। इस सिलसिले में उन्हें विज्ञापित वस्तुओं के विषय में अधिक से अधिक सूचनाएँ देनी पड़ती हैं तथा भाषा के द्वारा लक्ष्य श्रोता या पाठक या दर्शकों को सम्मोहित करना पड़ता है। इसके लिए इसमें सबसे पहले दृश्यमित्रों को तैयार करके उनके अनुसार शब्दों में किसी फिल्म के पटकथा-लेखन की तरह लिखा जाता है। इसलिए बहुत ही सरल, संक्षिप्त एवं प्रभावशाली शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। बार-बार दोहराएँ जाने के कारण इनकी भाषा और वाक्य आसानी से याद हो जाते हैं। शब्दों के उच्चारण में उतार-चढ़ाव के द्वारा नाटकीयता पैदा हो जाती है। उसमें सक्रिय बिंबात्मक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो दृश्य को पूर्ण बनाते हैं। इसलिए इनकी भाषा बोलचाल की होते हुए भी सांकेतिकता से संपन्न होती है। इन विज्ञापनों में प्रायः संवाद भी होते हैं जिनमें अभिनेयता का तत्व भी होता है। इसके साथ ही साथ विज्ञापन में सामान्यतः ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को आसानी से समझ में आ जाए। विज्ञापन की भाषा को आकर्षक होना चाहिए ताकि वह दर्शकों या श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर सके। इसके लिए लच्छेदार भाषा व मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भाषा के साथ-साथ संगीत व लय का

प्रयोग भाषा को और अधिक आकर्षक और ग्राहम करने योग्य बना देता है। विज्ञापन के वाक्यांश को छोटे एवं सरल होने के साथ-साथ श्रोता को लंबे समय तक याद रहने वाले होते हैं।

दूरदर्शन के विज्ञापनों में उपभोक्तापरक वस्तुओं के व्यावसायिक विज्ञापन सबसे अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारिक विज्ञापन भी होते हैं। इनमें दृश्यचित्रों को तैयार करके उनके अनुसार शब्दों में किसी फिल्म के पट-कथा लेखन की तरह लिखा जाता है। अतः अत्यंत साक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। बार-बार दोहराए जाने के कारण इनकी भाषा और वाक्य आसानी से याद हो जाते हैं। शब्दों के उच्चारण में उतार-चढ़ाव के द्वारा नाटकीय पैदा की जाती है। उसमें सक्रिय बिंबात्मक शब्द प्रयुक्त होते हैं जो दृश्य को पूर्ण बनाते हैं। इसलिए इनकी भाषा बोलचाल की होते हुए भी सांकेतिकता से संपन्न होती है। इसलिए इन विज्ञापनों में प्रायः संवाद भी होते हैं जिनमें अभिनेयता का तत्व होता है।

रेडियों के विज्ञापनों में दूरदर्शन के समान ही भाषा एवं ध्वनि या आवाज का प्रभाव अधिक होता है। रेडियों के विज्ञापनों की भाषा में दूरदर्शन के विज्ञापनों की भाषा के सामान ही विशेषताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें नाटकीयता का महत्व अधिक होता है। इनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के संदर्भ में अपनी बात नाट्य शैली में कहते हैं, इससे भाषा में रोचकता, विश्वनीयता और सहजता आती है। साथ ही वस्तु के वर्णन के लिए गीत या तुकबंदी का सहारा लिया जाता है। संगीत के साथ आए शब्द हास्य-व्यंग्य आदि भी रोचक होते हैं। सहज शब्दों और संगीत के संयोजन से विज्ञापन विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

मुद्रण माध्यमों के विज्ञापनों में अंतरंग, औपचारिक तथा वार्ता शैली का प्रयोग किया जाता है जबकि इलेक्ट्रानिक माध्यमों में औपचारिक भाषा-शैली का प्रयोग करना बढ़िया होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विज्ञापनों की भाषा उपदेशात्मक प्रकार की होती है। विज्ञापनों की भाषा का उद्देश्य पाठक, दर्शक या श्रोता को आकर्षित कर उसे विज्ञापित वस्तु को खरीदने या उसका उपयोग करने के ईए प्रेरित करना होता है।

अतः विज्ञापन की भाषा सबकी समझ में आने वाली सरल-सुबोध, स्पष्ट तथा आम बोलचाल की भाषा हुआ करती है। एक दूसरे से अधिक प्रभावकारी बनने की होड़ में विज्ञापन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का रोचक, सक्षम तथा बेधड़क प्रयोग करते हैं। इस सिलसिले में उन्हें विज्ञापित वस्तुओं के विषय में अधिक से अधिक सूचनाएँ देनी पड़ती हैं तथा भाषा के द्वारा लक्ष्य श्रोता या पाठक वर्ग को सम्मोहित करना पड़ता है। विभिन्न संचार माध्यमों में भाषा के प्रयोग भी भिन्नता के साथ उपस्थित होते हैं, जैसे- अखबार, रेडियों और टेलीविजन में एक ही भाषा के तीन भिन्न-भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। वाक्य-विन्यास, शब्दोच्चारण आदि की भंगिमाएँ इनमें अलग-अलग मिलती है।

एक प्रभावी विज्ञापन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए-

1. **आकर्षक** -एक विज्ञापन को इतना आकर्षक होना चाहिए कि श्रोता या दर्शक का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इसके लिए विज्ञापन में चटख रंगों, मनोहारी चित्रों, दृश्यों एवं आकर्षक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
2. **सरल** -विज्ञापन का दूसरा गुण उसकी सरलता होती है। इसके लिए सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि विज्ञापन संदेश आसानी से समझा जा सके और लंबे समय तक याद रहे। कभीकभी श्रोताओं एवं - पाठकों के ध्यानाकर्षण के लिए, रहस्यमयी भाषा का प्रयोग भी होता है। विज्ञापन सभी वर्गों के लिए सुबोध एवं सरल होना चाहिए।
3. **प्रेरक** -प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि विज्ञापन की भाषा में पर्याप्त मात्र में प्रेरक तत्व हों। इसके लिए लक्षित उपभोक्ता के मनोविज्ञान को ध्यान में विज्ञापन का निर्माण किया जाता है।
4. **वांछनीयता** -विज्ञापन को बारही प्रस्तुत किया जाता स्मृति को प्रभावित करने वाली भाषा शैली में -बार- है।
5. **विशिष्टता** -विज्ञापन में वस्तु या सेवा की मुख्य विशेषता पर बल दिया जाना चाहिए।
6. **विश्वसनीयता** -विज्ञापन में जो कुछ भी संप्रेषित होना होता है, उस समय उसकी विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर संप्रेषित करना चाहिए, जैसे -‘अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया’ में भारतीयता की एक छवि उभरकर सामने आती है जो दर्शकों की रुचि को प्रभावित करती है और साथ ही साथ उनकी क्रय इच्छा को भी जागृत करती है।

इन गुणों के अलावा विज्ञापन लेखन में निम्नलिखित अंग होते हैं-

1. **शीर्षक** -विज्ञापन में श्रोता या दर्शक को सबसे प्रभावित व आकर्षित करने वाला कारक उसका शीर्षक होता है। शीर्षक में संपूर्ण विज्ञापनसंदेश का सारांश होता है अतः शीर्षक को संक्षिप्त-, संगत और रुचिकर होना चाहिए।
2. **उपशीर्षक** -शीर्षक की सहायता करने के लिए कभीकभी शीर्षक में कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं-, जिनका उत्तर उपशीर्षक में देने का प्रयत्न किया जाता है।
3. **विषय वस्तु** -(बॉडी कॉपी)विज्ञापन या शीर्षक के भाव के अनुसार विषया वस्तु की शैली निर्धारित की जाती है तथा इसे रोचक व सरल शब्दों में कहा जाता है जिससे श्रोता अंत तक इसे देखने के लिए प्रेरित हो सके। विज्ञापन के इस अंश में विज्ञापित उत्पाद के विषय में अधिक सूचना देना तथा उसके उपयोग के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना होता है।
4. **चित्र** -विज्ञापन में श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आलेख में रुचि जगाने के लिए तथा उसकी स्मृति को प्रभावित करने के लिए विज्ञापन में चित्रों का प्रयोग किया जाता है।
5. **रंग** -रंग सामान्यतः ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक रूप में भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तथा उसके अवचेतन मन को जागृत करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए विज्ञापन में रंगों का काफी सोचसमझकर - के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रयोग किया जाना चाहिए। रंगों का चयन लक्षित उपभोक्ता, जैसे -

बच्चों को गहरे और चमकीले रंग पसंद आते हैं तथा प्रौढ़ वर्ग का हल्के रंगों के प्रति आकर्षण रहता है, जो की समयसमय पर परिवर्तन भी- होता रहता है।

6. **व्यावसायिक चिह्न** -विज्ञापन के व्यावसायिक नाम, चिह्न, मोनोग्राम तथा अक्षर लिपि का भी प्रयोग विज्ञापन में अवश्य करना चाहिए क्योंकि उस नाम, छाप, चिह्न या लिपि विशेष से उपभोक्ता परिचित होता है। और बाजार में उसे देखकर ही उसको खरीदता है।
7. **नारा -(स्लोगन)** विज्ञापन बनाने में जीतना शीर्षक या व्यावसाय चिह्न का महत्व होता है उतना ही उसमें 'नारे या स्लोगन का भी होता है। नारा वास्तव में विज्ञापन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है की नारा अपने रूप में बोधगम्य हो तथा उपभोक्ता वर्ग में उत्सुकता और सुरुचि उत्पन्न कर सके।
8. **विन्यासकला** -विज्ञापन के चित्रा, रंग, शीर्षक, व्यावसायिक चिह्न आदि का संतुलन ढंग से नियोजन कलात्मक प्रस्तुति के रूप में होता है। विज्ञापन के विन्यास में शाब्दिक प्रयोग कम और वाक्य छोटा होना चाहिए। विज्ञापन के विन्यास में उत्पादन के प्रति संदेश अथवा नारा विशेष रूप में उभरना चाहिए। इसके अलावा इन विज्ञापनों में अँग्रेजी के आगत शब्दों का काफी प्रयोग होता है, जैसे- हैंडसेट के वैलिडिटी, मुफ्त प्रीपेड कनेक्शन, मुफ्त टाकटाइम आदि।

इसी प्रकार बेहतरीन, उम्दा, किस्त, अदायगी, माइका आदि अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग खूब चलता है।

श्रव्यता और सुपाठ्यता का गुण विज्ञापन की भाषा की प्रमुख अनिवार्यता है। इसलिए सहजता और सुबोधता के साथ-साथ भाषा में नवीनता व चित्रात्मकता लाने के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग इन विज्ञापनों में अक्सर मिलता है, जैसे- कुरमुरा, जगमग, चकमक आदि।

विज्ञापनों की हिंदी में विशिष्ट प्रकार के निर्मित शब्दों की प्रवृत्ति भी काफी मिलती है, जैसे- नक्काल (नक्कालों से सावधान), चमकार (सफेदी की चमकार)।

व्यावसायिक विज्ञापनों की हिंदी में प्रायः आज्ञार्थक वृत्ति के प्रयोग या वाक्य देखने को मिलते हैं, जैसे-

- आज ही खरीदें।
- माँगकर नहीं, अपना खरीदकर पढ़िए।
विज्ञापनों की हिंदी में निश्चयार्थक वाक्यों द्वारा गारंटी या पाठक को आश्वस्त करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक मिलती है, जैसे -
- सेहत में हिट, स्वाद में फिट।
इसके आलावा विज्ञापनों में क्रियाविहीन वाक्यों का अपना महत्व होता है जिन्हें अल्प वाक्य कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर विज्ञापनों में शीर्ष पंक्तियों में किया जाता है। इसमें शीर्ष पंक्तियाँ विज्ञापन का मूल आकर्षण केंद्र होती है। इनके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे -
- वस्तु की गुणवत्ता को बतलाने वाले तकलीफ से आराम। -
- प्रश्नवाचक क्या आपके कपड़ों में है उजाला सफेदी। -

➤ सुझावात्मक जब चाहें नया -दमकता चेहरा पाएँ।

विज्ञापन और अनुवाद:

सामान्यतः अनुवाद से तात्पर्य एक भाषाई संरचना के प्रतिकों के द्वारा संप्रेष्य अर्थ को दूसरी भाषा की संरचना के प्रतीकों में परिवर्तित करना होता है। विज्ञापनों के अनुवाद में वस्तु के प्रकृति के अनुरूप शब्द चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे महिलाओं के लिए उत्पादित सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापनों में मनमोहक, आकर्षक, सुहाना, लुभावना, सुखद, खुशनुमा आदि जैसे विशेषण माटी मात्र में देखने को मिलते हैं। अनुवाद की दृष्टि से यहाँ दो बातें देखनी होंगी। एक तो वस्तु के साथ इन शब्दों की संबद्धता को निर्धारित करना, और दूसरी अंग्रेजी में इनके लिए प्रचलित एक शब्द के लिए स्रोत भाषा के शैलीय विकल्पों की पड़ताल करना, और उनमें से वस्तु और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सबसे सटीक विकल्प को चुनना। अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद के संदर्भ में यह स्थिति भिन्न-भिन्न वस्तुओं के विज्ञापन में देखी जा सकती है, जैसे- जूतों, कपड़ों आदि के टिकाऊ (ड्यूरेबल), शिशु आहार और स्वास्थ्यवर्धक चीजों के लिए संतुलित (बैलेंस्ड), शीतलपेय, कूलर आदि के लिए शीतल (कूल) आदि। यहाँ अनुवादक के समक्ष दो तरह की प्रक्रियाएँ अपनाने का साकेत है। एक तो वह हिंदी के शैलीय भेदों का विस्तृत भाषाई कोश अपनाने ताकि वह हिंदी की बोलियों, उर्दू, संस्कृत के सही शब्द अनूदित पाठ में ला सके और दूसरे यह कि इन शब्दों के माध्यम से वह शैलीय भेदों का एक वर्गीकृत ढाँचा अपने अनुवादकार्य के लिए सुरक्षित कर सके। हिंदी में ही नया-नवीन-अनुपम, जायकेदार-मजेदार-करारा-स्वादिविष्ट, कोमल-चिकनी-मुलायम इत्यादि जैसे शैलीय भेद देखे जा सकते हैं। शैली का यह प्रयोग विज्ञापन की भाषा का आधार है। यदि अनुवादक को इसकी जानकारी न हो तो अनुवाद करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। और अगर इन सटीक शब्दों के अतिरिक्त समतुल्य शब्दों का चयन करेगा तो वह अनुवाद अर्थ की दृष्टिकोण के आधार पर अस्वीकार्य होगा।

विज्ञापनों के अनुवाद में कोडमिश्रण की प्रक्रिया आधुनिक युग में ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे-

- अब घर ले आइए वही कड़क तसल्लीदायक स्वाद। ब्रुकबांड) रेड लेवल चाय।
- ज्यादा और ज्यादा खूबसूरत बाल। (नया सनसिल्क शैंपू)
- बॉटल में छुपा है बच्चे(रिमूवर एनफ्रेंच हेयर) सी कोमल त्वचा का राजा।-

इसलिए लक्ष्यभाषा में अनुवादक को कोडमिश्रण की इस प्रक्रिया को गहराई की साथ समझना होगा। इसी स्तर पर मुहावरेदार भाषाप्रयोग की दक्षता भी उससे अपेक्षित है। यदि ऐसा नहीं होगा तो एक शैली से बंधा हुआ अनुवाद विज्ञापन को नीरस और रूढ़ शैली से युक्त बना देगा। विज्ञापनों के साथ पठनीयता या श्रव्यता की आदर्श स्थिति जुड़ी होती है। साथ ही विज्ञापन उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने का भी काम करते हैं। लोगों को विज्ञापन याद रहें, यह भी महत्वपूर्ण होता है और यह भी कि विज्ञापन उत्पादित वस्तु की बिक्री बढ़ाने में मदद करे। ये सभी लक्ष्य विज्ञापन की शशक्त अभिव्यक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष:

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की शब्दावली समय के सहज प्रवाह में अपना कलेवर सदैव एनआईटी नवीन रखती आई है जिससे संचार माध्यमों की क्रांति में अपना अस्तित्व भी जीवित रख पाई है। जनसंचार माध्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण एवं सशक्तपूर्ण क्षेत्र के रूप में है। इसके अंतर्गत वाचिक रूप जीतना महत्वपूर्ण है उसी प्रकार लिखित क्षेत्र के रूप भी महत्वपूर्ण है। विज्ञापन सरल एवं प्रत्येक वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर निर्माण करना चाहिए जिससे उपभोक्ता को वस्तु की विक्री हेतु प्रेरित हो सके। विज्ञापन के क्षेत्र में समस्या उस समय देखने को मिलती है, जब एक भाषा से दूसरे भाषा के क्षेत्र में अनुवाद किया जा। क्योंकि विज्ञापन में विज्ञापन में सटीक शब्दावली के अलावा रंग, दृश्य, संकेत इत्यादि के बारे में अनुवाद को जानकारी होना चाहिए। भले ही वर्तमान समय में हिंदी अपने संस्कृतनिष्ठ, क्लिष्ट, स्वरूप से सर्वग्राह्य नहीं हो पाई है, परंतु अपने लचीले स्वरूप के कारण 'हिंग्लिश' के माध्यम से विश्व परिदृश्य पर सर्वग्राह्य होती जा रही है, जैसे- आइडिया के विज्ञापन में क्रियारूप पर हिंग्लिश का प्रभाव दिखाई पड़ता है- आइडिया लगवाईंग, कहीं भी नेटवर्क पाइंग। जिसमें हिंदी क्रिया रूप 'लगवाना' में अंग्रेजी के प्रत्यय 'ing' और हिंदी के 'पाना' में 'ing' प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार कोड मिश्रण का संबंध वाक्य स्तर के अलावा शब्द स्तर पर भी होने लगा है, जो हिंदी भाषा चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ-सूची:

- कुमार, सुरेश) .1996). *अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा*. नई दिल्लीवाणी प्रकाशन .:
- गोस्वामी, कृष्ण. कुमार) .2012). *अनुवाद विज्ञान की भूमिका*. नई दिल्लीराजकमल प्रकाशन .:
- गोस्वामी, कृष्ण. कुमार) .2009). *भाषा के विविध रूप और अनुवाद*. नई दिल्लीवाणी प्रकाशन .:
- नौटियाल, जयन्ती. प्रसाद) .2006). *अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार*. नई दिल्लीराधा कृष्ण : प्रकाशन.
- रस्तोगी, कविता) .2012). *समसामयिक अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान*अविराम प :दिल्ली .्रकाशन.
- शर्मा, राजमणि) .2004). *अनुवाद विज्ञान:पंचकुला* . हरियाणा साहित्य अकादमी.
- सिंह, दिलीप., और शर्मा, ऋषभदेव) .2001). *अनुवाद नई पीठिका, नए संदर्भ*. चेन्नैउच्च शिक्षा : और शोध संस्थान दक्षिण भारत प्रचार सभा.
- नगेंद्र) .(सं)1993). *अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और व्यवहार*. दिल्लीहिंदी माध्यम कार्यान्वय : निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय.

कुबेरनाथ राय के निबन्धों में गाँधीवादी चिन्तन

डॉ. अजय कुमार राय¹

निबन्धकार कुबेरनाथ राय ने गांधी चिन्तन पर अपना विचार उस समय प्रस्तुत किया है, जब विश्व में ज्ञान-विस्फोट का युग चल रहा है। रूस के विघटित होने से शीत युद्ध तो समाप्त हो गया था, पर अमेरिका की बेवजह दखलन्दाजी से वह फिर सुगबुगाने लगा है। अहिंसा को ताक पर रखकर हिंसक शक्तियाँ अपना आल-बाल फैला रही हैं। आतंकवाद विश्व के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया है। कोई भी राष्ट्र आज सुरक्षित नहीं रह गया है। संहार के नए अस्त्र बन रहे हैं और वैज्ञानिक आकाश और पाताल के रहस्य को थहा लेने के लिए उद्यत हैं। वैश्वीकरण का बोलबाला है और दुनियाँ की हर वस्तु बिकाऊ बन गई है। आज का व्यक्ति तरह-तरह की मानसिक उत्तेजनाओं में जी रहा है और शरीर और मन से अस्वस्थ होकर अशान्ति का गरल पी रहा है। आज की दुनियाँ में दिल और दिमाग से संयत इन्सान तो देखने को नहीं मिलता है। सब कुछ, जिस पर जीवन का उत्तरदायित्व था बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है। पुराना बुरी तरह टूटकर बिखर रहा है, पर उसका स्थान लेने वाला नया आदर्श सामने नहीं आ रहा है। इससे एक भयावह शून्यता उत्पन्न हो गई है और वह व्यक्ति को किंकर्तव्य-विमूढ़ बना रही है। राय साहब सचेतन, आस्थावान बौद्धिक विचारक थे। इन स्थितियों से वे पूरी तरह मर्माहत थे। उन्होंने इसे व्यक्त करते हुए कहा था, “आज हम कुछ-हताश-हताश जैसे हैं, गोया हम एक हारी हुई सेना हों, राज-शक्ति दिन पर दिन भ्रष्ट होती जा रही है। जिसे हम लोकशक्ति समझकर स्वागत करते हैं वह दो दिन बाद व्यक्तिगत या जातिगत दलबन्दी का रूप ले लेती है। तटस्थ व्यक्तियों की बातों से भी निराशा झलकती है।” फिराक गोरखपुरी ने मरने के छः मास पूर्व एक साक्षात्कार में कहा था, “अगले पचास वर्षों में हिन्दुस्तान दुनियाँ को कुछ भी नहीं दे पाएगा। वह किसी तरह से पेट पालता हुआ बचा रहेगा।” इसी बात को जरा बुद्धिजीवी भाषा में अज्ञेय ने भी कहा है, “सबसे बड़ा दुःख यह है कि हमारे पास कोई नियति-बोध, सेन्स ऑव डेस्टिनी नहीं है। यानी ‘हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी’ की चिन्ता अब नहीं सताती। हमारे भीतर एक वर्ग पैदा हो गया है, जो यह सोचता है कि नियति-बोध, जीवन-दृष्टि, आदि फालतू बातें हैं, इन सब मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं, इन सब बातों के बिना भी उन्नति की जा सकती है, और उन्नति का अर्थ होता है येनकेन प्रकारेण संचया दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो एक विशेष जीवन-दृष्टि और एक भंगिमा की बातें तो दिनरात करता है, किन्तु जीवन-दृष्टि उसके लिए श्रद्धा और विश्वास का विषय नहीं, कुर्सी की लड़ाई का एक पैतरा मात्र है। वस्तुतः राजनीतिक अवसरवादिता की ऐसी भंगिमाओं द्वारा न तो जीवन-दृष्टि की रचना हो सकती है और न समूह मन में कोई नियति-बोध जगाया जा सकता है।” जिस जाति के समझदार लोगों का इतिहास-बोध प्रखर नहीं होता, जिसे अपने गतिशील सांस्कृतिक दाय का बोध नहीं होता वह अंधश्रद्धा और परंपरा से ग्रस्त होकर जल्दी ही अवनति के गर्त में समा जाती है। भारतीय संस्कृति के दाय को विकृत करने का प्रयास शताब्दियों से चल रहा था, लेकिन लोग परायों से लड़कर अपनी अस्मिता को बचाने में सफल रहे। आजकी लड़ाई भिन्न है। अपने ही अन्दर के

¹ प्रवक्ता, सर्वोदय पी.जी. कालेज, कौड़िग्राम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.

जयचन्दों ने स्वार्थ का ऐसा वितण्डावाद खड़ा कर दिया है कि उससे लड़पाना मुश्किल हो रहा है। गांधी जी ने आजादी के समय ही कहा था कि देश को अभी असली आजादी नहीं मिली है। वह तो तब मिलेगी, जब कांग्रेस के लोग जनता के बीच जायेंगे और उसे अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागृत बनायेंगे। शासन के मोह में यह कार्य न हो सका। उसका दुष्परिणाम देश भुगत रहा है।

आज प्रायः सभी लोग एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि देश की प्रमुख समस्या है चरित्र का संकट। चरित्र में ही शील, मनुष्यत्व और शिवत्व समाहित है। लेखक ने इस सन्दर्भ में महामहिम पोप पायस को उद्धृत किया है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, “विश्व की यंत्रणा का कारण बुराई उतना नहीं है जितना कि अच्छाई का अक्षम और अपर्याप्त हो जाना है।” गांधी जी के जीवन-दर्शन का सार भी इन्हीं शब्दों में निहित है। दक्षिणी अफ्रीका के अपने प्रवास-काल में ही उन्होंने समझ लिया था कि अगर सम्पूर्ण मनुष्यता को भावी नरक से बचाना है तो हमें उसमें निहित अच्छाई को ऊपर ले आना और जनता को उसकी शक्ति का बोध कराना पड़ेगा। उनका इतिहास-बोध बड़ा प्रखर था। उन्होंने देखा कि जीवन में जड़ता और चेतनता का संघर्ष सदैव रहा है और रहेगा। पहले लोगों ने सदुद्देश्य के प्रति अपने समर्पण से समाज को उसके दुष्प्रभाव से बचाया है। उन्होंने भी वही आदर्श स्वीकार किया। राय साहब ने बताया है, “समस्त गांधी चिन्तन सत्य, अहिंसा-अपरिग्रह पर आधारित है। सत्य इसका प्रमुख प्रमूल्य है, अहिंसा इसकी पद्धति या दृष्टिकोण है और अपरिग्रह इसकी मानव-प्रकृति या स्वभाव है।” उन्होंने इसी त्रिक को आधार बनाकर जीवन के साथ प्रयोग किया और अनासक्त कर्म योग को अपनाकर निरन्तर शुभ-कर्म के संपादन में लगे रहे। उन्होंने अहिंसा को जीवन-धर्म मानकर सत्य के साथ प्रयोग किया। इसी प्रयोग से उन्हें अपरिग्रह का मर्म समझ में आया। उनकी ‘स्व’ की भावना समाप्त हुई और उन्हें मनुष्य का महत्व समझ में आया। इसी बोध से उनकी लोकहितकारी-चिन्तन-सरणि का निर्माण हुआ। राय साहब ने इसकी विशेषता बताते हुए लिखा है, “गांधी-चिन्तन न तो वामपंथा है और न दक्षिणपंथा। वह न तो निषेधवादी वैराग्य है और न प्रगतिशील भोगासक्ति। वह वाम और दक्षिण को अतिक्रान्त करते हुए उत्तरपंथा है और वाम के भी अनेक अर्थों में एक अर्थ उत्तर भी है। उत्तर के माने होते हैं दक्षिण के प्रतिकूल। साथ ही उत्तर का माने होता है उर्ध्व। उत्तर माने होता है समाधान। उत्तर माने होता है भविष्य भी। उत्तर के सारे अर्थों को गांधी-चिन्तन बीज-रूप में समेटे हुए हैं।” गांधीजी के इस चिन्तन से दो बातें उभड़कर सामने आईं। वे समाज में व्याप्त विषमता, प्रभुत्व की भावना, शोषण की प्रवृत्ति से भली-भाँति परिचित थे। उन्होंने उसे लेकर हाथ-तौबा नहीं मचाया। उन्होंने युगद्रष्टा की तरह उनके समाधान का मार्ग सुझाया। वे सही माने में मानवतावादी थे। मनुष्य की अन्तर्निहित शक्ति पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। वे मनुष्य के हृदय-परिवर्तन में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने अन्तर्मथन से पहला प्रयास यह किया कि किस तरह मनुष्य को यह बोध कराया जाय कि उसमें सर्वहित की कामना भी निहित है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वह अपने को ठीक ढंग से पहचाने और अपनी लोकहितकारी शक्तियों को जागृत करे। वे यह भली भाँति जानते थे कि केवल उनकी पहचान ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है उन्हें शिवत्व की रक्षा के लिए क्रियाशील बनाने की। अतः हर वर्ग के लोगों को उन्होंने उसे सक्रिय बनाने की विधि से भी अवगत कराया। उनका प्रमुख लक्ष्य था कुछ त्यागी और तपस्वी लोगों को उद्बुद्ध करके इस कार्य की ओर उन्मुख करना। अपने

रहते उन्होंने बहुतों के हृदय को परिवर्तित करके लोक-हित की ओर उन्मुख किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लंगोटी और बिहटी पहने हाथ में बाँस का एक डण्डा लिए उस पुरुषोत्तम के आह्वान पर लोग किस तरह अपना सब कुछ दाव पर लगा देने के लिए तत्पर हो जाते थे। किस तरह उस की आवाज़ पर अंग्रेजी शासन की चूल हिलने लगती थी और वह उनके समक्ष नत-मस्तक हो जाता था। गांधी कोरे सिद्धान्तवादी नहीं थे, वे तो सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत करने वाले मसीहा थे। उनको जनशक्ति ही नहीं, लोकशक्ति की भी परख थी। राय साहब ने इन दोनों में थोड़ा अन्तर किया है। वे जन को 'मास' और लोक को 'पीपुल' का समानार्थी मानते हैं। उनका कहना है, "लोकशक्ति का एक व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व वाला सदैव हृदय या अन्तःकरण वाला होता है। जन के पास अन्तःकरण या हृदय नहीं होता, उसके पास सहज पाशविक शक्तियाँ, जैसे क्षुधा, तृषा, काम, क्रोध होते हैं।" यह बात लेखक की अपनी है, हमारी तो धारणा है कि गांधी जी ने जनशक्ति को ही लोकशक्ति में बदल दिया था। इसका श्रेय उनके चुंबकीय व्यक्तित्व को था। लोग कहते हैं गांधी जी के पूर्व भी सत्याग्रह का एक स्वरूप था। था तो ज़रूर, पर इतने बड़े पैमाने पर विश्व के उस समय के सबसे सशक्त साम्राज्य के प्रति प्रयोग तो पहला उदाहरण था। सत्याग्रह तो नचिकेता, ध्रुव और प्रह्लाद ने भी किया था। इसके कुछ सूत्र सुकरात और ईसा की बलि में भी निहित थे, पर गांधी जी ने जिस प्रकार राष्ट्र के धरातल पर इसका प्रयोग किया, वह इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। गांधी-दर्शन व्यक्ति के सुधार से शुरु होकर समाज के सुधार की ओर जाता है, अन्य दर्शन समाज के सुधार की बात करते हुए व्यक्ति तक पहुँचते हैं। एक नीचे से ऊपर की ओर जाता है, दूसरा ऊपर से नीचे की ओर आता है। पहले का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति होता है। सोना भट्ठी में तपकर शुद्ध होता है। उसकी परख कसौटी पर कसने के बाद होती है। इसी तरह परिस्थितियों की देर से रगड़ खाकर कोई सच्चा तपोनिष्ठ व्यक्ति मसीहा बन जाता है। रोम के सिस्टिन चैपेल में सलीब पर टँगे ईसा को देखकर गांधी जी की आँखें अश्रुपूरित हो उठी थीं। वह मूर्ति असल में महात्मा जी के लिए साधन भी थी और सिद्धि भी थी। साधन इस माने में थी कि उनको इस बात का बोध हुआ था कि यातना के अनन्त क्रम से गुजरने के बाद परम सत्य के साक्षात्कार के बाद कोई मसीहा बनता है, परन्तु नियति कितनी क्रूर है कि लोग उसे समझ नहीं पाते और सूली पर चढ़ा देते हैं। सूली पर कोई एक मसीह नहीं चढ़ता, उसके साथ संपूर्ण मानवता का मानवीय आदर्श चढ़ता है। इसी बात को राय साहब ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है "सूली पर चढ़ा हुआ ईसा मनुष्य जीवन में निहित संपूर्ण यातना-भोग का प्रतीक है। इस प्रतीक के माध्यम से जिस करुणा का बोध होता है, वह महाकरुणा है, समस्त जगत के विषाद का एक ही साथ एकही जगह पर बोध देने वाली करुणा है। जीवन ही एक सलीब है जिस पर असहाय रूप में हम ठोंक दिए गए हैं, अपने ही पापों की नहीं, औरों के पापों की कीलों से भी। राजा-रंक सभी के कंधे पर क्रॉस है, पर बिरला ही ऐसा होता है जो औरों को पाप-मुक्त करने के लिए, इस व्यथा को भोगता है। तब वह पुरुष नीलकण्ठ बन जाता है और यातना का रूपान्तर हो जाता है एक ज्योतिर्मय महिमा में। यह प्रतीक हमें शिक्षा देता है कि क्रॉस तो ढोना ही है, जब जन्म लिया है तो इस नियति से नहीं बच सकते, पर इसे ऐसे ढोओ कि यातना महिमा बन जाय।" इस प्रकार कुबेरनाथ राय के ललित निबन्धों में व्यापक रूप से गांधीवादी चिन्तन के तत्व विद्वान हैं।

भारत से जी. सी. सी. के देशों में होने वाले श्रमिक प्रवासन की प्रवृत्ति

अभिषेक त्रिपाठी¹

प्रस्तावना:

विश्व में प्रवासन और पलायन का इतिहास पुराना रहा है। रोजगार प्राप्त करने तथा बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्ति प्रवासित होता रहा है। भारत एवं विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान, सीमा के भीतर एवं बाहर जाकर बस जाने का मानव इतिहास रहा है। प्रवासन एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। मानव समुदाय एक समूह के रूप में ऐच्छिक और अनेच्छिक कारणों से स्थानांतरित होता रहा है। वह बेहतर भविष्य और जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित होते रहे हैं। उच्च शिक्षा का स्तर एवं उपलब्धता, व्यवसाय व नौकरी के अवसर, वेतन का स्तर, राजनीतिक-आर्थिक सहयोगिता भी प्रवासन का मार्ग निर्धारित करती हैं।

भारत से जी.सी.सी. के देशों में प्रवासन (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात) नयी घटना नहीं है। इसकी शुरुआत 1930 से होती है जब जी.सी.सी. के इन देशों में तेल की खोज होती है किंतु उस समय यह घटना अपने सूक्ष्म स्तर पर थी। खाड़ी देशों में प्रवासियों का खिचाव 1970-1973 के बीच तेल में आई क्रांति के कारण दिखने लगा। प्रवासियों की मांग उद्योग और प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ी। जी.सी.सी. के इन देशों में लगभग 6 मिलियन भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं (एम.ओ.आई.ए.: 2012)। इन देशों में तेल एवं गैस की खोज होने के कारण बड़ी तेजी से विकास एवं कार्य प्रारम्भ हुआ। जी.सी.सी. के देशों में बड़े-बड़े उद्योगों, स्कूल, कालेज, बिल्डिंग एवं अन्य विकासीय कार्यों की शुरुआत हुई। इन कार्यों को पूरा करने के लिए जी.सी.सी. देशों ने विश्व के सभी देशों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया, प्रमुख रूप से दक्षिण ओर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से जैसे- पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका इत्यादि (कुमार: 2015)। मध्य पूर्व में भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही श्रमिक प्रवासन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता आ रहा है। जी.सी.सी. के देशों में शुरुआती दौर में अर्ध कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिक के रूप में भारतीय प्रवासियों का प्रवासन प्रारंभ हुआ। भारत के राज्यों- केरल, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों से जी.सी.सी. के देशों में श्रमिक के रूप में भारतियों का प्रवासन प्रारंभ हुआ। भारत से विश्व के देशों में हो रहे प्रवासन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रवासी भारतीय कार्यमंत्रालय के भारत सरकार प्रवासी कार्यमंत्रालय के रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार, कुल प्रवासन का लगभग 90 प्रतिशत प्रवासन खाड़ी के देशों में होता है, जबकि मात्र 10 प्रतिशत प्रवासन विश्व के अन्य देशों में होता है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस एवं नीदरलैंड जैसे महत्वपूर्ण देश हैं।

¹पी-एच.डी. शोधार्थी, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग, म. गां. अं. हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, मो. 9405510301, ईमेल- abhisheksocio1991@gmail.com

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य जी.सी.सी.के देशों में रह रहे प्रवासियों की संख्या का विश्लेषण करना। भारत के किन-किन राज्यों से अधिक संख्या में प्रवासन हो रहा है, उन राज्यों की पहचान करना। वर्तमान प्रवासन प्रवृत्ति का विश्लेषण करना। जी.सी.सी. के देशों में हो रहे प्रवासन संख्या वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

शोध प्राविधि :

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इस शोध पत्र में तथ्यों की विवेचना करते हुए वर्तमान प्रवासन की घटना का विश्लेषण किया गया है। सरकारी एवं गैरसरकारी आंकड़ों, भारत सरकार के वार्षिक प्रवासन रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन रिपोर्ट, समाचार पत्रों एवं सरकारी योजनाओं की मदद आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए लिया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन:

शोध पत्र से संबंधित प्रकाशित हो चुके लेख, शोध पत्र, पुस्तक, सरकारी एवं गैर-सरकारी रिपोर्टों का अवलोकन किया गया है। इनमें से निम्न उल्लेखनीय इस प्रकार हैं-

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट (2015), के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में प्रवासन की घटना में तेजी से वृद्धि हुई है। 244 मिलियन लोग 2014 में विश्व के विभिन्न देशों से विश्व के विभिन्न देशों में प्रवासित हुए। इस संख्या का दो तिहाई (67 प्रतिशत) प्रवासित जनसंख्या विश्व के मात्र 20 देशों में रह रहे हैं। सर्वाधिक प्रवासी (47 मिलियन) अमेरिका में रह रहे हैं, तत्पश्चात (10 मिलियन) सऊदी अरब में रह रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य-आय वर्ग से उच्च-आय वर्ग के देशों में प्रवासी प्रवासित होते हैं। अर्थात् प्रवासियों का जन्म स्थान मध्य-आय वर्ग वाले देश हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (I.O.M.) (2014), के रिपोर्ट के अनुसार, विश्व जनसंख्या का लगभग 232 मिलियन जनसंख्या अपने जन्म देश से दूसरे देशों में रह रहा है। 740 मिलियन जनसंख्या आंतरिक प्रवासियों की है, यह प्रवासी अपने जन्म देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवासन करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3.2 प्रतिशत संख्या अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की है। 1990 से लगातार प्रवासन की संख्या में वृद्धि हो रही है, 65 प्रतिशत वृद्धि दर उत्तर क्षेत्र के देशों जबकि 34 प्रतिशत वृद्धि दर दक्षिण के देशों में दर्ज की गयी है। विश्व में जी. सी. सी. देश अधिकतम प्रवासियों को आकर्षित करने वाला देश है। संयुक्त अरब अमीरात (84 प्रतिशत), कतर (74 प्रतिशत), कुवैत (60 प्रतिशत), बहरीन (55 प्रतिशत) जनसंख्या वाले प्रवासी देश हैं।

एम.ओ.आई.ए (2015), प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में लगभग 5 मिलियन प्रवासी (NRI) भारतीय कामगार जनसंख्या भारतियों की है। इस संख्या का लगभग 90 प्रतिशत

प्रवासी (NRI) जी. सी. सी. के देशों में निवास करते हैं। 2014 में लगभग 08.04 लाख प्रवासी भारत से प्रवासित हुए, जिसमें सऊदी अरब में 3.29 संयुक्त अरब अमीरात 2.24, कतर 0.75, ओमान में 0.5 लाख भारतीय प्रवासियों ने प्रवासन किया।

एम.ओ.आई.ए (2009 to 2015), प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार, 2009 से पहले भारत से अधिकतम प्रवासन दक्षिण के राज्य (आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडू) से होता था। 2009 के बाद से लगातार पिछले वर्षों (2014) तक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य से अधिकतम संख्या में लोगों का प्रवासन हो रहा है। 2014 में उत्तर प्रदेश राज्य से 2 29 444 लाख लोगों का प्रवासन हुआ। यह संख्या भारत से हुए कुल प्रवासन का 28.50 प्रतिशत संख्या है।

वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट (2013), के अनुसार- भारत विश्व में दक्षिण-पूर्वी देशों, जी. सी. सी. देशों से उत्तप्रवाह प्राप्त करने में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तप्रवाह प्राप्त करने में चतुर्थ स्थान पर है। दक्षिण-दक्षिण देशों में भारत से बांग्लादेश उत्तप्रवाह प्राप्त करने में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत बांग्लादेश से उत्तप्रवाह प्राप्त करने में चतुर्थ स्थान पर है।

खदरिया (2010), ने भारत से हो रहे प्रवासन के स्वरूप को बताते हुआ आप कहते हैं कि भारत से खाड़ी एवं जी. सी. सी. के देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों में 70% अकुशल (unskilled) और अर्धकुशल (semi-skilled) प्रवासी हैं, जबकि मात्र 30% प्रवासी ही कुशल श्रमिक (skilled) हैं।

जचारिया एवं इरुदयाराजन (2009), ने प्रवासन से घरेलू समूहों में आए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने जी. सी. सी. के देशों से केरल में आने वाले उत्तप्रवाह के परिणामों का अध्ययन किया है। आपके अनुसार उत्तप्रवाह से प्रवासियों के परिवारों में आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है।

कुमार (2015), ने भारत से जी. सी. सी. के देशों में हुए प्रवासन का गहन विश्लेषण अपने शोध पत्र में किया है। आपने जी. सी. सी. के देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की संख्या एवं उनकी संख्या में हो रही लगातार वृद्धि की व्याख्या की है। भारत से जी. सी. सी. देशों में हो रहे प्रवासन को पांच चरणों में प्रस्तुत कर प्रवासन की वृद्धि के कारणों एवं उसके परिणामों की व्याख्या की है। भारत से हो रहे प्रवासन में केरल 2001 में प्रथम स्थान पर था किंतु 2011 में उत्तर-प्रदेश भारत से हो रहे कुल प्रवासन का 25% प्रवासन के साथ प्रथम स्थान पर है। यह स्थिति लगभग अभी भी बनी हुयी है।

जी.सी.सी. के देशों में प्रवासी भारतीय :

जी.सी.सी. देश विश्व के महत्वपूर्ण प्रवासन कारीडोर देश के रूप में उभरे हैं। यह देश भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के प्रवासियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एसियाई देशों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है (कुमार: 2015)। एम.ओ.आई.ए. 2012,

के अनुसार भारतीय प्रवासी (PIO and NRI) विश्व के 130 देशों में लगभग 30 मिलियन भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। इन 30 मिलियन में 6 मिलियन भारतीय प्रवासी जी.सी.सी. के विभिन्न देशों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं (केशरी एवं भूयन: 2012)। यह सभी भारतीय प्रवासी इन देशों में मुख्यतः 3 क्षेत्रों में कार्यरत हैं- 1. सफेद पोश नौकरी/कुशल श्रमिक (White-collar jobs), डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट एवं मैनेजर्स हैं। 2. अर्धकुशल श्रमिक (Semi-skilled/blue-collar jobs), शिल्पकार, ड्राइवर, बढ़ई एवं अन्य तकनीकी कार्यों में कार्यरत श्रमिक। 3. अकुशल श्रमिक (un-skilled), निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक, खेती के कार्यों में, पशु फार्म, दुकान एवं घरेलू कार्यों में कार्यरत श्रमिक इस श्रेणी में आएंगे। प्रथम क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, कुल भारतीय प्रवासी श्रमिकों का लगभग 30 प्रतिशत संख्या इन क्षेत्रों में कार्यरत है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में कुल भारतीय प्रवासी श्रमिक का 70 प्रतिशत (खदरिया: 2010) श्रमिक संख्या अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्यों में कार्यरत हैं। जी.सी.सी. देशों के मात्र 2 देश सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात में कुल भारतीय प्रवासी श्रमिकों का लगभग 60 प्रतिशत संख्या इन देशों में कार्यरत है (कुमार: 2015)।

जी.सी.सी. के देशों में प्रवासी भारतीय

क्रम संख्या	देश के नाम	प्रवासी भारतियों की संख्या
1.	सऊदी अरब	3 मिलियन
2.	संयुक्त अरब अमीरात	2.6 मिलियन
3.	कुवैत	0.9 मिलियन
4.	ओमान	0.7 मिलियन
5.	बहरीन	0.6 मिलियन
6.	कतर	0.5 मिलियन
	कुल	8.03 मिलियन

स्रोत- एम.ओ.आई.ए. 2015-16.


उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत से जी.सी.सी. के देशों में अधिकतम संख्या में भारतियों का प्रवासन हो रहा है। भारतीय प्रवासियों के लिए इन देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय देशों में सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात है। इन 2 देशों में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक रोजगार मिलने के संभावनाओं के कारण इन देशों में अधिक भारतीय प्रवासी रह रहे हैं।

भारत से जी.सी.सी. के देशों में होने वाले प्रवासन की प्रवृत्ति:

भारत से जी.सी. सी. के देशों एवं विश्व के अन्य देशों में होने वाले प्रवासन की घटना कोई नई घटना नहीं है बल्कि कई दशकों से प्रवासन होता रहा है। भारतीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के पास

कई वर्ष पूर्व ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे वह यह ज्ञात कर सकते कि भारत से कब-कब कितनी संख्या में भारतियों का प्रवासन विश्व के अन्य देशों में हुआ। अधिकतम आंकड़े कुछ-कुछ जगहों पर किए सैंपल सर्वे पर ही आधारित होते थे। प्रवासियों की सूची तब प्राप्त होना तब प्रारम्भ होता है जब 1983 में भारत सरकार (एम.ओ.आई.ए.) ने यह जानना शुरू किया कि भारतीय प्रवासी किन-किन देशों में कितनी संख्या में रह रहे हैं। भारत सरकार प्रवासी कार्यमंत्रालय द्वारा प्रवासन से पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के बाद से भारत से विश्व के देशों में हो रहे प्रवासन के आंकड़ों का एकत्रीकरण प्रारम्भ हुआ (कुमार: 2015)। प्रवासी भारतीय कार्यमंत्रालय के Emigration act 1983 में यह उल्लेखित किया गया कि प्रवासियों का समस्त विवरण सुरक्षित रखा जाए। प्रवासित कराने वाली संस्थाओं को भी समस्त जानकारी मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी, यदि कोई संस्था ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। एम.ओ.आई.ए. द्वारा The Protection General of Emigration (P.G.A.) नामक संस्था की स्थापना की गई है। इस संस्था के स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत से विश्व के विभिन्न देशों हो रहे प्रवासन के आंकड़ों एवं प्रवासियों का डेटा बैंक तैयार करना था। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इस संस्था की शाखाएँ - मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोच्ची, तिरुवंतपुरम में खोली गयी। यह संस्था अपनी शाखाओं के सहयोग से प्रवासन की समस्त गतिविधियों पर अपनी नजर रखती है तथा इसकी रिपोर्ट प्रवासी भारतीय कार्यमंत्रालय को समय-समय पर देती हैं।

1990 से लेकर 2011 के बीच स्वीकृत प्रवासी श्रमिकों का विवरण



स्रोत- एम.ओ.आई.ए. 2012

2011 से लेकर 2016 के बीच स्वीकृत प्रवासी श्रमिक राज्यों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	आंध्र प्रदेश	43612	50358	61213	53104	45232	21562
2.	बिहार	72275	83967	96868	98733	107285	60574
3.	केरला	88040	98131	86134	66050	43133	20430
4.	ओड़ीशा	7290	7490	10634	13049	15257	9126
5.	पंजाब	33010	37539	48697	48433	46491	24480
6.	राजस्थान	43192	50232	51176	48129	45998	27282
7.	तमिलनाडू	69473	78157	83385	83201	73016	33530
8.	तेलंगाना*					36312	20029
9.	उत्तर प्रदेश	158314	191138	217849	229441	236495	120842
10.	वेस्ट बंगाल	30192	36948	41898	51568	64205	43230
कुल		545,398	633,960	697,855	691,708	713,424	381085

स्रोत-डॉ. टी.एल.एस. भास्कर से साक्षात्कार (15/06/2016) द्वारा प्राप्त आंकड़े

1990 से 2011 के बीच छः चरणों में भारत से जी.सी.सी.के देशों में श्रमिकों का प्रवासन हुआ-

प्रथम चरण (1990-1993) - इस चरण में भारतियों का प्रवासन बहुत ही कम संख्या में हुआ क्योंकि इस चरण में राजनीतिक उठापटक और गल्फ युद्ध अपने चरम पर था। फलस्वरूप भारत से जी.सी.सी.के देशों में प्रवासन न के बराबर हुआ बल्कि कुछ प्रवासी अपने मूल देश को वापस भी लौटें।

द्वितीय चरण (1993-1997) - इस चरण में जी.सी.सी.के देशों में भारत से प्रवासन तेजी से हुआ क्योंकि, यह वह चरण था जिसमें तेल क्रांति के कारण सेवा क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रवासियों की मांग हुई। इस काल में अस्पताल, शिक्षा, बैंकिंग एवं सेवा क्षेत्र में प्रवासियों की मांग बढ़ी। इस चरण में लगभग 384000 श्रमिकों की हर साल मांग हो रही थी, जिसके कारण इस चरण में प्रवासन अधिक संख्या में हुआ।

तृतीय चरण (1997-1999) - इस चरण में सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने अन्य देशों के प्रवासियों पर रोक लगा रखी थी। प्रवासियों के प्रवेश पर कड़े नियम लगा रखे थे। इस चरण में गैर कुवैती एवं सऊदी को नौकरी पर नहीं रखा जाता था। जिस कारण इस चरण में लगभग 323000 प्रवासियों की वार्षिक मांग जी.सी.सी.के देशों में रही।

चतुर्थ चरण (2000-2008) - इस चरण में जी.सी.सी.के देशों में संयुक्त अरब अमीरात में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक संख्या में अर्ध कुशल, अकुशल श्रमिकों की मांग उद्योगों, स्कूलों, अस्पतालों, में कार्य करने के लिए तेजी से बढ़ी। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की मांग को पूरा करने के लिए अपने विभिन्न राज्यों से श्रमिकों को प्रवासन स्वीकृति दी, इस चरण में लगभग 471000 श्रमिकों की प्रति वर्ष मांग रही।

पंचम चरण (2009-2011) - इस चरण में भी भारतीय प्रवासियों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि हुई। जी.सी.सी. के देशों में लगभग 626000 श्रमिकों की वार्षिक मांग रही। इस चरण में भारत से जी.सी.सी. के देशों में प्रवासन अधिक संख्या में हुआ (कुमार: 2015)।

षष्ठम चरण- (2011-2016) – भारत से जी.सी.सी. के देशों में प्रवासन का यह चरण अन्य कालों की अपेक्षा अलग रहा। इस चरण में भारत से सर्वाधिक प्रवासन उत्तर प्रदेश राज्य से हुआ। जबकि अन्य चरणों में भारत के दक्षिण क्षेत्र के राज्यों से अधिक संख्या में प्रवासन होता रहा है। इस चरण में भी लगभग 6 लाख प्रवासियों की वार्षिक मांग रही।

भारत के राज्यों से जी. सी. सी. के देशों में होने वाले श्रमिक प्रवासन का विवरण:

भारत विभिन्नताओं का देश है। प्रजाति, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितिया, खान-पान, रहन-सहन और वेश-भूषा की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कई विभिन्नताएँ देखी जा सकती हैं। भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या अधिक तो कहीं कम देखने को मिलती है। कुछ राज्यों में अधिक विकास, शिक्षा और संपन्नता तो कहीं इसके विपरीत स्थिति दिखाई पड़ती है। कुछ राज्यों में रोजगार के अपार संभावनाएँ हैं वहीं अन्य राज्यों में लोगों का जीविकोपार्जन मुश्किल से हो रहा है। इन्हीं विभिन्नताओं एवं जीविकोपार्जन के लिए लोगों का प्रवासन आदिकाल से एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, शहर से महानगरों में होता रहा है। यह प्रवासन लगभग अस्थायी हुआ करता था। पूर्व के दशकों में अधिकतम प्रवासी संख्या अंतरराज्यीय एवं राष्ट्रीय हुआ करती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवासन के कारणों में- सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक (भूकंप, बाढ़, अकाल) कारण रहे हैं (कुमार: 2015)। वर्तमान युग में रोजगार एवं जीविकोपार्जन के लिए भारत से विश्व के अन्य देशों में प्रवासन की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत के कुछ राज्यों में पिछले वर्षों की अपेक्षा लगातार प्रवासन की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रवासी भारतीय कार्यमंत्रालय के आंकड़ों एवं उनके वार्षिक प्रवासन रिपोर्टों पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो हमें यह देखने को मिलेगा कि लगातार प्रवासन की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत के राज्यों से होने वाले कुल अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का लगभग 90 प्रतिशत लोगों का प्रवासन जी.सी.सी. के देशों में हो रहा है। मात्र 10 प्रतिशत ही प्रवासन विश्व के अन्य देशों में हो रहा है। जी.सी.सी. के देशों में अधिक संख्या में होने वाले प्रवासन का कारण यह है कि इन देशों में अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की मांग ज्यादा है। विश्व के अन्य देशों जैसे- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस एवं नीदरलैंड जैसे देशों में कुशल श्रमिकों की अधिक मांग है। इन देशों में डाक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं व्यापारी वर्ग के लोग ही प्रवासन करते हैं। अन्य वर्ग (अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक) के प्रवासियों के लिए इन देशों में रोजगार की संभावनाएँ लगभग नगण्य है। यही वजह की इन देशों में जी.सी.सी. के देशों की अपेक्षा कम संख्या में भारतीयों का प्रवासन हो रहा है।

भारत के मुख्य 5 राज्यों से होने वाले प्रवासन का विवरण

राज्य	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
केरला	1,80,703	1,19,384	1,04,101	86,783	98,173	1,85,909	66,058
आंध्र प्रदेश	97,530	69,233	72,220	71,589	92,803	1,03,049	53,104
उत्तर-प्रदेश	1,39,254	2,25,783	1,40,826	1,55,301	1,91,341	2,18,292	2,29,444
तमिलनाडू	1,28,791	78,841	84,510	68,732	78,185	83,087	83,202
बिहार	60,642	50,227	60,531	71,438	84,078	96,894	98,721

स्रोत- एम.ओ.आई.ए. 2014-2015

भारत के कई राज्यों से लगातार प्रवासन हो रहा है किंतु ऊपर चार्ट में दिये हुए इन 5 राज्यों से अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक संख्या में प्रवासन होता रहा है। भारत के यह राज्य अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के मुख्य जन्म राज्य हैं। यदि हम उपर्युक्त आंकड़ों का अवलोकन करें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि 2009 से लगातार उत्तर प्रदेश से प्रवासन अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक हो रहा है। 2009 के पहले भी कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य से अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक संख्या में प्रवासन होता रहा है। प्रवासी भारतीय कार्यमंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2012 के अनुसार, वर्ष 2011 में वर्ष 2001 की अपेक्षा केरल राज्य से प्रवासन दूसरे स्थान पर हुआ जबकि उत्तर-प्रदेश से कुल भारतीय प्रवासन का 25% प्रवासन हुआ जबकि केरल से मात्र 13.8% लोगों का प्रवासन हुआ। वर्ष 2014 में 2 लाख 29 हजार लोगों का प्रवासन उत्तर प्रदेश से हुआ है, यह संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है (एम.ओ.आई.ए. 2014-15)। निसंदेह आंकड़ों एवं तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रवासन की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। पूर्व के दशकों में सर्वाधिक प्रवासन भारत के दक्षिण क्षेत्र के राज्यों से होता रहा है जबकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक प्रवासी श्रमिक राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है।

भारत से जी. सी. सी. के देशों में होने वाले श्रमिक प्रवासन का विवरण

देश	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
सउदी अरब	2,28,406	2,81,110	2,75,172	2,89,297	3,57,503	3,54,169	3,29,937
संयुक्त अरब अमीरात	3,49,827	1,30,302	1,30,910	1,38,861	1,41,138	2,02,16	2,24,033
ओमान	89,659	74,963	1,05,807	73,819	84,384	63,398	51,318
कतार	82,937	46,292	45,752	41,710	63,096	78,367	78,935
कुवैत	35,562	42,091	37,667	45,149	55,868	70,072	80,419
बहरीन	31,924	17,541	15,101	14,323	20,150	17,269	14,220

स्रोत- एम.ओ.आई.ए. 2014-2015

सऊदी एवं संयुक्त अरब अमीरात अन्य जी.सी.सी. देशों की अपेक्षा अधिक प्रवासी प्राप्त करने वाले देश हैं। प्रवासी भारतीय कार्यमंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के राज्यों से जी.सी.सी. के देशों में होने वाले प्रवासन की संख्या में लगता वृद्धि हो रही है। यदि हम 2008 से 2014 के बीच के इन आंकड़ों का अवलोकन करें तो हमें यह देखने को अवश्य प्राप्त होगा कि वर्ष 2011, 2012, 2013 में भारत से जी.सी.सी. के देशों में होने वाले प्रवासन की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष:

जन्म देश एवं अपने मूल राज्यों को छोड़कर सुदूर देशों में जाने के लिए भारतियों को मजबूर होना पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हैं यथा-रोजगार का न मिल पाना, पारिश्रमिक के एवज में मिलने वाला परितोषक का अपर्याप्त होना एवं परिवार के जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश दूसरे देश के लिए प्रवासन करता है। भारत से भी जी.सी.सी. के देशों में अधिकतम संख्या में अर्ध-कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तत्पश्चात् कुशल श्रमिकों के रूप में प्रवासन होता रहा है। जी.सी.सी. के कुछ देशों में अभी भी प्रवासित भारतीयों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है। इन पर अनेक प्रतिबंध लगाये गए हैं। वहां पहुंचते ही इनका पासपोर्ट ले लिया जाता है। इन्हें किसी भी प्रकार की बस्ती में रहने की छूट नहीं है। काम (कांट्रैक्ट) समाप्त होते ही देश लौटने का आदेश रहता है। ये श्रमिक अपने परिवार को भी अपने साथ नहीं रख सकते, साथ ही इनका गंतव्य देश के मूल लोगों से संपर्क प्रतिबंधित है। अपने धर्म को निभाने में इन पर अनेक प्रतिबंध हैं। इन तमाम समस्याओं एवं खतरों के बावजूद परिवार एवं स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए भारत के राज्यों से जी.सी.सी. के देशों के लिए भारतियों का प्रवासन बड़ी संख्या में होता आ रहा है और शायद होता भी रहेगा।

सन्दर्भ:

- खदरिया, बिनोद. (2010). *पैराडाईम शिफ्ट इन इंडियाज माइग्रेशन पॉलिसी टूर्वर्ड द गल्फ*. मिडिल ईस्ट गल्फ वियुपोइंट.
- जचरीया, के. सी., एवं राजन, एस. इरुदया. (2009). *माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट: द केरला एक्सपीरियंस*. दिल्ली: दानिश पब्लिकेशन
- साहू, कुमार. अजय. (ईडी). (2015). *डायस्पोरा, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रेस*. जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
- <https://www.iom.int/world-migration-report-2013>, 2014, 2015. 12 सितंबर 2016 को पढ़ा गया.
- [https://www.mea.gov.in/images/pdf/annual-report-2008-2009 to 2014-15](https://www.mea.gov.in/images/pdf/annual-report-2008-2009%20to%202014-15). 15 जून 2016 को पढ़ा गया.
- केसरी, ज्ञानेंद्र कुमार., एवं भूयन, अरूनीम. (2012, जुलाई) 'गल्फ लिंकेज'. प्रवासी भारतीय दिवस 5-7.

महात्मा गाँधी का संस्कृति-दर्शन

देवेश रंजन¹

मानवीय शक्तियों में जिज्ञासा एक प्रमुख शक्ति है। इस जिज्ञासा की शक्ति के माध्यम से मानव अपने ज्ञान – विज्ञान के संग्रह को अनवरत रूप से विकसित एवं परिमार्जित करता रहा है। मनुष्य ने स्वयं को भी इस जिज्ञासा का विषय बनाया है और यही कारण है कि वह अनेक मानवीय अध्ययनों का विकास करने में सफल हो सका है। मानव-विज्ञान, समाज-विज्ञान, दर्शन-शास्त्र और कुछ हद तक इतिहास, सभी का उद्देश्य समाज तथा संस्कृति की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना है।

संस्कृति की अवधारणा एक अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक अवधारणा है, अतः इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा कर पाना कठिन कार्य है। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इससे संगीत, नृत्य और साहित्य का बोध होता है। हम प्रायः ‘सुसंस्कृत’ शब्द का प्रयोग करते हैं। यह सन्दर्भ परिष्कार और रूचि को व्यक्त करता है। समाज – शास्त्र एवं मानव-शास्त्र संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य की समस्त कृति और सीखे हुए व्यवहार संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति के अंतर्गत मानव के अविष्कार, निर्माण-कला, संस्थाएं, सामाजिक संगठन, धर्म, विचार, आदि विषय आते हैं। इसके अंतर्गत बौद्धिक और अबौद्धिक, भौतिक एवं अभौतिक सभी तत्व आते हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष जैसे- उपकरण, उत्पादनों के साधनों, निर्माण कला आदि में सरलता से एवं शीघ्रता से परिवर्तन देखा जा सकता है। परंतु अभौतिक पक्ष जैसे- जनरीतियों, प्रथाओं, विचार, विश्वास आदि के क्षेत्र में परिवर्तन की गति अत्यधिक धीमी होती है।

प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक विशिष्टता होती है, जिसे वह स्वयं विकसित करती है। इस विकास क्रम में एक संस्कृति दूसरी अन्य संस्कृतियों से भी कुछ तत्व ग्रहण करती है। अतः प्रत्येक संस्कृति की एक आत्म छवि होती है एवं दूसरी प्रदत्त छवि होती है। भारतीय संस्कृति की भी कई छवियाँ देखने को मिलती हैं। इसका प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण, संसार के कई भागों से लोगों का आप्रवासन है। इन सभी प्रभावों के होते हुए भी भारतीय संस्कृति अपनी ऐतिहासिकता एवं विशिष्टता को संजोये हुए है। भारतीय संस्कृति के विषय में हम जब भी सोचते हैं हमारा विचार उसकी आध्यात्मिक प्रकृति पर केंद्रित हो जाता है, परंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति के अतिरिक्त भारत में भौतिक संस्कृति का भी विकास हुआ था। मानव जीवन के चार पुरुषार्थों – धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म और मोक्ष के साथ-साथ काम और अर्थ को भी महत्ता दी गयी है। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों में यदि धर्मशास्त्र महत्त्वपूर्ण हैं तो अर्थशास्त्र और कामशास्त्र भी महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रत्येक व्यक्ति का संबंध किसी न किसी संस्कृति से अवश्य होता है, जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आता है तो वह अपनी

¹ पी.डी.एच.- शोधार्थी, दर्शन एवं धर्म विभाग, का. हिं. वि. वि., वाराणसी.

मूल संस्कृति के अवयवों को जीवित रखने का प्रयत्न करता है। महात्मा गाँधी के जीवन एवं व्यक्तित्व पर भी भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था। यही कारण है कि वे भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए, उसमें आमूल परिवर्तन लाना चाहते थे। इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म के अपनाने के कारण भारत में 'मिश्रित संस्कृति' का प्रादुर्भाव हुआ। महात्मा गाँधी जीवन पर्यंत इस 'मिश्रित संस्कृति' को संरक्षित करने का प्रयास करते रहे। ब्रिटिश उपनिवेशीय काल में भारत के सांस्कृतिक पक्ष पर, जिसमें इसकी वास्तुशिल्प, विधि, साहित्य, दर्शन, संगीत, नाट्य-विद्या, ललित कला, आदि का समावेश है, को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत के सामाजिक जीवन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि भारतीय सामाजिक जीवन के निर्माण में उपरोक्त सभी तत्वों का विशेष योगदान था। यद्यपि ब्रिटिश राज भारत की इस परंपरा को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सका, परंतु इनमें एक प्रकार की स्थिरता अवश्य आ गई थी। ये सभी अवयव सुप्त अवस्था में ही रहे। इसलिए भी महात्मा गाँधी भारतीय संस्कृति को पुनः गति प्रदान करने का प्रयत्न करते रहे।

भारतीय संस्कृति को पुनः श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम गाँधी जी ने पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता की कमियों को उजागर किया। उनके ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि पाश्चात्य संस्कृति ने भारत में न केवल राजकीय साम्राज्यवाद ही स्थापित किया था, वरन वैचारिक साम्राज्यवाद कि जड़ें भी विकसित कर चुकीं थीं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया था कि आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की कमियों को प्रदर्शित किया जाए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गाँधी जी ने खुद अंग्रेजों के उदहारण दिए हैं। बहुत सारे अंग्रेज व्यक्ति जो भारत में रहे थे, यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित थे। ऐसे व्यक्तियों का यह मानना था कि भारत की संस्कृति इतनी विकसित और उच्च मूल्यों से युक्त है कि संस्कृति की दृष्टि से पाश्चात्य आधुनिक सभ्यता भारत को कुछ प्रदान नहीं कर सकती है। इस दृष्टि से पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति से पीछे है। पुनः ब्रिटिश साम्राज्य की विभाजनकारी नीतियों के कारण एवं उसके द्वारा लागू की गई शिक्षा-नीति और धर्म-नीति के कारण भारत के अन्दर एक प्रकार का सामाजिक विघटन प्रारंभ हो गया था। भारत द्वारा सदियों से विकसित की गई संस्कृति जिसमें विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के लोग एक दूसरे के साथ अपने-अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता कि आलोचना करते हुए गाँधी जी ने इसे अधर्म की संज्ञा दी है। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि यह सभ्यता यूरोप में इस हद तक फैल गई है कि वहाँ के लोग आधे पागल जैसे प्रतीत होते हैं। उनमें सच्ची कूबत नहीं है, वे नशा करके अपनी ताकत कायम रखते हैं। एकांत में वे बैठ नहीं सकते। जिन स्त्रियों को घर में होना चाहिए, उन्हें गलियों में भटकना पड़ता है। यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धैर्य रखें तो इस सभ्यता का विनाश स्वतः ही हो जाएगा। हिन्दू धर्म इसे निरा कलयुग कहता है। गाँधी जी के ऐसा लिखने का कारण यह था कि यह सभ्यता केवल शारीरिक सुख का ध्यान रखती है और उसकी पूर्ति के लिए भौतिक संपदा के संग्रह को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानती है। इसलिए उन्होंने हिंद स्वराज में घर, कपड़े, सवारी आदि की लम्बी सूची बताई है, जिसके होने पर व्यक्ति स्वयं को सभ्य समझता है। परंतु यह

संस्कृति कहीं भी धर्म, नीति पर बल नहीं देती है अतः इससे किसी भी लोकहित और विश्वकल्याण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

महात्मा गाँधी पाश्चात्य संस्कृति और मशीनों पर आधारित उनके औद्योगिक विकास के खोखलेपन को अच्छी तरह से समझ चुके थे। अतः उन्होंने मानवता की एकता पर बल दिया, परंतु उनका बल भारतीय संस्कृति के मूल आधारों पर अधिक था और वह भौतिकवाद के साथ समन्वय करने के बजाय अध्यात्मवादी और अहिंसा पर आधारित एक नई सामाजिक संरचना के पोषक थे। गाँधी जी ने भौतिक शक्ति से चलने वाले पेंचीदा यंत्रों के प्रयोग की स्वीकृति नहीं दी है। उनका मानना है कि ऐसे स्वचालित यन्त्र मनुष्य के अंगों को बेकार बना देते हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों को यन्त्र आदि कि खोज करने का ज्ञान नहीं था, परंतु उन्होंने देखा कि इससे लोग गुलाम बनेंगे और अपनी नीति को त्याग देंगे। उन्होंने सोचा कि बड़े शहर शोषण में वृद्धि करेंगे। इसलिए उन्होंने छोटे-छोटे गांवों में ही संतोष माना।

गाँधी जी ने पाश्चात्य शिक्षा का भी तीव्र विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि इस पद्धति द्वारा नैतिक विकास असंभव है। उनका मानना था कि यूरोपीय शिक्षा पद्धति का भारतीय संस्कृति से कोई मेल नहीं है, अतः यह पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती है। उनके अनुसार पश्चिमी शिक्षा भारतीय युवाओं को निस्तेज बना रही है। यद्यपि कि उनके इन विचारों से कई लोगों को असहमति भी थी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर। एक बार कुछ विद्यार्थियों द्वारा किये गए अपमानजनक व्यवहार के लिए उन्होंने गाँधी जी के इस विचार को उत्तरदाई माना था। गाँधी जी ने इस आरोप का उत्तर देते हुए लिखा – ‘मैं चाहता हूँ कि जितनी स्वतंत्रता से संभव हो सके सभी देशों की संस्कृतियों की बयारों मेरे घर में से गुजरें। परंतु इनमें से किसी बयार के आगे लड़खड़ा जाना मुझे मंजूर नहीं।’

इस प्रकार महात्मा गाँधी ने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को पूर्णतः ठुकरा दिया जिसने युद्ध और नरसंहार के माध्यम से स्वयं को स्थापित किया था। पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का इस प्रकार ठुकराया जाना भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता के दावे का प्रस्थान बिंदु बन गया। पश्चिमी संस्कृति का विश्लेषण करने के उपरांत उन्हें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे कि प्रभावित हुआ जा सके। इसलिए उन्होंने देश कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए स्वयं के प्रयासों और श्रम को महत्व दिया है। उन्होंने अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को समझा तथा उसे गतिशील बनाने के लिए कभी किसी विनिमय की वकालत नहीं की। उनका मत था कि हमें अपना उत्थान स्वयं के श्रम एवं धन से करना होगा, क्योंकि दूसरे का धन लोभ पैदा करता है।

NOTES FOR AUTHORS, The Equanimist...A peer reviewed Journal

1. Submissions

Authors should send all submissions and resubmissions to theequanimist@gmail.com

Some articles are dealt with by the editor immediately, but most are read by outside referees. For submissions that are sent to referees, we try to complete the evaluation process within three months. As a general rule, **The Equanimist** operates a double-blind peer review process in which the reviewer's name is withheld from the author and the author's name is withheld from the reviewer. Reviewers may at their own discretion opt to reveal their name to the author in their review, but our standard policy is for both identities to remain concealed.

Absolute technical requirements in the first round are: ample line spacing throughout (1.5 or double), an

abstract, adequate documentation using the author-date citation system and an alphabetical reference list,

and a word count on the front page (include all elements in the word count).

Regular articles are restricted to an absolute maximum of 10,000 words, including all elements (title

page, abstract, notes, references, tables, biographical statement, etc.).

2. Types of articles

In addition to Regular Articles, **The Equanimist** publishes the Viewpoint column with research-based policy articles, Review Essays, Book Review and Special Data Features.

3. The manuscript

The final version of the manuscript should contain, in this order:

(a) title page with name(s) of the author(s), affiliation

(b) abstract

(c) main text

(d) list of references

(e) biographical statement(s)

(f) tables and figures in separate documents

(g) notes (either footnotes or endnotes are acceptable)

Authors must check the final version of their manuscripts. against these notes before sending it to us.

The text should be left justified, with an ample left margin. Avoid hyphenation. Throughout the manuscripts, set line spacing to 1.5 or double.

The final manuscript should be submitted in MS Word for Windows.

4. Language

The Equanimist is a Bilingual Journal, i.e. English and हिंदी. The main objective of an academic journal is to communicate clearly with an international audience.

Elegance in style is a secondary aim: the basic criterion should be clarity of expression. We allow UK as well as US spelling, as long as there is consistency within the article. You are welcome to indicate on the front page whether you prefer UK or US spelling. For UK spelling we use -ize [standardize, normalize] but -yse [analyse, paralyse]. For US spelling, -ize/-yse are the standard [civilize/analyze]. Note also that with US standard we use the serial comma (red, white, and blue). We encourage gender-neutral language wherever possible. Numbers higher than ten should be expressed as figures (e.g. five, eight, ten, but 21, 99, 100); the % sign is used rather than the word 'percent' (0.3%, 3%, 30%). Underlining (for italics) should be used sparingly. Commonly used non-English expressions, like *ad hoc* and *raison d'être*, should not be italicized.

5. The abstract

The abstract should be in the range of 200–300 words. For very short articles, a shorter abstract may suffice. The abstract is an important part of the article. It should summarize the actual content of the article, rather than merely relate what subject the article deals with. It is more important to state an interesting finding than to detail the kind of data used: instead of 'the hypothesis was tested', the outcome of the test should be stated. Abstracts should be

written in the present tense and in the third person (This article deals with...) or passive (... is discussed and rejected). Please consider carefully what terms to include in order to increase the visibility of the abstract in electronic searches.

6. Title and headings

The main title of the article should appear at the top of pg. 1, followed by the author's name and institutional affiliation. The title should be short, but informative. All sections of the article (including the introduction) should have principal subheads. The sections are not numbered. This makes it all the more important to distinguish between levels of subheads in the manuscripts – preferably by typographical means.

7. Notes

Notes should be used only where substantive information is conveyed to the reader. Mere literature references should normally not necessitate separate notes; see the section on references below. Notes are numbered with Arabic numerals. Authors should insert notes by using the footnote/endnote function in MS Word.

8. Tables

Each Table should be self-explanatory as far as possible. The heading should be fairly brief, but additional explanatory material may be added in notes which will appear immediately below the Table. Such notes should be clearly set off from the rest of the text. The table should be numbered with a Roman numeral, and printed on a separate page.

9. Figures

The same comments apply, except that Figures are numbered with Arabic numerals. Figure headings are also placed below the Figure. Example: Figure 1.

10. References

References should be in a separate alphabetical list; they should not be incorporated in the notes. Use the APA form of reference

11. Biographical statement

The biosketch in **The Equanimit** appears immediately after the references. It should be brief and include year of birth, highest academic degree, year achieved, where obtained, position and current institutional affiliation. In addition authors may indicate their present main research interest or recent (co-)authored or edited books as well as other institutional affiliations which have occupied a major portion of their professional lives. But we are not asking for a complete CV.

12. Proofs and reprints

Author's proofs will be e-mailed directly from the publishers, in pdf format. If the article is co-authored, the proofs will normally be sent to the author who submitted the manuscripts. (corresponding author). If the e-mail address of the corresponding author is likely to change within the next 6–9 months, it is in the author's own interest (as well as ours) to inform us: editor's queries, proofs and pdf reprints will be sent to this e-mail address. All authors (corresponding authors and their co-authors) will receive one PDF copy of their article by email.

13. Copyright

The responsibility for not violating copyright in the quotations of a published article rests with the author(s). It is not necessary to obtain permission for a brief quote from an academic article or book. However, with a long quote or a Figure or a Table, written permission must be obtained. The author must consult the original source to find out whether the copyright is held by the author, the journal or the publisher, and contact the appropriate person or institution. In the event that reprinting requires a fee, we must have written confirmation that the author is prepared to cover the expense. With literary quotations, conditions are much stricter. Even a single verse from a poem may require permission.

THE Equanimist

A peer reviewed journal

SUBSCRIPTION ORDER FORM

1. NAME.....
.....
2. ADDRESS.....
.....
.....
.....
.....
TEL.....
MOB.....
....
EMAIL.....
3. TYPE OF SUBSCRIPTION: TICK ONE INDIVIDUAL/INSTITUTION
4. PERIOD OF SUBSCRIPTION: ANNUAL/FIVE YEARS
5. DD..... DATE.....
BANK.....
AMOUNT (IN WORD).....AMOUNT (IN NUMBERS).....

DEAR CHIEF EDITOR,

KINDLY ACNOWLEDGE THE RECIPT OF MY SUBSCRIPTION AND START
SENDING THE ISSUE(S) AT FOLLOWING ADDRESS:

.....
.....
.....
.....

THE SUBSCRIPTION RATE ARE AS FOLLOWS W.E.F. 01.04.2015

INDIA(RS.)

TYPE	INDIVIDUAL	INSTITUTION
ANNUAL	RS.500	RS.800
FIVE YEARS	RS. 2400	RS. 3900

YOURS SINCERELY

SIGNATURE

NAME:

PLACE:

DATE:

Please Fill This Form And The Cash/Demand Draft/Multi City Check Drawn In
Favor Of **Oriental Institute Of Human Development** Payable At **Allahabad** And
Send It To Below Mentioned Address.

Published By

Oriental Institute Of Human Development

121/3B1 Mahaveerpuri, Shivkuti Road.

Allahabad-211004